खण्ड-184, अंक-9
गुरूवार, 21 भाद्रपद, शक संवत् 1879
(12 सितम्बर, 1957 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 184 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५७

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, ३० जुलाई, १९५७ ई०

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य (३०५)

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अमरनाथ, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अशफाक अली खां, श्री
असग़र अली खां, कुंवर
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आर्थर सी० ग्राइस, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
उदयशंकर, श्री
उबैदुर्रहमान , श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फत सिंह, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री उपनाम कमले
कल्याणराय, श्री
काशी प्रसाद पांडेय, श्री
किशन सिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कैलाश कुमार सिंह, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कोतवाल सिंह भदौरिया, श्री
कृपाशंकर, श्री
खजानसिंह, चौधरी
खमानी सिंह, डाक्टर
खयाली राम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्द नारायण तिवारी, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
गोविन्द सिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री

घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिका प्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजर, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुरसिंह विष्ट, श्री
जगदीशनारायणदत्त सिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ, चौधरी
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जागेश्वर, श्री
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टम्बरेश्वर प्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
डूगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमल सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम, चौधरी
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दीपंकर, आचार्य
दुर्योधन, श्री
दुलारादेवी, श्रीमती
देवराम, श्री
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (मैनपुरी)
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
निरंजन सिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बंसतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसमेश, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुलाकीराम, श्री
बुद्धीलाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बृजवासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री

भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मदन पांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखान सिंह, श्री
मलिखार्नासिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
पहमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महाबीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातार्सिंह, श्री
मिहरबार्नासिंह, श्री
मुकुटविहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुज़फ्फर हसन, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मूलचन्द, श्री
मुल्ला प्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशपालसिंह, श्री
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री उपनाम लाल साहब
रघुराजसिंह, चौधरी
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमानाथ खैरा, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामगोपाल गुप्त, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामलक्षण, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रानसनेही भारतीय, श्री
राम समझावन, श्री
रामसिंह चौहान, वैद्य
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसूरत प्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रुकनुद्दीन खां, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीनारायण , श्री
लक्ष्मीनारायण बंसल, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लायकसिंह, चौधरी
लालबहादुर सिंह, श्री
लुत्फ़ अली खां, श्री
लोकनाथ सिंह, श्री

वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशाल सिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
विश्वनाथसिंह गौतम, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतला देवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराज बहादुर, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतला प्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीपालसिंह, कुंवर
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सरस्वती देवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानी देवी, श्रीमती
सुखलाल, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुरथबहादुर शाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूरतचन्द रमोला, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरिहरबख्श सिंह, श्री
हरीसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
होरीलाल यादव, श्री

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, ३० जुलाई, १९५७ ई०

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

सहारनपुर जिले के चिलकाना परगने में मसखरा नदी पर पुल की आवश्यकता

**१—श्रीमती शकुन्तला देवी (जिला सहारनपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सहारनपुर जिले के परगना चिलकाना में बहने वाली मसखरा नदी का कोई पुल बनवाने का प्रबन्ध किया गया है? यदि हां, तो कब तक?

निर्माण मंत्री (श्री गिरधारीलाल)—(प्रथम भाग)—जी नहीं।

(द्वितीय भाग)—प्रश्न नहीं उठता।

श्रीमती शकुन्तला देवी---क्या सरकार को ज्ञात है कि इस पुल पर से कई सौ गांवों के यात्रियों का केवल यही एक मार्ग है और वर्षा के चार महीनों में यह बन्द रहता है ?

श्री गिरधारी लाल---वास्तव में यह बात ठीक होगी, लेकिन पुल डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का है। इसका सार्वजनिक निर्माण विभाग से कोई संबंध नहीं है। इसलिये इसके बनाने का प्रश्न ही नहीं उठा ?

श्रीमती शकुन्तला देवी---क्या सरकार को यह भी ज्ञात है कि जिला नियोजन समिति में आठ लाख रुपये की योजना प्रस्तुत हुई थी जो केवल धनाभाव के कारण रोक दी गई ?

श्री गिरधारी लाल---हो सकता है।

द्वितीय पंचवर्षीय योजनान्तर्गत अन्न-वस्त्र का आयोजन

**२---श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)---क्या सरकार ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना बनाते समय इस बात को ध्यान में रखा था कि राज्य में कितने अन्न की और कितने कपड़े की आवश्यकता पड़ेगी ? यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है ?

नियोजन उपमंत्री (श्री जगमोहन सिंह नेगी)---राज्यों की पंचवर्षीय योजना राष्ट्रीय योजना का एक भाग है। योजना की रूपरेखा अर्थशास्त्रियों की एक मंडली द्वारा निर्धारित की गई थी। इसका उद्देश्य यह था कि प्रति व्यक्ति आय जो सन् १९५६ में २८१ रुपये थी, उसे बढ़ा कर सन् १९६१ में ३३१ रुपये कर दिया जाय। योजना आयोग ने पूरे देश की अन्न और वस्त्र की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा था और इसका क्षेत्रीय वितरण उपलब्ध नहीं है। यह विषय विशेषत: योजना आयोग से सम्बन्ध रखता है।

श्री गेंदा सिंह---क्या स्टेट लेविल पर कोई योजना बनाने के लिए विचार-विमर्श इस सम्बन्ध में नहीं हुआ ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---इस पर सीधा तो कोई विचार-विमर्श नहीं हुआ। लेकिन स्टेट का अपना एक लक्ष्य तो है ही। इसमें कोई शक नहीं। परन्तु अन्न और वस्त्र, ये ऐसी चीजें हैं जिनको सारे देश की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये बनाया जाता है।

श्री गेंदा सिंह---क्या सारे देश में उत्तर प्रदेश की अन्न और वस्त्र की समस्या पर योजना में कुछ विचार किया था ? यदि हां, तो क्या ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं सीधे तरीके पर इन विषयों का सम्बन्ध हमसे नहीं है। मगर चूंकि ७०.५ मिलियन टन सारे देश का लक्ष्य है, जो कि देश को १९६०-६१ में हमें पूरा करना है और चूंकि उत्तर प्रदेश की आबादी १७·७ के लगभग आती है इसलिये उस हिसाब से यू० पी० का हिस्सा १२.९ मिलियन टन होगा। लेकिन उसमें जो १८.३ आउंस प्रति वयस्क के हिसाब से खुराक होगी उसके हिसाब से १३.२८ मिलियन टन के करीब हमारा हिस्सा पड़ेगा। इसमें पिछली पंचवर्षीय योजना में हमने काफी उत्पादन अपने प्रदेश के अन्दर कर लिया था और लगभग २.४ मिलियन टन इस वर्तमान पंचवर्षीय योजना में हमें पूरा करना है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---क्या राज्य सरकार ने योजना आयोग के सामने अपने प्रदेश के अन्न-वस्त्र की आवश्यकता का कोई लक्ष्य रखा था कि इतने अन्न-वस्त्र की आवश्यकता है ? अगर रखा था तो क्या था ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---यह जो बातें आपको बता दीं वे तो थी हीं। इनके अतिरिक्त जो सिंचाई के साधन हमने अपने प्रदेश में रखे हैं उनके साथ-साथ यह भी है कि सिंचाई से इतना अन्न बढ़ेगा। हमारे प्रदेश की इतनी आबादी है, उससे लगभग इतना पूरा होगा, मेरे ख्याल में उनके सामने लगभग सब चीजें थीं।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या माननीय मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि उन्होंने वस्त्र के सम्बन्ध में कितनी आवश्यकता रखी थी कि हमारे प्रदेश की जनता को कितने वस्त्र की आवश्यकता है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---जहां तक वस्त्र का प्रश्न है यह तो बहुत कुछ प्राइवेट सेक्टर की चीज है और इसके आंकड़े उपलब्ध करना कठिन है और दूसरे इसका सीधा संबंध केन्द्रीय सरकार से है। हमारे यहां तो केवल रुई के उत्पादन का प्रश्न उठ सकता है।

गोरखपुर जेल में सोशलिस्ट सत्याग्रहियों पर बलप्रयोग

**३---श्री राम स्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)---क्या सरकार को ज्ञात है कि गोरखपुर, फतेहपुर तथा जिला उन्नाव की जेलों में सोशलिस्ट सत्याग्रही बन्दियों पर जेल अधिकारियों द्वारा लाठी चार्ज हुआ है ?

समाज सुरक्षा राज्य मंत्री (श्री मुजफ्फरहसन)---जी नहीं, इन जेलों में लाठी चार्ज नहीं हुआ। गोरखपुर जेल में कुछ सोशलिस्ट सत्याग्रही बन्दियों पर जो अपनी बरक से जबरदस्ती बाहर निकल आये थे और अन्दर वापस नहीं जा रहे थे बैरक में वापस करने के लिये तथा उनकी गिनती करने के लिये कुछ बल का प्रयोग तथा बेटन (डन्डे) का इस्तेमाल हुआ। फतेहगढ़ जेल में एक सोशलिस्ट सत्याग्रही बन्दी ने आरोप लगाया कि उनको जेल डाक्टर ने डण्डे से मारा है। जांच करने पर यह आरोप असत्य पाया गया। उन्नाव जेल के सम्बध में इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं है।

**४---श्री रामस्वरूप वर्मा---यदि हुआ है तो सरकार ने उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

श्री मुजफ्फर हसन---सवाल नहीं उठता। गोरखपुर तथा फतेहगढ़ जेलों में हुई उपरोक्त घटनाओं के सम्बन्ध में मैजिस्ट्रेट द्वारा जांच होने के बाद सरकार ने उनमें पुनः कार्यवाही की आवश्यकता नहीं समझी।

श्री रामस्वरूप वर्मा---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उन्नाव जेल में बन्दी दीन नामक सत्याग्रही की खबर अखबार में पढ़ी थी, और उसके बाद कोई कार्यवाही की गयी ?

श्री अध्यक्ष---अखबार की खबर के बारे में आप कोई सवाल नहीं कर सकते। वैसे आप पूछें कि उनको कोई खबर है या नहीं।

श्री रामस्वरूप वर्मा---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि गोरखपुर और फतेहगढ़ जेलों में जो मारपीट हुई सत्याग्रहियों की तो उसमें कितने सत्याग्रहियों को चोट आयी और अस्पताल में दाखिल किये गये या नहीं ?

श्री मुजफ्फर हसन---१७ कैदियों को चोट लगी थी गोरखपुर में और ३ वार्डरों को। ऐसी चोट नहीं थी कि अस्पताल में दाखिल करने की जरूरत समझी जाती।

श्री रामस्वरूप वर्मा---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि सत्याग्रहियों के प्रोटेस्ट का क्या कारण था ?

श्री अध्यक्ष---यह तो पहले बता दिया गया।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि गोरखपुर में जो कैदियों के साथ बल प्रयोग किया गया तो क्या यह सही था कि वे बाहर सोने की मांग कर रहे थे ?

श्री मुजफ्फर हसन---जी नहीं। बाहर सोने की तो सत्याग्रहियों को इजाजत है ही।

श्री रामायण राय (जिला देवरिया)---जैसा कि मुझे मालूम है सदन के उपाध्यक्ष कुछ जेलों का निरीक्षण करने गये थे। क्या सरकार को उन्होंने कोई अपनी रिपोर्ट इसके सम्बन्ध में दी है?

श्री मुजफ्फर हसन---इन जेलों के बारें में, जिनके बारे में सवाल हुए हैं इनके लिये कोई रिपोर्ट नहीं आयी है।

श्री गौरीशंकर (जिला बलिया)---अगर बाहर सोने की सुविधा थी तो क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह झंझट क्यों हुआ?

श्री मुजफ्फर हसन---हुआ यों कि पहली तारीख को जब दलिया बांटा गया तो वहां के सत्याग्रहियों ने उसको लेने से इंकार किया। यह कह कर कि वह उतना मीठा नहीं है जितना कि होना चाहिये और सुपरिंटेंडेंट को बुलाने की मांग की और कब्ल इसके कि सुपरिंटेंडेंट को इत्तला दी जाती, इतवार का दिन था, वे मौजूद नहीं थे। एक वार्डर भंगी को लेकर सफाई करने गया, उसको पकड़ के अलग कर दिया और वह सब लोग वहां से बाहर निकल आये।

श्री रामस्वरूप वर्मा---क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि सत्याग्रहियों को घसीटकर और मारते हुये बैरक में बन्द किया गया?

श्री मुजफ्फर हसन---जी नहीं, यह सही नहीं है।

श्री शिव प्रसाद नागर (जिला खीरी)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जो रिपोर्ट माननीय मंत्री महोदय के पास आयी है वह किसी निष्पक्ष जांच के द्वारा आयी है या जेल विभाग के द्वारा ही वह रिपोर्ट प्राप्त हुई है?

श्री मुजफ्फर हसन---यह रिपोर्ट जो मैजीस्टिरियल इंक्वायरी हुई उसके आधार पर दी गई।

श्री राम सुन्दर पांडेय---क्या जेल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस मारपीट के कितने दिनों के बाद जिलाधीश ने इस कांड का निरीक्षण किया?

श्री मुजफ्फर हसन---उसी दिन।

सोशलिस्ट सत्याग्रही, श्री अश्विनीकुमार शुक्ल के साथ गोरखपुर जेल में व्यवहार

**५---डाक्टर अवधेश कुमार सिनहा (जिला सीतापुर)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्री अश्विनी कुमार शुक्ल एम०ए० को, जिन्होंने २९ जून, १९५७ को बांसगांव थाने पर सत्याग्रह किया था, गोरखपुर जेल में रात में बाहर सोने की सुविधा तथा अन्य राजनैतिक बंदियों की सुविधायें नहीं दी जा रही हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुजफ्फर हसन---२९ जून, ५७ को अश्विनी कुमार शुक्ल सोशलिस्ट सत्याग्रही की हैसियत से नहीं, बल्कि एक साधारण विचाराधीन कैदी की तरह जेल गये। उन्हें जिलाधीश के आज्ञानुसार सुपीरियर क्लास में जुलाई ९ से रखा गया तब से रात में बाहर सोने की इजाजत दी गई। साधारण बंदियों को कोई अन्य सुविधाएं दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

डाक्टर अवधेश कुमार सिनहा---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि आज भी वे तनहाई में बन्द किये जा रहे हैं और उनके चौबीसों घंटे के लिये बेड़ियां पड़ी हुई हैं?

श्री मुजफ्फहर हसन---वे तो जमानत पर बाहर हैं।

तारांकित प्रश्न

सीतापुर जिले के हड़हरमऊ और सरैयां सेठ ग्रामवासियों का संचालक, पंचायतराज विभाग को प्रार्थना-पत्र

*१—श्री ताराचन्द माहेश्वरी (जिला सीतापुर)—क्या स्वशासन मंत्री को ज्ञात है कि संचालक, पंचायतराज विभाग, उत्तर प्रदेश को ग्राम सभा शंकरपुर, तहसील सिधौली, जिला सीतापुर के अन्तर्गत मौजा हड़हरमऊ और सरैयां सेठ के निवासियों का ऐसा प्रार्थनापत्र दिनांक २८-६-५६ को प्राप्त हुआ था जिसमें उक्त ग्रामों के निवासियों ने ग्राम सभा शंकरपुर से अलग उक्त दोनों मौजों को मिलाकर नियमानुसार ग्राम सभा बनाये जाने की प्रार्थना की थी ?

स्वशासन मंत्री के सभा-सचिव (श्री रामस्वरूप यादव)—जी हां।

*२—श्री ताराचन्द माहेश्वरी—यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही हुई ?

श्री रामस्वरूप यादव—प्रार्थी तथा सदस्य महोदय को जिला पंचायत अधिकारी ने सूचित कर दिया था कि गांव सभाओं में परिवर्तन करने के पूर्व जिला भूमि-सुधार अधिकारी से ग्राम समाज में तदनुसार परिवर्तन करने का अनुरोध करें।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या मंत्री जी कृपा करके यह बतायेंगे कि संबंधित प्रार्थी को और सदस्य को प्रार्थना-पत्र मिलने के कितनों दिनों के बाद सूचना दी गई ?

श्री रामस्वरूप यादव—ठीक समय तो नहीं बतला सकता, लेकिन जितने महीने के अन्दर हुई, यह सूचना दे दी गई थी।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या माननीय मंत्री जी इस संबंध में कोई आदेश देने की कृपा करेंगे कि यदि उनके विभाग से संबंधित वह प्रार्थना-पत्र नहीं था तो विभागीय अधिकारी ने संबंधित विभाग के पास उसे क्यों नहीं भेज दिया ?

श्री रामस्वरूप यादव—मैंने निवेदन यह कर दिया कि ग्राम सभाओं के क्षेत्र का परिवर्तन होता है तो ग्राम समाज का परिवर्तन होना भी आवश्यक हो जाता है। लिहाजा ग्राम समाज का परिवर्तन करने के लिये भूमि सुधार अधिकारी जो होता है उसके पास आवेदन-पत्र जाना चाहिये था, वह आवेदन-पत्र नहीं भेजा गया। अगर माननीय सदस्य की इच्छा हो तो ऐसा आदेश दिया जा सकता है।

*३-४—श्री कल्याण चन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—[२ सितम्बर, १९५७ के लिये प्रश्न ११-१२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

पीलीभीत जिले में सड़कों का निर्माण

*५—श्री प्रताप सिंह (जिला नैनीताल)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि पीलीभीत जिले में प्रथम पंचवर्षीय योजना से अब तक कितने मील लम्बी सड़क बनी है ?

श्री गिरधारी लाल—

	मील	फर्लांग	फुट
पक्की सड़कें	३८	१	२३५
कच्ची सड़कें : मिट्टी का कार्य	८३	२	५२०
पुल एवं पुलियों का कार्य	९१	६	५२०

इनके अतिरिक्त २२ मील ५ फर्लांग लम्बी पीलीभीत-बीसलपुर सड़क को पक्का किया जा रहा है तथा पीलीभीत-गजरौला सड़क के ६ मील पर सीमेंट-कांक्रीट ट्रैक बनाये जा रहे हैं। २३ मील लम्बी पीलीभीत-गजरौला-पूरनपुर सड़क को पक्की करने का कार्य प्रगति में है।

श्री प्रताप सिंह---क्या माननीय निर्माण मंत्री जी यह बतान का कष्ट करेंगे कि ३८ मील, १ फर्लांग, १३५ फीट में जिला पीलीभीत में कौन-सी सड़कें शामिल हैं?

श्री गिरधारी लाल---यह तो सिर्फ पीलीभीत की ही सड़कें हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतलायेंगे कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में पीलीभीत जिले में सड़क बनाने का टारगेट कितना था?

श्री गिरधारी लाल---इस वक्त तो मुझको उसकी कोई इत्तला नहीं है।

श्री प्रताप सिंह---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि यह प्रमुख सड़क कौन-सी है, जो ३८ मील, १ फर्लांग, १३५ फीट लम्बी है?

श्री गिरधारी लाल---इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी।

श्री वीरेन्द्र वर्मा---क्या माननीय मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि जिन सड़कों पर अभी निर्माण कार्य जारी है वे प्रथम पंचवर्षीय योजना की हैं या द्वितीय की?

श्री गिरधारी लाल---कुछ काम पहली योजना का भी इस वक्त जारी है।

श्री शिव प्रसाद नागर---क्या माननीय मंत्री यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि पंचवर्षीय योजना में जो टारगेट रक्खा गया था पीलीभीत में, उसमें कितनी सड़कें बनने को बाकी रह गई हैं?

श्री अध्यक्ष---इसके लिये वे कह चुके हैं कि अभी खबर नहीं है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा---क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन सड़कों पर निर्माण जारी हैं वे कौन-सी सड़कें हैं जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ली गई हैं?

श्री गिरधारी लाल---इसके लिये नोटिस की जरूरत होगी।

झांसी म्युनिसिपल बोर्ड के विरुद्ध शिकायतें

*६---श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि पिछले दो वर्षों से उसके पास झांसी म्युनिसिपल बोर्ड के संबंध में जनता की कुछ शिकायतें और अधिकारियों की कुछ रिपोर्टें आई? अगर हां, तो क्या-क्या? सरकार ने इनके संबंध में क्या कार्यवाही की?

श्री रामस्वरूप यादव---जी हां, झांसी नगरपालिका के प्रबन्ध के बारे में सरकार के पास पिछले दो सालों में समय-समय पर शिकायतें आई हैं। जिलाधीश ने शिकायत की थी कि चुंगी में गबन किया गया है और कुछ मेम्बरों के खिलाफ मुकदमा चलाया जाये। सरकार ने इसकी अनुमति दी। अन्य शिकायतों पर नगरपालिका से जवाब मांगा गया था कि क्यों न उसे अवक्रांत किया जावे। पिछली बार नगरपालिका के उत्तर पर प्रबन्ध सुधारने के लिये ६ माह का समय दिया गया था। जब इस समय के अन्दर भी खास सुधार नहीं हुआ तो नगरपालिका से फिर जवाब तलब किया गया।

इस समय नगरपालिका का उत्तर सरकार के विचाराधीन है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जिलाधीश ने जिन मेम्बरों के खिलाफ मुकदमा चलाये जाने की सिफारिश की थी तो उसके खिलाफ मुकदमा चलाया गया और अगर चलाया गया तो उस मुकदमे में क्या हुआ?

स्वशासन मंत्री (श्री विचित्र नारायण शर्मा)---मुकदमे चल रहे हैं।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या माननीय मंत्री जी उन सदस्यों के नाम या संख्या बतलाने की कृपा करेंगे?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—इसके लिये सूचना की जरूरत होगी।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि वह जो अब दोबारा उत्तर आने की बात विचाराधीन है उसके निर्णय होने की संभावना कब तक है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—उत्तर आने की तो अभी कोई संभावना है नहीं, उसकी वजह से नहीं रुका हुआ है। रुका इसलिये है कि अगर अब हम सुपरसीड भी करते हैं तो ऐसा लगता है कि गुनाह बेलज्जत होगा, दो महीने के लिये क्या करें, लेकिन यह जरूर था कि हमने उनको ताकीद की कि अगर आपका काम इसी तरह से गिरता रहेगा तो हम फौरन सुपरसीड कर देंगे। इधर के जो आंकड़े उन्होंने दिये हैं उनसे ऐसा मालूम होता है कि एक एक महीने में ३०–३०, २५–२५ हजार और ४०–४० हजार तक चुंगी की आय बढ़ गयी है। अब हमने यह सोचा कि इसी डर से अगर काम अच्छा हो जाता है, क्योंकि चुंगी की सब से ज्यादा यही शिकायत थी. तो उनको मौका थोड़ा दे दें जबतक काम थोड़ा-सा गिरता नहीं है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधीश महोदय ने गबन की जो शिकायत की थी वह किन लोगों के खिलाफ थी ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—यह तो मैंने कहा कि हमारे पास फाइल नहीं है। अगर फिर किसी दिन कहें तो नाम बतला दूंगा।

श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या सरकार का विचार है कि झांसी म्युनिसिपल बोर्ड का चुनाव आगामी दो-तीन मास के अन्दर अवश्य कर दिया जाय ?

श्री अध्यक्ष—झांसी का सवाल नहीं है, वह तो सभी बोर्डों के लिये कहा था।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार का यह विचार निश्चित है कि झांसी म्युनिसिपल बोर्ड तथा अन्य म्युनिसिपल बोर्डों का चुनाव आगामी मास में अवश्य कर दिये जायें ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—चुनाव तो सभी का होगा, सिर्फ दो-चार या पांच-सात को छोड़कर जोकि अभी हाल में सुपरसीड किये गये हैं। उनमें भी अगर यह समझेंगे कि चुनाव करा दिये जायं तो करा दिये जायेंगे।

जिला पंचायत विभाग, आजमगढ़ द्वारा जिला पंचायत पत्रिका का प्रकाशन

*७—श्री राम सुन्दर पांडेय—क्या स्वशासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला पंचायत विभाग आजमगढ़ द्वारा जिला पंचायत पत्रिका कब से और कब तक प्रकाशित हुई है तथा प्रत्येक सप्ताह कितना प्रकाशन होता है ?

श्री राम स्वरूप यादव—जिला पंचायत विभाग, आजमगढ़ द्वारा जिला पंचायत पत्रिका का प्रकाशन सर्व प्रथम सन् १९५० में प्रारम्भ हुआ और सन् १९५२–५३ में स्थगित हो गया। अगस्त, १९५५ में इसका प्रकाशन पुनः प्रारम्भ हुआ और बीच में कुछ स्थगन होते हुये जनवरी, १९५६ तक चला। तब से प्रकाशन बन्द है। यह पत्रिका मासिक थी और साधारणतया इसकी प्रकाशन संख्या २,००० थी।

*८—श्री राम सुन्दर पांडेय—क्या स्वशासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि गवर्नमेंट पंचायत पत्रिका की कीमत सन् १९५० से मार्च सन् १९५७ के लगभग ५० हजार रुपया आजमगढ़ जिले की गांव सभाओं के जिम्मे बाकी है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री रामस्वरूप यादव—सन् १९५६–५७ तक गवर्नमेंट पंचायत पत्रिका का २३,०४९ रु० ५० नये पैसे आजमगढ़ जिले की गांव सभाओं के जिम्मे बाकी है। इसका मुख्य कारण गांव सभाओं के पास धन का अभाव होना है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या स्वशासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला पंचायत पत्रिका के प्रकाशन मंडल में कौन-कौन व्यक्ति थे और कितने वैतनिक और कितने अवैतनिक थे ?

श्री रामस्वरूप यादव—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह पत्रिका किस प्रेस में छपा करती थी ?

श्री रामस्वरूप यादव—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या स्वशासन मंत्री को यह ज्ञात है कि अभी जो उनके पास आडिट रिपोर्ट आई है उसमें भी इसकी शिकायत की गयी है कि पंचायत पत्रिका २,००० मासिक छपती नहीं थी, किन्तु पैसा उसका २,००० का दिया जाता था ?

श्री रामस्वरूप यादव—ऐसी तो कोई शिकायत मेरे पास फाइल में नहीं है। अगर कोई होगी तो देख लूंगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जिला पंचायत पत्रिका आजमगढ़ यू०पी० सरकार के आदेश से निकलती है या जिला पंचायत आजमगढ़ स्वयं निकालती है ?

श्री रामस्वरूप यादव—सरकार की तरफ से नहीं, बल्कि स्वयं।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या स्वशासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला पंचायत पत्रिका का भुगतान सुपरिंटेंडेंट स्टेशनरी, इलाहाबाद की स्वीकृति से किया गया है या जिला पंचायत के अधिकारी अपने मन से ही कर दिया करते थे ?

श्री रामस्वरूप यादव—नोटिस की आवश्यकता है।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस पत्रिका के छपवाने के कार्यकाल में कितना घाटा हुआ है ?

श्री रामस्वरूप यादव—घाटे के बारे में न तो प्रश्न ही पूछा गया था और न मेरे पास आंकड़े ही हैं, इसलिये मैं नहीं कह सकता कि घाटा हुआ है या नहीं। लेकिन पंचायत के ऊपर रुपया बाकी है।

जिला बोर्डों के चुनाव के सम्बन्ध में जानकारी

*९—श्री प्रतापसिंह—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला बोर्ड के चुनाव ९ वर्षों से क्यों नहीं किये गये ?

श्री रामस्वरूप यादव—जिला बोर्डों के पिछले आम चुनाव अप्रैल-मई सन् १९४८ में हुए थे और उसके बाद नये चुनाव सन् १९५२ में होने चाहिये थे। अतः सन् १९५२ से पहिले चुनाव होने का प्रश्न ही नहीं उठता। आम चुनाव ३१ दिसम्बर सन् १९५२ तक सन् १९५१ की जनसंख्या के आंकड़े प्राप्त न होने और तदुपरान्त अभी तक जिला बोर्डों के पुनस्संगठन की आवश्यकता के कारण स्थगित होते रहे।

श्री प्रतापसिंह—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि १९५२ के चुनाव १९५१ की जनसंख्या पर हुये थे तो जिला बोर्डों के चुनाव के लिये कौन से आंकड़ों की जरूरत थी ?

श्री रामस्वरूप यादव—पुनस्संगठन की आवश्यकता थी। १९५२ में तय हो चुका था कि दुबारा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट को संशोधित करके चुनाव कराये जायं जो सरकार के विचाराधीन है और अभी तक निश्चय नहीं हो सका है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १९५१ की जनसंख्या के आंकड़े और जिला बोर्ड के आम चुनाव से क्या संबंध है ?

श्री रामस्वरूप यादव—पहले प्रश्न का उत्तर यह था कि १९५२ में जो चुनाव हुआ था वह १९५१ की जनसंख्या के आधार पर हुआ था, इसलिये बतलाया गया है ।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पुनस्संगठन पर विचार पांच साल से करने के बाद कब तक इलेक्शन करायेंगे ?

श्री रामस्वरूप यादव—यह आशा की जाती है कि इसी साल दिसम्बर तक करायेंगे ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि आवश्यक संशोधनों के अभाव में पांच साल से चुनाव नहीं हुआ है तो उनको लाने के बाद सरकार अगले ५-६ महीनों में चुनाव कराने का इरादा रखती है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—मैंने इस सम्बन्ध में निवेदन किया था कि यह प्रश्न सरकार के गौर तलब है । लेकिन बहुत मुमकिन है कि यह चुनाव न भी हों । लेकिन उसी दशा में न कराये जायंगे जब तक हम निश्चित रूप से जो पुनस्संगठन का आकार है, उसको शीघ्र ला सकें और वह भी मामूली तरीके से नहीं, बल्कि ज्यादा तौर पर अधिकार दे सकें और उनको एनलार्ज कर सकें । यह दोनों ही डिसीशन्स हम जल्दी में करना चाहते हैं । अगर डिसीशन लेने में देर होती है और हम चुनाव कराना चाहते हैं तो उसके लिये समय नहीं बचेगा । मुमकिन है कि इधर निश्चय हो जाय, मुमकिन है उधर निश्चय हो जाय, इस स्थिति में हम हैं ।

श्रीमती चन्द्रावती (जिला बिजनौर)—क्या माननीय मंत्री जी इस पर विचार करने की कृपा करेंगे कि इस प्रदेश में जिला बोर्डों को भंग कर दिया जाय ?

श्री अध्यक्ष—यह तो सुझाव है ।

श्री सुल्तान आलम खां (जिला फर्रुखाबाद)—क्या सरकार डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के रिआर्गेनाइजेशन के सिलसिले में जल्दी ही ऐडहाक कमेटी बिठाना चाहती है । जो गौर करने के बाद अपनी रिपोर्ट दे, जिससे अमेंडिंग बिल लाया जा सके ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—इससे पहले सरकार कुछ निर्णय पर पहुंचना चाहती है और उसके लिये जैसा कि मैंने निवेदन किया था कि हम अधिक से अधिक जो माननीय सदस्य हैं चाहे इस पक्ष के हों, चाहे विपक्ष के हों, सब की राय लेंगे और उनसे सलाह करना चाहेंगे । कुछ निश्चय पर पहुंच जाने के बाद फिर डिटेल्स में वर्क आउट करने के लिये जो जरूरत होगी कमेटी बनायी जायगी ।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मेरे प्रश्न के उत्तर में जिला बोर्डों का चुनाव दिसम्बर तक कराने के लिये कहा गया और माननीय मंत्री जी ने कहा कि हम अभी विचार कर रहे हैं । मैंने पहले उत्तर के संबंध में कहा था कि पांच वर्ष की जरूरत के बाद कब तक निर्णय सदन के सामने आयेगा ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—यह तो जो मैंने निवेदन किया था उसको यदि ध्यान से सुना होता, तो प्रश्न नहीं उठता । मैंने यह कहा कि शीघ्र ही १०, १५ दिनों में या तो इधर या उधर निश्चय हो जायगा ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या यह सही है कि सरकार ने एक कमेटी बनाई थी उसने अपनी रिपोर्ट जो दी है वह कब तक आ जायगी ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---शायद यह प्रश्न ही न उठे, क्योंकि यदि यह निर्णय किया जाता है तो यह ज्यादा कम्प्रीहेंसिव और व्यापक होगा, वैसे अगर विचार करने के लिए आवश्यकता हुई तो माननीय सदस्यों को वह दी जा सकती है ।

श्री रामकृष्ण सारस्वत (जिला फर्रुखाबाद)---क्या सरकार बताने की कृप करेगी कि १९५२ से लेकर १९५७ तक जिला बोर्डों के पुनर्गठन के लिये क्या क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---इसके विचार के लिये पहले सब कैबिनेट कमेटी बनी थी। उसकी रिपोर्ट आई, उस पर विचार हुआ, लेकिन बीच में इलेक्शन आते रहे और दूसरी तरफ दिक्कतें पड़ती रहीं, इसलिये निश्चय नहीं हो सका। इसी स्थिति में सरकार है ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा---क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जो यह प्रश्न विचारणीय है वह कैबिनेट के सन्मुख है अथवा कैबिनेट उपसमिति के सन्मुख है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---यह तो साफ बात है कि कैबिनेट के सम्मुख है।

सहारनपुर--दिल्ली--शाहदरा पक्की सड़क का निर्माण

*१०---श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सहारनपुर-दिल्ली-शहादरा पक्की सड़क कब तक बन कर पूरी हो जायेगी ?

श्री गिरधारीलाल---आशा है कि मार्च, १९५८ तक यह सड़क बनकर पूरी हो जायेगी।

*११---श्री रामचन्द्र विकल---क्या सरकार बतायेगी कि किन-किन स्थानों पर यह सड़क नहीं बनी है और क्यों और अब बाईपास किस-किस स्थान पर निकाले जाने वाले हैं ?

श्री गिरधारीलाल---मुजफ्फरनगर जिले में शामली तथा ऐलम पर तथा बागपत शहादरा भाग के ३ मील के टुकड़े पर कार्य होना शेष रह गया है । शामली तथा ऐलम में सड़क के संरेखण (alignment) के बारे में देर में निर्णय होने के कारण कार्य देर से आरम्भ हुआ। बागपत-शहादरा भाग सितम्बर, १९५५ में निर्माण के लिये स्वीकृत किया गया था। इस भाग पर कार्य प्रगति में है और इस पर कोई विलम्ब नहीं है । अब बाईपास किसी भी स्थान पर नहीं निकाले जाने वाले हैं।

श्री रामचन्द्र विकल---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि बाजपुर-शहादरा सड़क, जिस पर सन् १९५५ में कार्य हुआ था और प्रगति भी आपने बताई कि हुई थी, वह कितने मील बनी और कितने मील शेष है ?

श्री गिरधारीलाल---वह सड़क करीब करीब बन गयी है और अगस्त तक पूरी हो जायगी। दस मील तक इंटर कोट हो गया है और चार मील तक टार कोट हो गया है और बाकी में मिट्टी पड़ी है ।

श्री दीनदयालु शर्मा (जिला बुलन्दशहर)---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो दिल्ली-सहारनपुर सड़क बन रही है वह बीच में से रुकी हुई है या किसी एक सिरे से रुकी हुई है ?

श्री गिरधारीलाल---वह सड़क बीच में दो एक स्थान पर रुकी थी, लेकिन अब तो यह नहीं कहा जा सकता कि रुकी हुई है। जैसा मैंने जवाब में कहा, मुजफ्फरनगर में शामली और ऐलम दो स्थान हैं जहां पर बाई-पास का झगड़ा था ।

लखनऊ में पानी की कमी

*१२--श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)---क्या सरकार को यह विदित है कि लखनऊ के पश्चिमी व उत्तरी भाग में गर्मियों के दिनों में नलों द्वारा पानी बहुत कम प्राप्त होता है ?

श्री रामस्वरूप यादव---जी हां।

*१३--श्री त्रिलोकीसिंह---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि नलों द्वारा पर्याप्त मात्रा में पानी पूरे लखनऊ नगर में पहुंचाने के हेतु इस समय तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री रामस्वरूप यादव---माननीय सदस्य ने इस विषय पर एक विशेष प्रस्ताव रखा था जिस पर सदन ने ९ मई, १९५७ की बैठक में उनको यह सूचित कर दिया था कि लखनऊ वाटरवर्क्स का पुनर्निर्माण पूर्ण होने में काफी समय लगेगा तथा उसके पश्चात् ही पूरे लखनऊ नगर में पानी समुचित मात्रा में पहुंच सकेगा। देरी का मुख्य कारण पूंजी की कमी है।

श्री गौरीशंकरराय---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब तक यह व्यवस्था पूर्णता को प्राप्त होगी तब तक के लिये कोई आल्टर्नेटिव इन्तजाम पानी के लिये किया गया है ?

श्री रामस्वरूप यादव---कोई दूसरा खास इन्तजाम तो नहीं किया गया है, लेकिन ट्यूबवेल्स बनाये जा रहे हैं, जिनके जरिये से यह प्रयत्न किया जा रहा है कि जितना ज्यादा से ज्यादा पानी दे सकें वह दिया जाय।

श्री गौरीशंकर राय---क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जब तक सरकार पूर्ण जल की व्यवस्था करने में असमर्थ है तब तक जल पर लगे हुये टैक्स में कोई छूट देने की बात पर विचार करेंगे ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---जी नहीं।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि कितने ट्यूबवेल्स लग रहे हैं, उनकी कपैसिटी क्या है और उनसे पानी का वितरण किस प्रकार होता है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---इसके लिये सूचना की जरूरत है, यहां सामग्री नहीं है।

मजदूरों को कोआपरेटिव यूनियनों द्वारा कर्ज देने का सुझाव

*१४--श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में किन-किन शहरों में मजदूरों को तथा उनकी कोआपरेटिव यूनियनों को कर्जा देने की व्यवस्था की गई है तथा किस-किस शहर में कितना-कितना कर्ज दिया गया है ?

सहकारिता मंत्री (श्री मोहनलाल गौतम)---इस प्रदेश में मजदूरों की केवल दो सहकारी समितियां हैं और दोनों ही टेहरी गढ़वाल में हैं। ये सोसाइटियां जिले की कोआपरेटिव फेडरेशन से सम्बद्ध हैं, जिसके बाई-लाज में कर्ज देने की व्यवस्था नहीं है और उन्होंने इसीलिये कर्ज के लिये प्रार्थना-पत्र नहीं दिया।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मजदूरों की ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये सरकार कोई कोआपरेटिव बोर्ड का प्रबंध कर रही है ? अगर हां, तो क्या ?

श्री मोहनलाल गौतम---यह तो सहकारिता आन्दोलन का एक आवश्यक अंग है और इसमें क्या-क्या हो रहा है उसे विस्तार के साथ इस समय यहां नहीं कहा जा सकता, लेकिन यह चीज़ सामने है।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इन मजदूर यूनियनों को कर्जा देने की दृष्टि से क्या वहां के बैंक्स के बाई-लाज में परिवर्तन किया जा सकता है ?

श्री मोहनलाल गौतम---मैंने जो टेहरी गढ़वाल का जिक्र किया वह बैंक से संबंधित नहीं है। वह कोआपरेटिव फेडरेशन का है और इसके साथ-साथ अगर वहां और डिस्ट्रिक्ट बैंक्स हों, तो उनमें कर्जा देने की सुविधा ज्यादा हो जायगी।

श्री रामदास आर्य (जिला मुजफ्फरनगर)---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि ये सोसाइटियां जो बनी हैं ये किन-किन कार्यों के लिये कर्जा देती हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम---यह कर्जा देती नहीं हैं। सवाल यह था कि इनको कर्जा क्यों नहीं मिलता। अगर यह जानना चाहते हैं कि यह क्या-क्या कार्य करती हैं तो मैं बतला सकता हूं।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उन क्षेत्रों में जहां बैंक्स नहीं हैं, वहां नये कोआपरेटिव बैंक खोलने के बारे में सरकार विचार कर रही है ?

श्री मोहनलाल गौतम---जी हां, यह एक बड़ा प्रश्न है कि सारे सूबे में बैंकिंग फैसिलिटीज कैसे हों और इसके बारे में जितने भी अमली कदम उठा सकते हैं उठाने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री सूरतचन्द रमोला (जिला टेहरी-गढ़वाल)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गढ़वाल में जो मजदूरों की सोसाइटियां हैं उनके क्या-क्या नाम हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम---दो सोसाइटियां हैं। एक है श्रमिक सहकारी समिति, टेहरी और दूसरी है वन सहकारी समिति, घरासू बड़ेरी।

श्री सूरतचन्द रमोला---यह जो श्रमिक सहकारी समिति है, क्या माननीय मंत्री जी बता सकेंगे कि इसके पास कितना कैपिटल है ?

श्री मोहनलाल गौतम---समिति में, ३,६८५ रुपया हिस्सा पूंजी २२३ सदस्यों की है। समिति ने प्रथम वर्ष में २०० श्रमिकों को काम दिया और ६३,००० रुपये का श्रम दिया। दूसरे वर्ष में २०० श्रमिकों को कार्य दिया और ८०,००० रुपये का श्रम दिया। इस वर्ष भी ४०० श्रमिकों को कार्य दिया और ६५,००० रुपये का श्रम दिया। इन कार्यों को करने में क्रमशः ४,४८०; ८,११९ तथा ५,७३८ रुपये का लाभ रहा। समिति ने पिछले वर्ष सदस्यों को १,३५३ रुपया बोनस---एक हिस्से पर १० फीसदी---दिया और समिति के पास २,७०७ बचत पूंजी तथा ३४० रुपया भवन फंड तथा १४१ रुपया कल्याण फंड में है।

फीरोजाबाद नगरपालिका को निर्माण-कार्य हेतु दिये गये अनुदान का उपयोग

*१५---**श्री जगन्नाथ लहरी** (जिला आगरा)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गत तीन सालों में उसने फीरोजाबाद नगरपालिका को मार्ग तथा अन्य निर्माण कार्यों के लिये कितना अनुदान दिया है और नगरपालिका ने उसका कितना उपयोग किया ?

श्री रामस्वरूप यादव---गत तीन वर्षों में नगरपालिका फीरोजाबाद को निर्माण-कार्य हेतु निम्नलिखित अनुदान दिया गया है। नगरपालिका द्वारा इन अनुदानों का जितना भाग उपयोग किया गया उसका आंकड़ा भी नीचे दिखाया गया है :—

वित्तीय वर्ष	अनुदान रु०	व्यय रु०
१९५४--५५	३८,६००	३७,४५८
१९५५--५६	६४,२००	५७,८१८
१९५६--५७	३१,१५०	..

श्री जगन्नाथ लहरी---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५६-५७ में जो रुपया अनुदान का दिया गया ह उसको नगरपालिका ने क्यों नहीं व्यय किया ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा---इसका उत्तर यह है कि फरवरी में उनको स्वीकृति मिली थी। डी० एम० के पास इस्टीमेट गये हैं। स्वीकृति मिलने पर वह काम शुरू कर देंगे।

फीरोजाबाद में सब-रजिस्ट्रार का न्यायालय बन्द होना

*१६---श्री जगन्नाथ लहरी---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि फीरोजाबाद नगर में स्थापित सब-रजिस्ट्रार का न्यायालय अब क्यों बन्द कर दिया गया है ?

न्याय उपमंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)---फीरोजाबाद के सब-रजिस्ट्रार का, जो मैजिस्ट्रेट का काम भी करते थे, हाल में तबादला हो गया है और उनकी जगह पर जो नये-सब-रजिस्ट्रार नियुक्त हुये हैं उनको मैजिस्ट्रेट के अधिकार देने के बारे में अभी जिलाधीश के यहां से कोई तजवीज नहीं आयी है।

श्री जगन्नाथ लहरी---क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिन सब-रजिस्ट्रार के तबादले का उत्तर में जिक्र है, उनके मौजूद रहते हुए कई महीने पहले ही न्यायालय बन्द कर दिया गया था ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---जी हां, कई मास पूर्व तो नहीं, परन्तु कुछ समय पूर्व उनकी मैजिस्टीरियल पावर्स को सस्पैन्ड किया गया था।

श्री जगन्नाथ लहरी---क्या माननीय मंत्री को मालूम है कि फीरोजाबाद का न्यायालय बन्द हो जाने के बाद फीरोजाबाद तहसील के नागरिकों को ऐतमादपुर और आगरा जाना पड़ता है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---इसके सम्बन्ध में जैसा जिलाधिकारी सिफारिश करेंगे उस पर विचार किया जायगा।

श्री जगन्नाथ लहरी---क्या न्यायालय की कमी के कारण सरकार वहां कोई आनरेरी मैजिस्ट्रेटों की बैंच स्थापित करने का विचार रखती है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---इसके सम्बन्ध में यदि जिले से सिफारिश आयी तो विचार किया जायगा।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा)---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि रजिस्ट्रार की पावर्स क्यों सस्पैण्ड की गयी थीं।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---कुछ शिकायतें उनके सम्बन्ध में आयी थीं और यह आवश्यक हो गया कि उन पर विचार किया जाय और कार्यवाही की जाय।

कानपुर में अल्प आय वर्ग योजना के अन्तर्गत भवन निर्माणार्थ कानपुर विकास बोर्ड द्वारा ऋण

*१७--श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कानपुर शहर के कम आय समूह के व्यक्तियों को भवन निर्माण हेतु कानपुर विकास बोर्ड द्वारा कितना ऋण दिया गया है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--सरकार ने अभी तक कानपुर विकास बोर्ड को अल्प आय वर्ग योजना के अन्तर्गत भवन निर्माण के लिये कुल ८२,५५,००० रु० ऋण दिया है। इस धनराशि में से बोर्ड ने उक्त उद्देश्य के लिए ७८,५७,१०० रु० स्वीकृत किया है, जिसमें से ६०,३८,४३८ रु० वितरित किया जा चुका है।

*१८--श्री मुरलीधर कुरील--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कानपुर विकास बोर्ड के पास कितने प्रार्थना-पत्र ऋण प्राप्त करने के लिये प्राप्त हुये हैं और उन्हें कब तक ऋण प्राप्त हो जायेगा ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--कानपुर विकास बोर्ड के पास ३१ माई, १९५७ तक ऋण के लिये कुल १,६३५ प्रार्थना-पत्र पहुंचे थे, जिनमें से १,१६९ प्रार्थना-पत्रों पर ऋण स्वीकृत किया गया है। शेष प्रार्थना-पत्रों को ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति न होने के कारण स्वीकृत नहीं किया गया।

श्री मुरलीधर कुरील--क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस साल इस योजना के अन्तर्गत विकास के लिये वह कितना धन दे रहे हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव--इसके लिये केन्द्रीय सरकार से धन प्राप्त नहीं हुआ है।

बरेली नगरपालिका द्वारा दर्जीगीरी की शिक्षा का नया ग्रेड स्वीकार करने की मांग

*१९--श्री जगदीशशरण अग्रवाल (जिला बरेली)--क्या सरकार को पता है कि नगरपालिका बरेली में दर्जीगीरी के शिक्षा का ग्रेड २० रु० मासिक है और वहां की नगरपालिका ने १०-१-५६ को प्रस्ताव द्वारा ५०-३-६५ का ग्रेड स्वीकार करने को सरकार की अनुमति मांगी है ?

श्री रामस्वरूप यादव--जी हां।

*२०--श्री जगदीशशरण अग्रवाल--क्या सरकार बरेली नगरपालिका की सिफारिश को स्वीकार करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री रामस्वरूप यादव--मामला विचाराधीन है।

श्री जगदीश शरण अग्रवाल--क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि वे कौन सी कठिनाइयां हैं, जिनके कारणवश १८ माह बाद भी इसका निबटारा नहीं हो पाया है ?

श्री रामस्वरूप यादव--इसको डायरेक्टर आफ इंडस्ट्रीज के पास उनकी राय के लिये भेजा गया था। उनके पास से अभी वापस नहीं आया है।

श्री जगदीश शरण अग्रवाल--डायरेक्टर आफ इंडस्ट्रीज को यह प्रश्न कब भेजा गया था ?

श्री रामस्वरूप यादव--प्रस्ताव आ जाने के कुछ ही दिन बाद भेजा गया था लेकिन वहां से अभी लौट कर नहीं आया है।

श्री जगदीश शरण अग्रवाल—क्या माननीय मंत्री जी इस विलम्ब का कारण इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट से पूछने की कृपा करेंगे ?

श्री रामस्वरूप यादव—अवश्य ही। जल्दी ही प्रयत्न करके कागजात मंगा लिये जायेंगे।

सहकारिता विभाग के कामदारों का वेतन व भत्ता

*२१—श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद) (अनुपस्थित)—क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार के सामने यह प्रश्न विचाराधीन है कि सहकारिता विभाग के कामदारों का भी वेतन और मंहगाई का भत्ता कृषि विभाग के कामदारों के बराबर कर दिया जाय ? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री मोहनलाल गौतम—जी नहीं।

सहकारिता विभाग के कामदारों का वेतन तथा मंहगाई भत्ता बढ़ाने के सवाल को तय करना Provincial Coop. Union के ऊपर निर्भर है।

मुकदमों के निर्णय की अवधि के सम्बन्ध में न्यायालयों को आदेश

*२२—श्री रामहेतसिंह (जिला मथुरा)—क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अदालतों में एक निश्चित अवधि के ही अन्दर निर्णय हो जाया करे तथा जिस मुकदमें की सुनवाई उस दिन न हो, उसकी सूचना संबंधित व्यक्तियों को पहले से मिल जाया करे, इस प्रकार के कोई आदेश सरकार ने भेजे हैं ? यदि हां, तो क्या उनकी एक-एक प्रति वह सदन की मेज पर रखेंगी ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—ऐसे कोई विशेष आदेश नहीं जारी किये गये हैं कि अदालतों में एक निश्चित अवधि के अन्दर मुकदमों का निर्णय किया जाय, लेकिन हाईकोर्ट द्वारा बनाये गये जनरल रूल्स (General rules) में अदालतों के लिये निर्देश है कि अगर किसी कत्ल के मुकदमे में दो महीने से ज्यादा समय लग जाय या ओरिजिनल सूट (Original Suit) में एक साल से ज्यादा लग जाय तो हाईकोर्ट को स्पष्टीकरण देना पड़ता है। मुकदमें साधारणतया संबंधित पक्षों के उपस्थिति में ही स्थगित कर दिये जाते हैं। इसलिये पहले से सूचना देने का प्रश्न नहीं उठता, लेकिन हाईकोर्ट द्वारा यह आदेश है कि पीठासीन अधिकारी (Presiding Officer) जब कभी अल्प अवकाश पर जायं तो वे मुकदमें के स्थगन के संबंध में संबंधित पक्षों को समय से सूचना दे दें। इस आदेश की एक प्रति संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ७२६ पर)

श्री रामहेत सिंह—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि न्याय सस्ता और शीघ्र मिल सके इस बात को ध्यान में रखते हुये क्या सरकार ऐसे आदेश जारी करने जा रही है कि जिससे माल और फौजदारी के मुकदमें निश्चित अवधि में तय हो सके ?

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)—यह संभव नहीं है कि कोई मियाद मुअय्यन कर दी जाय कि इतने दिनों में इसका फैसला कर ही दिया जाय, लेकिन बराबर इस किस्म के आदेश दिये जाते रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके मुकदमों का फैसला किया जाय और जल्दी काम खत्म किया जाय।

श्री रामहेत सिंह—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि कचेहरियों में तारीखों पर जाने की परेशानी से बचने के लिये क्या सरकार कोई ऐसा प्रबन्ध करने जा रही है, जिससे अगर तारीख मुल्तवी की जाय तो उसकी सूचना संबंधित व्यक्ति को पहले से दी जा सके ?

श्री अध्यक्ष—इसका जवाब दिया जा चुका है।

श्री शिवप्रसाद नागर—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जब न्याय अधिकारी दौरे पर पूर्व की तरफ जाते हैं तो पश्चिम के रहने वालों के मुकदमें लगाते हैं और जब पश्चिम की तरफ जाते हैं तो पूर्व की तरफ रहने वालों के मुकदमें लगाते हैं, तो क्या सरकार उनको इस प्रकार आदेश देगी कि वे जिस तरफ जायं उसी तरफ के लोगों के मुकदमें लगायें?

श्री सैयद अली जहीर—आम तौर पर तो यही होना चाहिये कि जिधर वे दौरे पर जायं उसी तरफ के मुकदमें लगायें और उन्हें फैसल करें, जिससे जनता को तकलीफ न हो और उम्मीद है कि ऐसा ही होता है, लेकिन बाज औकात मुमकिन है ऐसी सूरत होती हो कि कोई मुकदमा चालू हो और उसी दौरान में दूसरी तरफ दौरे में जाना पड़े और उसको जारी रखने के लिये उसकी तारीख दूसरी जगह रखनी पड़े। इसके लिये जब तक किसी खास मामले की इत्तला न होगी तब तक आमतौर से यही समझा जायगा कि जो उसूल है उन्हीं की पाबन्दी होती है।

टांडा नगरपालिका के जूनियर हाई स्कूल की इमारत का किराया

*२३—श्री देवीप्रसाद मिश्र (जिला फैजाबाद) (अनुपस्थित)—क्या सरकार को यह ज्ञात है कि म्युनिसिपल बोर्ड, टांडा ने ३ वर्ष पहिले अपना जूनियर हाई स्कूल तोड़ कर उसकी इमारत एक ऐसी संस्था को ५० रु० प्रतिमास किराये पर दे दी, जिसके व्यवस्थापक स्वयं चैयरमैन म्युनिसिपल बोर्ड हैं, जब कि दूसरी संस्थाएं उसका किराया १०० रु० प्रतिमास देने को तैयार थीं और अब तक एक महीने का भी किराया वसूल नहीं हो सका?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जांच से मालूम हुआ है कि यह इमारत श्रीमती मिलनर व्हाइट कन्या पाठशाला मुबारकपुर, जोकि एक रजिस्टर्ड संस्था है, के मंत्री को ५० रु० मासिक किराये पर दी गयी है; जिसका चेयरमैन म्युनिसिपल बोर्ड, टांडा से कोई संबंध नहीं है। उस इमारत को १०० रु० मासिक किराये पर लेने का कोई ठोस प्रस्ताव बोर्ड के पास नहीं आया था। अभी तक इस इमारत के किराये के रूप में बोर्ड को १,१०० रु० वसूल हो चुका है।

टांडा नगरपालिका को तृतीय श्रेणी में मानने की प्रार्थना

*२४—श्री देवी प्रसाद मिश्र (अनुपस्थित)—क्या सरकार को यह मालूम है कि टांडा म्युनिसिपल बोर्ड की आय इतनी है कि बोर्ड तीसरे दर्जे का माना जाये। यदि हां, तो इसे अभी चौथे दर्जे का क्यों रखा गया है?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—म्युनिसिपल बोर्ड से आवश्यक सूचना मांगी गयी है। सूचना आने पर उसकी श्रेणी निर्धारित की जायगी।

*२५—श्री नारायणदत्त तिवारी [२७ अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किया गया।]

हरदोई जिले में नगरपालिका पिहानी के अध्यक्ष का रिक्त स्थान

*२६—श्री मोहनलाल वर्मा (जिला हरदोई)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि नगरपालिका पिहानी, जिला हरदोई के अध्यक्ष के विरुद्ध लगभग १० महीने हुये अविश्वास का प्रस्ताव पास हुआ था? यदि हां, तो क्या कारण है कि सरकार अध्यक्ष पद का चुनाव इतने दिनों से नहीं करा रही है?

श्री रामस्वरूप यादव—जी हां, अध्यक्ष पद का चुनाव न होने का कारण यह है कि उक्त पद अभी रिक्त नहीं हुआ है। हाई कोर्ट ने अध्यक्ष महोदय की रिट पिटीशन के तै हो जाने तक के समय के लिये उन्हें न निकालने की आज्ञा जारी की है।

हरदोई जिले की पिहानी नगरपालिका के सदस्यों के विरुद्ध शिकायत

*२७--श्री मोहनलाल वर्मा--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि नगरपालिका पिहानी, जिला हरदोई में पिछले तीन वर्षों से नगरपालिका के सदस्य सार्वजनिक निर्माण के कार्य अधिकतर स्वयं कराते हैं और उसका भुगतान (Payment) सदस्यों को स्वयं (cheque) द्वारा और नकद दिया जाता है?

श्री रामस्वरूप यादव--ऐसा तो नहीं जान पड़ता। सरकारी सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों में केवल पिहानी गर्ल्स स्कूल (खुर्द) की मरम्मत का काम श्री बाकर अली, सदस्य नगरपालिका पिहानी को सेक्रेटरी द्वारा सौंपा गया था। मजदूरी ७८ रु०-८ आ० श्री बाकर अली ने अपने पास से दी थी जिसका भुगतान उनको बाद में बोर्ड ने नकद किया।

श्री मोहनलाल वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि बोर्ड के और भी कई सदस्यों तथा बोर्ड के अध्यक्ष महोदय ने इसी प्रकार तीन वर्ष तक कार्य कराये हैं, कोई सूचना इस प्रकार की है?

श्री रामस्वरूप यादव--इस प्रकार की कोई सूचना नहीं है। एक सदस्य से २० रुपये की ईट जरूर खरीदी गयी थी, उसका उनको पेमेंट कर दिया गया है, लेकिन वह भी उनको वसूल नहीं हुआ है, क्योंकि जो चेक दिया गया था वह उन्होंने खो दिया।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि उन्होंने म्युनिसिपल ऐक्ट में कुछ परिवर्तन कर दिया है, जिससे मेंम्बरान भी म्युनिसिपैलिटी के काम का ठेका लें और उससे मुनाफा लिया करें?

श्री राममस्वरूप यादव--न ऐसा नियमों में परिवर्तन किया गया है और न ठेका ही दिया जाता है। काम सेक्रेटरी ने किया है, निगरानी स्वयं सदस्य महोदय ने की थी। जो मजदूरी थी उसकी अदायगी में देर हो रही थी तो उन्होंने अपने पास से रुपया दे दिया था। सेक्रेटरी ने बाद में वसूल करके उनको रुपया दे दिया।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या सरकार माननीय सदस्य संडीला के प्रश्न को सूचना मानकर इस संबंध में जांच करायेगी?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--जी नहीं।

*२८--श्री रामसुन्दर पांडेय--[२७ अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किया गया।]

गोंडा म्युनिसिपल बोर्ड का चुनाव

*२९--श्री बलदेव सिंह (जिला गोंडा) (अनुपस्थित)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोंडा म्युनिसिपल बोर्ड का चुनाव कब होगा?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--गोंडा म्युनिसिपल बोर्ड का चुनाव स्थानीय निकायों के आगामी आम चुनावों के साथ अक्तूबर, १९५७ में कराने का विचार है।

गोंडा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अध्यक्ष का चुनाव

*३०--श्री बलदेव सिंह (अनुपस्थित)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोंडा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया और वह इस्तीफा स्वीकार हो गया?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--जी हां।

*३१--श्री बलदेव सिंह (अनुपस्थित)--यदि हां, तो गोंडा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड क अध्यक्ष का चुनाव कब होने जा रहा है?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--डिस्ट्रिक्ट बोर्ड गोंडा के अध्यक्ष का चुनाव १८ मई, १९५७ को हो गया है।

अल्मोड़ा-खेरना मोटर मार्ग का निर्माण

*३२--श्री गोविंदसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)--क्या सार्वजनिक निर्माण विभाग (P. W. D. B. and R.) के मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अल्मोड़ा-खेरना मोटर मार्ग का निर्माण पुलों सहित मोटर चलाने के लिये कब तक पूर्ण हो जायेगा ?

श्री गिरधारीलाल--अल्मोड़ा-खेरना मोटर मार्ग का निर्माण पुलों सहित आगामी दिसम्बर मास तक पूर्ण होने की आशा की जाती है।

श्री गोविंदसिंह विष्ट--क्या माननीय मंत्री जी प्रश्न संख्या ३२ के सिलसिले में बतलाने का कष्ट करेंगे कि यह पुल दिसम्बर तक पक्का बन जायगा ?

श्री गिरधारीलाल--मुझे इत्तला तो इस वक्त मुहकमे की इसी किस्म की है कि दिसम्बर तक बन जायगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या यह सही है कि इस अल्मोड़ा-खेरना मोटर मार्ग का उद्घाटन माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी स्वयं पिछले जून मास में कर चुके हैं ?

श्री गिरधारीलाल--जी हां, इसका उद्घाटन हो गया है और काम चलाने के लिये लकड़ी का पुल बना दिया गया है, जिससे ट्रैफिक बहुत अच्छी तरह से आ जा सकता है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस समय अल्मोड़ा-खेरना मोटर मार्ग पर मोटर ओनर्स यूनियन की गाड़ियां चल रही हैं या ट्रान्सपोर्ट विभाग की ?

श्री गिरधारीलाल--यह प्रश्न अभी इन दोनों के बीच में तय हो रहा है और बहुत जल्द इसका फैसला हो जायगा।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे--क्या यह सही है कि इस सड़क पर अभी कुछ दिन हुए एक ट्रक गिर गई थी और उससे ३ आदमी मर गये ?

श्री गिरधारीलाल--जिस सड़क की दुर्घटना माननीय सदस्य ने बताई उस पर कोई मोटर नहीं गिरी। न कोई मरा।

बागेश्वर-कपकोट मार्ग का निर्माण

*३३--श्री गोविंदसिंह विष्ट--क्या सरकार बतायेगी कि बागेश्वर-कपकोट मार्ग में कब से काम चालू हुआ और यह मार्ग अब तक मोटर चलाने योग्य क्यों नहीं बनाया जा सका ?

श्री गिरधारी लाल--सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा इस मार्ग पर अप्रैल, १९५६ से कार्य आरम्भ किया गया है। पुलों की संख्या अधिक होने के कारण इस मार्ग के पूर्ण होने में अधिक समय लग रहा है। अधिकांश सड़क पूरी की जा चुकी है तथा इस पर यातायात की सुविधा के लिये अस्थायी लकड़ी के पुल बना दिये गये हैं और लगभग ढाई महीने से गल्ला ढोने के लिये मोटरगाड़ियां भी चल रही हैं।

श्री गोविंदसिंह विष्ट--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह जो मार्ग बनाने की भूमि काटी गयी है इसका कोई मुआवजा वहां के काश्तकारों को दिया गया है ?

नोट--तारांकित प्रश्न ३३ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

श्री गिरधारीलाल---जितनी सड़क पी० डब्ल्यू० डी० बनाती है उसकी भूमि का मुआवजा देती है। यह सड़क पी० डब्ल्यू० डी० ने प्लानिंग डिपार्टमेंट से ली थी। मेरा ख़याल है कि प्लानिंग डिपार्टमेंट ने श्रमदान के जरिये सड़क बनवायी होगी और आपस में मिलाजुला कर यह जमीन भी ली गयी होगी।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी उन कारणों पर प्रकाश डालने की कृपा करेंगे कि जिन की वजह से अब तक वहां कोई भी ट्रैफिक नहीं चल रहा है ?

श्री गिरधारीलाल---ट्रैफिक तो बराबर चल रहा है।

श्री गोविंदसिंह विष्ट---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अभी तक ट्रान्सपोर्ट विभाग ने और किसी को क्यों नहीं दिया है ?

श्री गिरधारी लाल---ट्रान्सपोर्ट विभाग में और कुमायूं मोटर यूनियन में इस सम्बन्ध में अभी बातचीत चल रही है और बहुत जल्द फैसला हो जायगा और फिर उनका ट्रैफिक भी आजादी से चल सकेगा।

श्री गोविंदसिंह विष्ट---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि बागेश्वर-कपकोट मोटर मार्ग अब इतना खतरनाक है कि यह सड़क कई जगह पर गिर पड़ी है और ३ आदमी भी एक्सीडेंट में मर चुके हैं ?

श्री गिरधारीलाल---इस सिलसिले में तो कुछ नहीं कहा जा सकता। पहाड़ों में तो अच्छी सड़कों पर भी पहाड़ गिर जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं, ट्रैफिक तो इन मार्गों पर भी उसी वक्त चलाया जाता है जब इंजीनियर्स उसको देखकर पास कर देते हैं।

*३४---श्री गोविन्दसिंह विष्ट---[२२ अगस्त, १९५७ के लिये प्रश्न ४५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

इलाहाबाद नगरपालिका का सड़कों के निर्माण तथा बिजली की बत्तियां लगाने पर व्यय

*३५---श्री कल्याणचन्द मोहिले---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इलाहाबाद नगरपालिका ने १९५५-५६ तथा १९५६-५७ में कौन सी नई सड़क बनवाई तथा किन-किन स्थानों पर बिजली लगवाई तथा सड़कों और बिजली में कितना व्यय किया ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा---इलाहाबाद नगरपालिका ने जो कुल सड़कें बनवाईं या मरम्मत कराईं उनकी तालिका माननीय सदस्य महोदय की मेज पर रख दी गई है। साथ ही वे तालिकाएं भी कि कहां पर बिजली की बत्तियां लगवाई गईं। सन् ५५-५६ में सड़कों पर १,९५,६१० रु० और बिजली पर ३४,३१० रु० व्यय हुआ और ५६-५७ में सड़कों पर १,८०,३३३ रु० और बिजली पर २५,३१४ रु० व्यय हुआ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ७३०-७४१पर)

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में अलीगढ़ जिले में बनने वाली सड़कें

*३६---श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)---क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में अलीगढ़ जिले की किन-किन सड़कों के निर्माण की व्यवस्था की जा रही है और उनकी लम्बाई कितनी-कितनी है ?

श्री गिरधारी लाल---द्वितीय पंचवर्षीय योजना में अलीगढ़ जिले में बनने वाली सड़कों तथा उनकी लम्बाई का विवरण माननीय सदस्य महोदय की मेज पर रखी सूची में दिया हुआ है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ७४२ पर)

म्युनिसिपल बोर्ड के ग्राम चुनाव के समय ललितपुर सब डिवीजन में चुनाव पेटीशन

*३७—श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि म्युनिसिपल बोर्ड के गत ग्राम चुनाव के समय ललितपुर सब-डिवीजन में कितने चुनाव पेटीशन किन-किन तारीखों में दायर हुये थे ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—म्युनिसिपल बोर्डों के गत ग्राम चुनाव के सम्बन्ध में ललितपुर सब-डिवीजन में ५ चुनाव पेटीशन दायर हुये थे, जिनमें से एक पेटीशन २४ नवम्बर, १९५३ को, २ पेटीशन १५ मार्च, १९५४ को तथा अन्य २ पेटीशन १ अप्रैल, १९५४ को दायर हुए थे।

*३८-३९—श्री यमुना सिंह (जिला गाजीपुर)—[२७ अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किये गये।]

*४०—श्री नारायणदत्त तिवारी—[१३ अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किया गया।]

क्षेत्र खेड़ा, तहसील हल्द्वानी, जिला नैनीताल में पेय-जल-योजना का बन्द होना

*४१—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार को ज्ञात है कि क्षेत्र खेड़ा, तहसील हल्द्वानी, जिला नैनीताल में संचालित सरकारी पेय-जल योजना कई मास से ठप पड़ी है तथा सम्बन्धित काश्तकारों को उक्त पाइप-लाइन से पीने का पानी नहीं मिल रहा है ? यदि हां, तो सरकार उक्त योजना को पूर्णरूपेण सम्पन्न कराने हेतु क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जी हां, कुछ कारणवश पिछले कुछ समय में खेड़ा पेय जल योजना में पानी कभी-कभी बन्द हो जाता था। उक्त पेय-जल योजना की वितरण दशा को सुधारने के लिये स्रोत के पानी की कमी को नहर के पानी द्वारा पूर्ण करने के प्रयत्न किये गये और हाल ही में उक्त योजना की Distribution System (वितरण प्रणाली) की आवश्यक मरम्मत भी की गई। और अब वह संतोषजनक है। पूर्व के त्रुटि पूर्ण जल वितरण के सुधारने के लिये अन्य आवश्यक कार्यवाहियां भी की जा रही हैं। जिससे लगातार जल-वितरण निश्चित हो सके।

कानपुर जिले में सरसोल-नरवल सड़क को बढ़ाने तथा पाण्डो नदी पर सचौली घाट बनाने की आवश्यकता

*४२—श्री मोती लाल अवस्थी (जिला कानपुर)—क्या नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरसोल-नरवल सड़क (कानपुर) को पान्डो नदी पर पुल बना कर आगे मौजा अहालाबाद जिला फतेहपुर तक बढ़ा देने की कोई योजना इस द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित की गई है ?

श्री गिरधारीलाल—जी हां।

*४३—श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या उपर्युक्त पान्डो नदी (कानपुर) में मुकाम सचौती का घाट बनाने की कोई योजना विचाराधीन है ?

श्री गिरधारी लाल—जी नहीं।

आजमगढ़ में टोंस नदी पर पुल-निर्माण

*४४—श्री विश्रामराय (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि आजमगढ़ जिले की टोंस नदी पर निजामाबाद और मुहम्मदाबाद में एवं आजमगढ़ शहर में नये पुल बनाने की योजना कब तक कार्यान्वित होगी ?

श्री गिरधारीलाल—निजामाबाद और मुहम्मदाबाद में टोंस नदी पर पुलों के निर्माण के लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कोई आयोजन नहीं है। आजमगढ़ शहर में टोंस नदी पर पुल का निर्माण कार्य प्रगति में है।

प्रथम श्रेणी के जिला बोर्ड

*४५—श्री विश्रामराय—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उत्तर प्रदेश में किन-किन जिला बोर्डों को प्रथम श्रेणी का बनाया गया है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—इस समय सब-बोर्ड, भदोही, जिला वाराणसी को छोड़ कर प्रदेश के शेष सभी जिला बोर्ड प्रथम श्रेणी के हैं। उन जिला बोर्डों की सूची जो प्रथम जनवरी, १९५७ से द्वितीय श्रेणी से प्रथम श्रेणी में किये गये हैं, माननीय सदस्य की मेज पर रक्खी है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ७४३ पर)

पीलीभीत में जिला सरकारी वकील की नियुक्ति

*४६—श्री मुनीन्द्रपाल सिंह (जिला पीलीभीत)—क्या यह सत्य है कि पीलीभीत में डिस्ट्रिक्ट कौन्सेल की जगह खाली है और उसके उम्मीदवारों की सिफारिशें जिलाधीश और जिला जज के पास से अभी तक सरकार के पास नहीं आई हैं ?

श्री सैयद अली जहीर—पीलीभीत में जिला सरकारी वकील का स्थान रिक्त हुआ था। सरकार ने जिलाधीश तथा जिला जज से प्राप्त सिफारिशों पर विचार करके उस पद पर नियुक्ति कर दी है।

मुजफ्फरनगर जिले में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में पुलों और सड़कों की निर्माण योजना

*४७—श्री राजेन्द्रदत्त (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में मुजफ्फरनगर जिले की कौन-कौन सड़कें पक्की होने वाली हैं ?

श्री गिरधारी लाल—द्वितीय पंचवर्षीय योजना में मुजफ्फरनगर जिले में जो सड़कें पक्की होंगी, उनकी तालिका सदस्य महोदय की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ७४४ पर)

*४८—श्री राजेन्द्रदत्त—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जिला मुजफ्फरनगर में किस-किस नदी पर कौन-कौन पुल पक्के बनने हैं ?

श्री गिरधारीलाल—द्वितीय पंचवर्षीय योजना में मुजफ्फरनगर जिले में निम्न-लिखित पक्के पुल बनेंगे।

(१) काली नदी पर खतौली-बुढ़ाना सड़क पर, और

(२) हिंडन नदी पर मुजफ्फरनगर-बुढ़ाना सड़क पर।

अलीगढ़ जिले की सासनी-बिजैगढ़ तथा नानऊ और जाऊ पुल वाली सड़कों को पक्की करने की मांग

*४९—श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ—क्या निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अलीगढ़ जिले की सासनी-बिजैगढ़ सड़क कब तक पक्की बन सकेगी और इसके पक्का कराने की स्वीकृति कुछ वर्ष पूर्व कब हुई थी ?

श्री गिरधारीलाल––इस सड़क को पक्का करने का कोई प्रस्ताव इस समय सरकार के विचाराधीन नहीं है और न ही कभी इसको पक्का करने की स्वीकृति सरकार द्वारा दी गई थी ।

*५०––श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ––क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अलीगढ़ जिले में नानऊ और जाऊ के पुल के बीच की सड़क जो नहर खारजा की सर्विस रोड है और ग्रांड ट्रंक रोड को आगरा-कासगंज रोड से मिलाती है कब तक पक्की हो जायेगी ?

श्री गिरधारीलाल––इस सर्विस रोड को पक्का करने का कोई प्रस्ताव इस समय सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

चुनार नगरपालिका की सड़क का सरकार द्वारा निर्माण

*५१––श्री राजकुमार शर्मा (जिला मिर्जापुर)––क्या सरकार को ज्ञात है कि चुनार नगरपालिका ने जिलाधीश, मिर्जापुर के द्वारा सरकार से प्रार्थना की है कि नगरपालिका चुनार की सड़क सरकार स्वयं बनावे ? यदि हां, तो सरकार इसकी व्यवस्था कब तक करेगी ?

श्री गिरधारीलाल––(प्रथम भाग)––जी हां।

(द्वितीय भाग)––मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग को कार्य आरम्भ करने के संबंध में आवश्यक आदेश दिये जा चुके हैं।

खीरी जिले की फौजदारी अदालतों में विचाराधीन मुकदमे

*५२––श्री शिवप्रसाद नागर––क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिसम्बर सन् १९५६ तक खीरी जिले की फौजदारी अदालतों में कितने मुकदमे न्यायाधीन थे ?

श्री सैयद अली जहीर––दिसम्बर सन् १९५६ तक जिला खीरी में १४८८ मुकदमें मैजिस्ट्रेटों की अदालतों में थे और ९९ सेशन्स ट्रायल, ५६ फौजदारी अपील व २ फौजदारी रिवीजन के न्यायाधीन थे।

*५३––श्री शिवप्रसाद नागर––क्या न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि खीरी जिले में फौजदारी अदालतों में दिसम्बर, १९५६ तक जो मुकदमें न्यायाधीन थे, उनमें से सन् १९५७ में कितने फैसल हो गये और कितने अब भी न्यायाधीन हैं ?

श्री सैयद अली जहीर––१४८८ मुकदमात जो मैजिस्ट्रेटों की अदालतों में दिसम्बर, १९५६ के अन्त में न्यायाधीन थे, उनमें से १३०७ मुकदमें फैसल हो गये और १८१ मुकदमें बाकी रह गये।

सेशन्स ट्राइल के ९९ मुकदमात में से ३५ व फौजदारी अपील के ५ बाकी रह गये।

नगरपालिका चन्दौसी, जिला मुरादाबाद का बजट पास न होना

*५४––श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)––क्या स्वशासन मंत्री को ज्ञात है कि नगरपालिका चन्दौसी, जिला मुरादाबाद का वित्तीय वर्ष १९५७–५८ का बजट दोबार, अस्वीकृत होने के कारण पास नहीं हुआ है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा––जी हां।

चन्दौसी नगरपालिका के प्रेसीडेंट के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाने का विचार

*५५––श्री महीलाल––क्या स्वशासन मंत्री को ज्ञात है कि नगरपालिका चन्दौसी, जिला मुरादाबाद के प्रेसीडेंट क विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाने की आज्ञा वहां के सदस्यों के बहुमत ने मांगी है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---जी नहीं, और ऐसे प्रस्ताव को लाने के लिये सरकार या जिलाधीश से आज्ञा लेना आवश्यक भी नहीं है।

पीलीभीत जिले के सब-डिवीजन बीसलपुर और पूरनपुर को सड़क से मिलाने की आवश्यकता

*५६---श्री मुनीन्द्रपाल सिंह---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि द्वितीय पंच-वर्षीय योजना के अन्तर्गत पीलीभीत जिले के शेष दो सब डिवीजन्स बीसलपुर और पूरनपुर को सड़क द्वारा मिलाये जाने की योजना है ?

श्री गिरधारीलाल---जी नहीं।

जिला कोआपरेटिव बैंक बिजनौर की धामपुर ब्रांच में चोरी

*५७---श्रीमती चन्द्रावती---क्या सरकार को ज्ञात है कि धामपुर, जिला बिजनौर में स्थित एक कोआपरेटिव बैंक की ब्रांच से ८६ हजार रुपये की चोरी हाल में ही हो गई है ?

श्री मोहनलाल गौतम---जी हां, जिला कोआपरेटिव बैंक बिजनौर की धामपुर ब्रांच में २ मई, १९५७ की रात्रि को ८६०६० रु० ३३ नये पैसे की चोरी हुई।

कानपुर नगर में भारतीय दण्ड विधि संग्रह की धारा १८८ के मुकदमें

*५८---श्री रामस्वरूप वर्मा---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि धारा १८८ भारतीय दंड विधि संग्रह के अन्तर्गत कानपुर शहर में ऐसे कितने मुकदमें हैं, जिनको पड़े हुये ८ मास से अधिक का समय हो गया है ?

श्री सैयद अली जहीर---ऐसे दस मुकदमें हैं।

गोंडा जिले की सड़क-निर्माण योजना

*५९---श्री धर्मपालसिंह (जिला गोंडा)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला गोंडा में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कौन-कौन सी नई नई सड़कें बन रही हैं तथा कितनी और बनाने की योजना है ?

श्री गिरधारीलाल---इसकी सूची माननीय सदस्य की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ७४५ पर)

*६०---श्री धर्मपालसिंह---[१३ अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किया गया।]

बुलन्दशहर जिले में डिवाई-कर्णताल सड़क के निर्माण की आवश्यकता

*६१---श्री हिम्मत सिंह---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बुलन्दशहर में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत डिवाई से कर्णताल जाने वाली सड़क व डिवाई के करीब एक पुल नीम नदी पर बनाने की योजना है ?

श्री गिरधारीलाल---जी नहीं।

*६२-६४---श्री ताराचन्द माहेश्वरी---[६ अगस्त, १९५७ के लिये प्रश्न १०८-११० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

जिला बोर्ड लखनऊ में कथित ग़बन

*६५---श्री रामशरण यादव (जिला लखनऊ)---क्या सरकार को मालूम है कि जिला बोर्ड लखनऊ की कुछ धनराशि के गबन की शिकायत सरकार के पास आई है ? यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

झांसी जिला बोर्ड में कथित ग़बन

*६६--श्री छत्तरसिंह (जिला बुलन्दशहर)--क्या सरकार को मालूम है कि झांसी जिला बोर्ड ने १९५१ ई० से १९५६ ई० तक एक्विटेंस रौल गलत बनाकर हजारों रुपया का गोलमाल किया है? यदि हां, तो सरकार ने उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की है?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--जी नहीं।

मथुरा जिले की कोसी कलां नगरपालिका के निकट गन्दा नाला

*६७--श्री रामहेत सिंह--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कोसीकलां, जिला मथुरा नगरपालिका के पास होकर एक गन्दा नाला बहता है, जिसकी बदबू हमेशा ही शहर के अन्दर आती रहती है, तो क्या सरकार ने कोई योजना उसके बारे में बनाई है? यदि हां, तो क्या?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--जी हां, १,०५,००० रुपये के लागत की एक अनुमानित योजना स्वायत्त शासन इंजीनियरिंग विभाग द्वारा नालों में पानी न रुकने तथा उनके सुधार के लिये बनाई जा रही है। इस योजना के स्वीकृत होने पर और धनराशि मिलने पर यह कार्यरूप में परिणत की जा सकेगी।

*६८-७०--श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)--[२७ अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किये गये।]

*७१-७३--श्री बालकराम (जिला शाहजहांपुर)--[२२ अगस्त, १९५७ के लिये प्रश्न ४२-४४ के अन्तर्गत स्थानांतरित किये गये।]

*७४-७५--श्री डूंगरसिंह (जिला हमीरपुर)--[१३ अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित गिये गये।[

हाईकोर्ट में ५ वर्ष से ज्यादा पुरानी अपीलें

*७६--श्री रामगोपाल गुप्त (जिला हमीरपुर)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि हाईकोर्ट में इस समय ऐसी कितनी अपीलें Pending है, जो पांच वर्ष से ज्यादा पुरानी हैं?

श्री सैयद अली जहीर--हाईकोर्ट में पांच वर्ष से अधिक पुरानी अपीलों की कुल सख्या १ जुलाई, १९५७ को ४,७५१ थी।

बुलन्दशहर-जेवर सड़क को पक्की करने की मांग

*७७--श्री छत्तरसिंह--क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बुलन्दशहर से जेवर जाने वाली सड़क, जो अधूरी है पूरी की जाने वाली है? यदि हां, तो उसके लिये क्या व्यवस्था की जा रही है?

श्री गिरधारीलाल--इस सड़क का बुलन्दशहर से झांझर तक का भाग पक्का है। झांझर से जेवर तक का भाग कच्चा है और जिला बोर्ड बुलन्दशहर के अधीन है। इस कच्चे भाग को पक्का करने का कोई प्रस्ताव इस समय सरकार के विचाराधीन नहीं है।

प्रतापगढ़ जिले में ग्राम सभापतियों के चुनाव के सम्बन्ध में पेटीशन

*७८--श्री रामकिंकर (जिला प्रतापगढ़)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम सभापतियों के गत चुनाव के संबंध में कितने Petitions प्रतापगढ़ में दायर हुये हैं, कितनों का फैसला हो गया है और अब भी कितनों का फैसला बाकी है ?

श्री विचित्रनारायण--ग्राम सभापतियों के गत चुनाव के संबंध में कुल २५० पेटीशन दायर हुये थे। उनमें से २४१ का फैसला हो गया है और ९ का फैसला होना बाकी है।

*७९--श्री रामकिंकर--जिन पेटीशनों में पुनः चुनाव का आदेश हुआ था, उनका चुनाव कब तक होगा ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--जिन पेटीशनों पर पुनः चुनाव का आदेश हुआ था, उनके चुनाव दिसम्बर, ५६ में हो चुके हैं।

*८०--श्री प्रताप सिंह--[१३ अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किया गया।]

ग्राम पंचायतों को गांव का नक़शा तथा गांव समाज सम्पत्ति का रजिस्टर न मिलना

*८१--श्री द्वारिका प्रसाद पांडेय (जिला गोरखपुर)--क्या सरकार की तरफ से ग्राम पंचायतों को गांवों का नकशा और ग्राम समाज सम्पत्ति की पूरी पूरी तालिका दिलाने की कोई व्यवस्था है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--सरकार की तरफ से गांव पंचायतों को गांव का नक्शा दिलाने की कोई व्यवस्था नहीं है। गांव समाज सम्पत्ति का रजिस्टर लेखपाल के पास रहता है।

*८२-८३--श्री गज्जूराम (जिला झांसी)--[२७ अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किये गये।]

टाउन एरिया कमेटी मौदहा, जिला हमीरपुर के विरुद्ध शिकायतें

*८४--श्री रामगोपाल गुप्त--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि टाउन एरिया कमेटी मौदहा, जिला हमीरपुर की अव्यवस्था के संबंध में कितनी शिकायतें आयी हैं और उन पर सरकार क्या कर रही है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--टाउन एरिया मौदहा जिला हमीरपुर की अव्यवस्था के संबंध में अब तक केवल दो शिकायतें आयी हैं। इन प्रार्थना-पत्रों के संबंध में जांच कराई गई है, जो खराबी मालूम हुई उसको दूर करने के लिये चेयरमैन को उचित आदेश दे दिया गया है। परगनाधीश को भी आदेश दिया गया है कि वह दो मास बाद रिपोर्ट दें कि चेयरमैन ने क्या किया।

*८५--श्री रामगोपाल गुप्त--[२० अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किया गया।]

हरदोई जिले में पिहानी-शाहाबाद-शिरोमणिनगर कच्ची सड़कों को पक्की करने की मांग

*८६--श्रीमती विद्यावती वाजपेयी (जिला हरदोई)--क्या सरकार कृपा करके यह बतायेगी कि हरदोई जिले में एक कच्ची सड़क पिहानी से शाहाबाद तक जाती है ? यदि हां, तो क्या सरकार निकट भविष्य में इसको पक्का कराने का विचार रखती है ?

श्री गिरधारीलाल--

(प्रथम भाग)---जी हां।

(द्वितीय भाग)---जी नहीं।

*८७--श्रीमती विद्यावती वाजपेयी---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि हरदोई जिला की कच्ची सड़क, जो शाहाबाद से शिरोमणि नगर तक जाती है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उसे वह पक्का कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री गिरधारीलाल--

(प्रथन भाग)---जी नहीं।

(द्वितीय भाग)---प्रश्न नहीं उठता।

जिला बोर्डों के सेक्रेटरियों के पदों के प्रान्तीयकरण पर विचार

*८८--श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)---क्या स्वशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार प्रदेश के जिला बोर्डों और म्युनिसिपल बोर्डों के (१) सेक्रेटरी, (२) हेडक्लर्क, (३) एकाउण्टेंट तथा (४) इंजीनियर के पदों को निकट भविष्य में प्रदेशीय प्रशासकीय सेवा में सम्मिलित करने जा रही है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---म्युनिसिपल बोर्ड के हेड क्लर्क, एकाउण्टेण्ट तथा इन्जीनियर के पदों को निकट भविष्य में प्रशासकीय सेवा में सम्मिलित किये जाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है। जिला बोर्डों के सेक्रेटरियों के पदों के प्रान्तीयकरण का प्रश्न अवश्य विचाराधीन है।

*८९--श्री भगवतीसिंह विशारद---यदि हां, तो कब तक ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---इस सम्बन्ध में किसी निश्चित तारीख का उल्लेख नहीं किया जा सकता।

*९०--श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---[१३ अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किया गया।]

*९१--श्री मान्धाता सिंह (जिला बलिया)---[२७ अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किया गया।]

*९२--श्री दीनदयालु शास्त्री (जिला सहारनपुर)---[१३ अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किया गया।]

हरद्वार में बनी पहाड़ी सड़क पर व्यय

*९३--श्री दीनदयालु शास्त्री---क्या सरकार बतायेगी कि हरद्वार में बन रही पहाड़ी सड़क कब तक बनकर तैयार हो जायेगी और उसमें कुल कितना व्यय होगा ?

श्री गिरधारीलाल---सड़क १९५६ में बन कर तैयार हो चुकी है और उस पर लगभग ३,२९,००० रु० व्यय हुए हैं।

*९४--श्री दीनदयालु शास्त्री---[१३ अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किया गया।]

इलाहाबाद में श्रमिक बस्तियां बनवाने पर विचार

*९५—श्री जवाहरलाल (जिला इलाहाबाद)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इलाहाबाद में श्रमिकों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए वह और भी श्रमिक बस्ती बनवाने को सोच रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री सैयद अली जहीर—जी हां। नैनी (इलाहाबाद) में चतुर्थ सोपान के अन्तर्गत २१६ मकान बन रहे हैं तथा पंचम सोपान के अन्तर्गत (१९५६-५७ में) ९३६ मकान और बनाने का विचार है।

फर्रुखाबाद जिले के लिये नवीन सड़कों की योजना

*९६—श्री होरीलाल यादव (जिला फर्रुखाबाद)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फर्रुखाबाद जिले में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कौन-कौन नयी सड़कें बनवाने की योजना है ?

श्री गिरधारीलाल—द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत इस जिले में केवल छिबरामऊ-मुहम्मदाबाद १२ मील लम्बी कच्ची सड़क को पक्का करने का कार्य नव-निर्माण में सम्मिलित है।

देवरिया जिले में सस्ते गल्ले की दुकानें

*९७—श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)—क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि राज्य के किस जिले में सस्ते गल्ले की कितनी दूकानें हैं और अब तक उनसे कितना गल्ला बेचा जा चुका है ?

श्री सैयद अली जहीर—उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में राजकीय सस्ते गल्ले की दूकानों की संख्या तथा उनसे ३० जून, १९५७ ई० तक बेचे गये खाद्यान्न के विषय में एक तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ७४६-७४८ पर)

*९८—श्री ब्रजनारायण तिवारी—क्या सरकार बतायेगी कि देवरिया जिले में सस्ते गल्ले की कितनी दूकानें खोली गई हैं और उनके द्वारा कितना गल्ला बेचा जा चुका है ?

श्री सैयद अली जहीर—इस समय देवरिया जिले में कुल १५० दूकानें हैं। इनमें से ३० दूकानें देवरिया नगर में हैं तथा शेष दूकानें जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। ३० जून, १९५७ ई० तक देवरिया जिले में २,८४,९०८ मन आयात किया हुआ गेहूं बेचा जा चुका है। इसके अतिरिक्त देवरिया जिले में ३,००० मन चावल तथा कुछ मोटे अनाज का भी विक्रय उपर्युक्त दूकानों द्वारा पिछले समय में किया गया है।

*९९—श्री यमुना सिंह—[२९ अगस्त, १९५७ के लिये प्रश्न १६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

गोरखपुर-बड़हलगंज सड़क को पक्की करना

*१००—श्रीमती कैलाशवती (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि क्या वह गोरखपुर जिले की गोरखपुर वर्डे घाट-खजनी-सिकरीगंज गोलाबाजार होते हुये बड़हलगंज जाने वाली कच्ची सड़क को पक्की कराने जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री गिरधारीलाल--(प्रथम भाग)--जी हां, इस सड़क के गोरखपुर-रुद्रपुर भाग के पुनर्निर्माण तथा रुद्रपुर-खजनी-उरवा-गोलाबाजार भाग के नये निर्माण का कार्य प्रगति पर है। शेष सड़क पर कार्य के लिये भी द्वितीय योजना के अन्तर्गत आयोजन किया गया है।

(द्वितीय भाग)--शेष सड़क पर कार्य भी द्वितीय योजना की अवधि में आरम्भ हो जायगा।

*१०१--श्री मुनीन्द्रपाल सिंह--[२७ अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किया गया।]

तराई क्षेत्र में जंगली हाथियों के पकड़वाने पर विचार

*१०२--श्री महीलाल--क्या कृषि मंत्री जी को जानकारी है कि प्रान्त के तराई क्षेत्र में जंगली हाथियों की संख्या काफी बढ़ गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उनके पकड़वाने की कोई व्यवस्था कर रही है ?

श्री सैयद अली जहीर--जी हां। इन हाथियों के पकड़वाने की व्यवस्था पर विचार किया जा रहा है।

खैरागढ़ तहसील, जिला आगरा के महकमा जंगलात के विरुद्ध शिकायतें

*१०३--श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उसके पास खैरागढ़ तहसील, जिला आगरा से महकमा जंगलात की तरफ से तारबन्दी के सम्बन्ध में जनता की क्या शिकायतें आई हैं और उन्हें दूर करने के लिये सरकार ने क्या किया है तथा क्या करने की सोच रही है ?

श्री सैयद अली जहीर--शिकायतों की एक सूची मेज पर रक्खी है। प्रत्येक के आगे उस पर जो कार्यवाही की गई, वह लिखी है। अब कोई कार्यवाही की जरूरत नहीं है।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ७४९ पर)

मंत्रियों को परामर्श देने वाली स्थायी समितियों के निर्वाचन का कार्यक्रम

श्री अध्यक्ष--मैं एक सूचना देना चाहता हूं। यह सूचना वैसे तो छपकर सब की मेज पर पहुंच चुकी है लेकिन मैं उसका एलान भी यहां किये देता हूं कि २५ परामर्शदात्री स्थायी समितियों के लिये सदस्यों के निर्वाचन के सबन्ध में निम्नलिखित कार्यक्रम निर्धारित किया गया है --

नाम निर्देशन पत्रों की प्राप्ति की अन्तिम तिथि तथा समय १४ अगस्त, १९५७ को दिन के ३ बजे तक। नाम निर्देशन पत्रों की सूक्ष्म परीक्षा की तिथि तथा समय--२० अगस्त, १९५७ को सचिव के कमरे में दिन के ११ बजे। नामों की वापसी की अन्तिम तिथि तथा समय--२४ अगस्त, १९५७ को सायंकाल ५ बजे तक। और निर्वाचन यदि आवश्यक हुआ तो वह ३१ अगस्त, १९५७ को ११ बजे से ४ बजे तक विधान वाचनालय में होगा। प्रत्येक स्थायी समिति की सदस्य संख्या १४ है।

१९५७--५८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान--विभिन्न अनुदानों के लिये समय विभाजन

श्री अध्यक्ष--अब वित्तीय वर्ष १९५७--५८ के लिये आय-व्ययक में अनुदानों के लिये प्रस्ताव होंगे।

अब कौन से अनुदान पहले लिये जायं कितना-कितना समय रहे इसके लिये सुझाव आ जायं तो मैं समय निश्चित कर दूं।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)---माननीय अध्यक्ष महोदय, आप की आज्ञा से आज और कल इस सदन में पेश होने वाले अनुदानों के सम्बन्ध में समय निर्धारण के लिये मैं एक प्रस्ताव उपस्थित करना चाहता हूं। अनुदान संख्या १४ के लिये आज पहिला १ घंटा, उसके बाद अनुदान संख्या ३४ के लिये १ घंटा फिर अनुदान संख्या ३९ के लिये १ घंटा और अनुदान संख्या ४४ के लिये भी आखिर में १ घंटा। उस के बाद कल अनुदान संख्या ९ और १० पूरे दिन के लिये रहें, ४ घंटे का कुल समय।

श्री अध्यक्ष---यदि किसी को आपत्ति नहीं है तो मैं इसी तरह से माने लेता हूं। यानी आज ली जायंगी यानी ग्रांटस नं० १४, ३४, ३९ और ४४ और कल ९ और १० ली जायंगी और कल दिन भर यही दो अनुदान चलेंगी और आज का सारा बाकी समय ४ अनुदानों के लिये ४ बराबर भागों में बंट जायगा।

अनुदान संख्या १४---लेखा शीर्षक २५---गांव सभाएं और पंचायतें

स्वशासन मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)---अध्यक्ष महोदय, मैं गवर्नर महोदय, की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १४---गांव सभाएं और पंचायतें---लेखा शीर्षक २५---सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत १,०८,४४,३०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

आज ही इस विभाग की दूसरी मांगे भी पेश की जायंगी। लेकिन इनसे इस विभाग के लिये कुल कितनी मागें हम कर रहे हैं उसका ठीक पता नहीं चलता। सदस्यों की जानकारी के लिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि ग्रांट नम्बर, २, १३, १७, २०, ३१, ४७ और ५२ में भी हमारे विभाग से सम्बन्धित मागें की गयी हैं और कुछ मांगें इस मांग को लेकर जो १ करोड़ ६ लाख और कुछ हजार की हैं और दूसरी मांगे जो ३४ और ३९ में की जायंगी उनके अलावा सब को मिला कर करीब इस विभाग की मांगे ६ करोड़ ३७ लाख ५१ हजार १ सौ रुपये के करीब हैं जिसमें से ७३ लाख ९ हजार ७ सौ के करीब नान रेकरिंग हैं। पहली रेकरिंग और नानरेकरिंग ग्रांट्स हैं।

मैंने सिर्फ इसलिए निवेदन किया ताकि सदस्यों के सामने इसकी सारी तस्वीर आ जाय।

इस समय मांग नम्बर १४ है। इसका ताल्लुक सिर्फ पंचायतों से है।

हमारे देश में डेमोक्रेसी का जो प्रयोग किया गया है वह संसार में सबसे अधिक बोल्ड कहा जा सकता है। किसी भी इतने बड़े देश में एडल्ट फ्रेंचाइज को अभी तक अख्तियार नहीं दिया गया है। एक बहुत नयी चीज है। मुद्दत से हम लोग पराधीन थे। और यह अवसर हमारे लिये पहला ही आया है कि एक व्यापक दृष्टि से अपने देश में स्वशासन स्वयं कर सकें और वह भी बालिग मताधिकार की बुनियाद पर। जिस समय हम ग्राम पंचायतों की बाबत विचार करें हमें इस भूमिका को भूल नहीं जाना चाहिये कि अभी हमारे देश में शिक्षा का और सभ्यता का पूरा पूरा लाभ नहीं पहुंच सका है। जो देहातों में रहते हैं, जिनकी माली हालत भी खराब है और दूसरे साधन, आने जाने और आपस में विचार विमर्ष के भी कम हैं, जहां हम लोग जो इस समय आज की सभ्यता में जो सब कुछ सुलभ है, उससे सम्पन्न हैं, तो भी हमारे राजनीतिक जीवन में, अभी उन परम्पराओं का एक तरह से मजबूती के साथ अभी स्थापन नहीं हुई है जिनकी बुनियाद पर एक देश के अन्दर डैमोक्रेसी सफलतापूर्वक चल सकती है।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि अभी जब प्रान्तों का पुनस्संगठन हो रहा था उस समय देश के अन्तर्गत जो हवा फैली, उसमें किसी भी राजनीतिक पार्टी का अनुशासन नहीं रह सका और हम राजनीतिक प्रश्नों को छोड़ कर बिलकुल दूसरे प्रश्नों में बह गये। यह इतनी बड़ी शिकायत थी कि मैं समझता हूं कि कोई भी पार्टी गर्व के साथ यह नहीं कह सकती कि उसका अनुशासन कायम रह सका था और उसके अपने अन्दर कोई किसी किस्म की शिकायत

नहीं थी। और यह हमारे जो सबसे ऊंचे से तबके के राजनीतिज्ञ हैं जिन्होंने इस देश के लिये विधान बनाया है और जो केन्द्रीय और प्रादेशीय सरकारों को चलाने के लिये जिम्मेदार हैं वे लोग, लोगों को जिस साधारण शान्ति के साथ विचार विनिमय करना चाहिये उसे भूल जाते हैं। इस पृष्ठिभूमि में अगर हम देखें कि हमारी जो ग्राम पंचायतें हैं इनका काम कैसा रहा है। जहां तक आदर्श की बात है, जहां तक इसके वांछनीय होने का प्रश्न है, मेरे ख्याल से इसके ऊपर ज्यादा मदभेद नहीं हो सकता कि यह प्रयोग वांछनीय है और इसे करना चाहिये और इसमें कुछ खतरे भी आयें उनका भी सामना करके इस प्रयोग को आगे बढ़ाना चाहिये। मैं यह सब इसलिये निवेदन कर रहा हूं कि बहुत बार यह आवाज उठती है, इस सदन में भी सुनने को मिला है कि जो ग्राम-पंचायतें बनाई गई हैं इनसे बिल्कुल अराजकता फैल रही है। एकदम से जो साधारण नागरिकों के अधिकार हैं छीन लिये गये, मनमानी हो रही है और बहुत बार गम्भीरता के साथ यह प्रश्न उठाया जाता है कि क्यों न इनको खत्म कर दिया जाय जिस पर इतना रुपया खर्च कर रहे हैं। अगर हम इन पंचायतों के काम को देखेंगे तो मेरा ख्याल है कि किसी को भी इस प्रयोग के लिये शर्मिन्दा होने की आवश्यकता नहीं होगी इस बात का ख्याल रखते हुए कि हमारे जो ग्रामीण भाई हैं वहां अभी शिक्षा का प्रचार कम है, वहां भी लोग उत्तेजना में आ जाते हैं, वहां भी स्वार्थ कभी-कभी बलवान हो जाता है और साधारणतः उनको काबू में रखना कठिन हो जाता है। लेकिन यह सब होते हुए भी अभी तक का जो रिकार्ड है उससे किसी प्रकार से नाउम्मीद होने का सवाल नहीं है। बल्कि मैं समझता हूं कि हम उसके ऊपर आशा कर सकते हैं एक अच्छे भविष्य की और इस बात की कि हमारी पंचायतें, गांव समाज, जो डेमाक्रेसी आने वाली है उसके बहुत ही दृढ़ बुनियादी स्तम्भ साबित हो सकेंगे।

(इस समय १२ बजकर १० मिनट पर श्री अध्यक्ष चले गए और उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी पीठासीन हुए।)

मैं एक, दो बार पहले भी सदन के सामने कुछ आंकड़े रख चुका हूं, लेकिन फिर भी उनका दोहरा देना यहां पर अनुचित न होगा। पहले हमारी ग्रामसभायें ३६,१४८ के करीब थीं। बाद में जब जमींदारी ऐबोलीशन हुआ तो फिर ग्राम समाज बनाये गये जिनके अन्दर गांवों की जमीन जो परती और दूसरे तरह की जमीन थी। वेस्ट (vest) की गयी थी आगे चल कर यह देखा गया कि बहुत कुछ ओवरलैपिंग होती है तो यह निर्णय किया गया कि जहां तक ग्राम समाज और गांव सभाओं का सवाल है इन दोनों को एक ही लिमिट होनी चाहिये और दोनों में कोई अन्तर नहीं होना चाहिये सिर्फ फंक्शन अलग हों, लेकिन इनका दायरा एक दूसरे से मिला हो और एक सा ही हो। इस दृष्टि से ग्राम सभाओं की संख्या ७२ हजार ४२८ हो गई थी जो गांव हैं वह १ लाख ४२ हजार ४३१ हैं और और प्रधानों की भी संख्या उतनी ही है जितनी सभाओं की है। अभी तक जो चुनाव हो चुके उनकी संख्या ६८ हजार ८२६ है, इनमें से ३६ हजार ७ चुनाव निर्विरोध सफल हुये हैं। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। इसका मतलब यह हुआ कि करीब ७२ फीसदी गांव सभाओं ने अपने प्रधानों को बिना किसी लड़ाई झगड़े के चुन लिया। महिलाओं की संख्या १३८ है और हरिजनों की संख्या २ हजार ३४ है। जो पंच गांव सभा और न्याय पंचायतों के लिये चुने गये उनकी संख्या १२,८०,७२९ है। इनमें से गांव सभाओं के जो सदस्य थे उनकी संख्या ९,४१,४९२ है। इनमें भी जो सदस्य बिना किसी विरोध के चुने गये उनकी संख्या ६,६८,२६७ है। करीब-करीब ७१ प्रतिशत। यह भी यह जाहिर करता है कि वास्तव में चुनाव में जहां कहीं पर लड़ाई झगड़े हुये वहां आम तौर से १०० में, ७१ चुनाव के करीब ऐसे हुये जिनमें कोई झगड़ा विरोध या खींचातानी नहीं हुई। जिनका चुनाव हुआ, आपस में संघर्ष हुआ, उनकी तादाद २,७२,४२५ है। स्त्री उम्मीदवार २,२५७ और हरिजन उम्मीदवार १,८९,४५४ हैं। जो महिलाओं के और हरिजनों के आंकड़े मैंने दिये हैं इनमें दो तीन जिलों के आंकड़े अभी हमको नहीं मिल सके हैं जिससे यह साबित होता है कि इनके आंकड़े कुछ इससे ज्यादा ही होंगे।

[श्री विचित्रनारायण शर्मा]

न्याय पंचायतें हमारे प्रदेश में ८५८३ हैं । सरपंच चुने गये ७०१३, जिनमें ३ महिलायें और ७१ हरिजन हैं। जो पंच नामिनेट किये गये उनकी तादाद १,३५,५७१ है जिनमें १०,२५० हरिजन हैं। इन पंचायतों के जो काम हुये उसके भी आंकड़े और थोड़ा सा विवरण यहां मैं दे दूं तो माननीय सदस्यों को यह पता चलेगा कि इनका काम भी वास्तव में जहां चुनाव काफी सुमति से हुये, लड़ाई झगड़े का प्रतिशत बहुत कम है वहां पर इन्होंने जो काम किये वह भी सराहनीय काम है।

१९५६ तक ४४९६ पक्के पंचायतघर बने और पिछले साल ५१७। कच्चे ३३९८ पहले और पिछले साल ५८७। पंचायतघर जो कि डोनेशंस में मिले उनमें पक्के १०५७, गत वर्ष से पहले के और २५ गत वर्ष। कच्चे ९९३, गत वर्ष से पहले और गत वर्ष १५। गांधी चबूतरे पक्के १२१९१, गत वर्ष से पहले और ६१६ गत वर्ष। कच्चे चबूतरे ४८६२१, गत वर्ष से पहले और गत वर्ष १६१३।

पक्की सड़कों का निर्माण १६९३ मील पहले और गत वर्ष १३६ मील। कच्ची सड़कें २९१८४ मील पहले और पिछले साल ७३२३ मील। पक्की सड़कों की मरम्मत २९५३ मील पहले और ७० मील पिछले साल और कच्ची सड़कों की मरम्मत ५०८४१ मील पहले और १५४२० मील पिछले साल। बाग लगाये गये ८८०६ एकड़ में गत वर्ष से पहले और पारसाल २८७६ एकड़ में।३१,९२७ कुयें पक्के पहले बनाये गये और ५,२४६ पिछले साल। १५,६०१ कच्चे कुयें पहले और पिछले साल ६३२ बनाये गये। ८२,०२७ पक्के कुओं की मरम्मत पहले हुई और ६,८६२ की पिछले साल और ३६,२०५ कच्चे कुओं की मरम्मत पहले हुई और ५०९ की पिछले साल।

न्याय पंचायतों के कितने मुकदमें फैसल किये इसके भी आंकड़े दे देना उचित होगा। १९,४२,३४७ मुकदमें पेश हुये। १८,०९,५८३ मुकदमें फैसल हुये। इनमें आपस में जिनमें समझौता हो गया उनकी संख्या ६,५४,२६० थी। जिन मुकदमों के खिलाफ अपील की गई हाईकोर्ट में या किसी दूसरे कोर्ट में उनकी संख्या १५९२ थी जिसमें न्याय पंचायतों के फैसले ९४९ में सही माने गये यानी ७९ फीसदी। इससे जाहिर है कि उनका काम इतना असंतोषजनक नहीं रहा जितना कि आमतौर पर होने का भय था और आंकड़े सही हैं इसमें तो सन्देह हो भी सकता है। लेकिन मुकदमों के संबंध में जो आंकड़े हैं जो कि न्यायालयों के सामने गये उनमें ८० प्रतिशत मुकदमें सही हैं इसमें संदेह करने की गुंजायश नहीं है।

श्रीमान् जी, इन शब्दों के साथ मैं इस मांग को पेश करता हूं और यह आशा करता हूं कि इस बात का ख्याल करते हुये कि यह प्रयोग है और अभी हमारी बड़ी-बड़ी जगहों पर जो प्रयोग हो रहे हैं वे भी पूर्णतया सफल नहीं हुये और हमारी बुनियाद इतनी मजबूत नहीं हुई है कि हम निश्चिन्त रह सकें लिहाजा सजग व जागरूक रहने की जरूरत है, लेकिन साथ ही प्रयोग होने के कारण हमदर्दी के साथ और विवेक के साथ अगर हम इसको देखेंगे तो ज्यादा शिकायत की गुंजाइश नहीं होगी, बल्कि आशा और सफलता के लिये हम उम्मीद कर सकते हैं, कि हाउस इसे स्वीकार करेगा।

श्री उपाध्यक्ष—अब मैं कुछ बातें सदन की सूचना के लिये बतलाना चाहता हूं। अब तक यह परम्परा रही है कि तीन या चार दिन तो साधारण वादविवाद बजट पर होता है और उसके बाद जो खास तौर से अनुदान होता है उस दिन किसी नियत समय के लिये उस पर भी साधारण वादविवाद हो जाता है। यह परम्परा रही तो है लेकिन मैं समझता हूं जिस तरह से अनुदानों पर बहस होती है उससे मकसद हल नहीं होता। लोकसभा में यह व्यवस्था कर दी गई है कि अनुदानों पर जब कटौती के प्रस्ताव पेश किये जायं तो खास-खास जो शिकायतें हों, स्पेसिफिकली उनके ऊपर माननीय सदस्य ध्यान दिलायें, आम

तौर पर वादविवाद न हो। इस संबंध में लोकसभा के कुछ आब्जरवेशंस व रूलिंग्स की तरफ मैं माननीय सदस्यों का ध्यान दिलाना चाहता हूं:--

"Budget, Demands for Grants, Motions for Reduction, Classification and Meaning of, Priority, Motion for a token cut should relate to one specific grievance only,"

एक मर्तबा लोकसभा में एक माननीय सदस्य ने रेलवे बजट पर एक कटौती का प्रताव पेश किया और उसके बाद रेलवे बजट पर आम बहस करना शुरू कर दिया तो उस समय अध्यक्ष ने यह कहा था:--

"I would be failing in my duty if I were not to point out to the honourable member that he ought to make a distinction between the general discussion on the railway budget and the particular cut which we are now discussing. It is not right that the discussion on a particular cut should be turned in to a general discussion of policy. If the honourable member is supporting the cut of 2 crores proposed by Mr. Prakasham, he must come to particulars and not go on generalising."

मैं यह नहीं कहता कि यह प्रथा इस सदन में आज से ही लागू हो जाय क्योंकि आज पहला दिन है। इसलिये मैं यह चाहता हूं कि माननीय सदस्य इस प्रथा को धीरे-धीरे अपना लें।

श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)--उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस संबंध में आपके द्वारा कुछ निवेदन करना चाहता हूं। यह सभी को मालूम है कि केंद्रीय सरकार की पद्धति २ विभागों में विभाजित है, रेलवे बजट अलग है और जनरल रेवेन्यूज का अलग है। रेलवे बजट पर वहां आम-वाद-विवाद अलग हो जाता है। वहां रेलवे का बजट या अनुदान इस प्रकार नहीं आता है कि होम डिपार्टमेंट के लिये या इर्रीगेशन के लिये या फूड के लिये इतना रुपया दे दीजिये। वह बजट बिलकुल अलग है और माननीय अध्यक्ष ने वहां जब इस संबंध में अपनी रूलिंग दी तो इस बात का ध्यान रखा कि रेलवे के सिलसिले में तीन या चार दिन नीति का वाद-विवाद हो जाता है।

मैं, श्रीमन् की सेवा में जो संसदीय प्रथा है, उस ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं; बजट का समय यों तो सरकार का समय है, क्योंकि उसके लिये जो खर्चा है उसकी मंजूरी दी जाती है, लेकिन पूरे साल में एक मौका मिलता है जबकि बोलने वाले सरकार की नीति के ऊपर आलोचना करें। मैं श्रीमन्, की सेवा में यह भी निवेदन करूंगा कि कल यहां खाद्य समस्या पर वाद-विवाद हुआ जो बहुमत दल था, उसकी तरफ से माननीय माल मंत्री ने यह कहा कि अपोजीशन का रोल कंस्ट्रक्टिव होना चाहिये, अपोजीशन का कोई आल्टरनेटिव प्रोग्राम होना चाहिये। मैं उस वाद-विवाद में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन आल्टरनेटिव प्रोग्राम को मैं समझता हूं यह होना चाहिये कि पालिसी को अटैक करे कि नीति गलत है। यह नहीं कि फलां सड़क नहीं बनी, वह कुंआ नहीं बना बल्कि सड़क के बारे में नीति क्या है। तो यह बड़ा वैलुएबिल राइट है अपोजीशन का और मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस के पृष्ठ २९१ से २९३ तक जो लिखा हुआ है, मैं यह निवेदन करूंगा कि इस प्रदेश की विधान सभा उसी सर्वमान्य संसदीय प्रथा का अनुसरण करे और जो बहस मुबाहसा हो वह अधिकतर सरकार की नीति के ऊपर हो, जैसे पंचायत के संबंध में क्या नीति है, कटमोशन में उसका मौका मिलेगा। यदि हम उसका अनुसरण करेंगे तो उस तरफ के बैठने वालों की यह शिकायत भी दूर हो जायगी और इस तरफ के बैठने वालों को भी जब अभी उधर बैठने का मौका आयेगा तो यह नहीं कि कुआं नहीं बना सड़क नहीं बनी

[श्री त्रिलोकीसिंह]

और सड़क और नाले में उलझ जायं, बल्कि वह प्रदेश की पूरी नीति से वाकिफ होंगे और देश की और प्रदेश की सेवा बहुत अच्छी तरह से कर सकेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष---मैंने माननीय नेता विरोधी दल की बातें सुनीं । मगर हम यहां लोक सभा की प्रथा के आधार पर अपनी प्रथाएं कायम करना चाहते हैं । अगर उन्हें वहां का ज्ञान हो तो वह देखेंगे कि वहां ३ प्रकार के कटमोशन होते हैं---मैं उनकी तफसील में नहीं जाना चाहता । पालिसी का भी कटमोशन हो सकता है और नीति पर वादविवाद हो जाता है, लेकिन यहां यह होता है कि वाद-विवाद और सुझाव देने के लिए माननीय सदस्य कटमोशन पेश करते हैं, यह कोई कटमोशन का विषय नहीं है । पालिसी पर यदि कोई माननीय सदस्य वाद विवाद करना चाहते हैं तो कहें कि हम फलां नीति पर वाद विवाद करने के लिए कटमोशन पेश करते हैं । मैं यह नहीं चाहता है कि अभी से यह प्रथा लागू हो जाय, आप लोग भी जो आवश्यक समझें वह बात सामने रखें और सभी परम्पराओं का ध्यान करके जो उचित होगा वह किया जायगा । कटमोशन, मेरी राय यह है खास कार्य के लिए या शिकायत के लिए, क्या पालिसी हो या विशेष रूप से वादविवाद के लिए हो या उसमें आर्थिक बचत करनी हो, इसके लिए होने चाहिये । लेकिन आम तौर से सुझाव देने के लिए और वाद-विवाद करने के लिए कटमोशन देना मैं उचित नहीं समझता । लेकिन इस सम्बन्ध में कोई अन्तिम निर्णय लेने से पहले जो परम्पराएं किसी को दिखलानी हों वह दिखला दें, मैं आज सख्ती करने नहीं जा रहा हूं । मैं चाहता हूं कि धीरे धीरे सदन उस पर कार्यवाही करे । अब जो आप कोई बात रखेंगे उस पर मैं सहानुभूतिपूर्वक विचार करूंगा ।

*श्री रामजी सहाय (जिला देवरिया)---मैं कुछ सुझाव देना चाहता था । मेरा इस सम्बन्ध में यह निवेदन है कि जहां तक ये अनुदान उपस्थित हो रही है इसमें नीति से अधिक सम्बन्ध व्योरे का है और इस दृष्टि से हर सदस्य अपने क्षेत्र के बारे में इसी समय कुछ व्यक्त करते हैं । इसलिए मेरा अनुरोध है कि ट्रेजरी बेंचेज के लोगों को भी आप अनुपात के हिसाब से समय देने की कृपा करेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष---भाषणों के समय के बारे में अगर आप कोई निश्चय कर लें तो बहुत असानी होगी । पिछले सालों का समय देखने पर मुझे ऐसा मालूम हुआ कि कटमोशन के प्रस्तावक के लिए १० मिनट और शेष वक्ताओं के लिए कभी ५ मिनट, कभी ७ मिनट---जैसा भी समय रहा, तय हो जाता था । तो अगर आप लोग पसंद करें तो कटमोशन देने वालों के लिए १० मिनट और शेष वक्ताओं द्वारा भाषण के लिए ७ मिनट रखे जायं ताकि काफी संख्या में दोनों तरफ के सदस्य भाग ले सकें । तो यह रहा कि प्रस्तावकर्त्ता को १० मिनट, ७ मिनट पहले लेंगे और ३ मिनट में जबाव दें और बाकी ७ मिनट आम सदस्यों को मिलेंगे ।

*श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो अनुदान ग्राम सभा के सिलसिले में सदन से निश्चित किया जा रहा है उसके संबंध में मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि हर मामले में प्रजातंत्र का बहाना लेना उचित नहीं जान पड़ता ।

श्री उपाध्यक्ष---आपने अभी प्रस्ताव पेश नहीं किया ।

श्री ब्रजनारायण तिवारी---यह अनुदान १४ जो इस समय पेश है उसमें कटौती का प्रस्ताव पेश करते हुये मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि...

श्री उपाध्यक्ष---नियमानुसार प्रस्ताव पेश कीजिये ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री ब्रजनारायण तिवारी—मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १४ जो पेश किया गया है, उसमें एक रुपये की कटौती कर दी जाय ।

श्रीमन्, मैं निवेदन कर रहा था कि हर बार प्रजातंत्र का नाम लिया जाता है, शायद नया स्वराज्य है, नया जनतंत्र है, इसलिये परेशानी है । मैं समझता हूं कि यह सरकार या उसके कर्णधार.....

श्री सुलतान आलम खां (जिला फर्रुखाबाद)—मैं चेयर से यह दरख्वास्त करूंगा कि जब कोई मेम्बर कटमोशन पेश करे तो उससे यह भी तवक्को की जाय कि वह बतायें कि क्या वजह है जिससे वह कटमोशन पेश कर रहे हैं ताकि समझा जा सके कि किस नजर से बहस की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—जी हां, मैंने निवेदन कर दिया है और मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य धीरे-धीरे रास्ते पर आ जायेंगे ।

श्री ब्रजनारायण तिवारी—यह कटमोशन इसलिये पेश किया जा रहा है कि बहस हो । मैं नीति के संबंध में निवेदन कर रहा हूं । जहां तक पंचायतों के बनाने का सवाल है, वह किस तरह से बनाई गई हैं, १९४९ से लेकर आज तक, कैसे काम करेंगी, आर्थिक समस्या कैसे हल होगी या कितने दिन की अवधि हो, क्या उसके अधिकार हों, वह विकास अपना कर पायेंगी या नहीं, इस संबंध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज के पहले जो पंचायतें थीं वह एक हजार की जनसंख्या पर थीं, अब २५० की जनसंख्या के आधार पर रख दी गई हैं । मेरा ऐसा अनुभव है कि इसका आधार यह नहीं माना गया कि ५०० बीघे से जो कम कबे के गांव हों वहां गांव सभा न बनाई जाय । लेकिन जन-संख्या के आधार पर बनाई गई हैं जहां न हाट है, न बजार है, न आमदनी का जरिया है और न इतना रकबा ही है कि वह टैक्स के द्वारा या चन्दे के द्वारा अपना खर्चा चला सकें ।

दूसरा सुझाव का सवाल है । जनतंत्र का नाम बार बार लिया जाता है । मैं आपके द्वारा सरकार से पूछना चाहता हूं कि सरकार के सामने ऐसी क्या परेशानी है ? अगर आप चाहते हैं कि गांव के लोग स्वतंत्र रूप से चुनाव कर सकें तो उनको सहूलियतें दें । आज उनको जनतंत्र के अधिकार हैं तो फिर हाथ उठाने की चुनाव कराने की पद्धति को क्यों अपनाया गया ? क्या सरकार को मालूम नहीं है कि उनको आर्थिक आजादी नहीं मिली है इसलिये वह डर से हाथ उठा देते हैं और निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाते हैं । मेरा निजी तजुर्बा है कि इस साल जो चुनाव हुये हैं उसमें कलेक्टर ने किसी का नाम रख दिया या किसी जन प्रतिनिधि ने किसी का नाम रख दिया और हाथ उठवा लिये गये । यह अप्रजातांत्रिक है, इसलिये इसको हटा दिया जाये जहां तक इसके फारमेशन का सवाल है, जहां तक चुनाव के खर्चे का सवाल है, जो जीत गया या जिसे किसी खास हद तक वोट मिले उनका पैसा वापस कर दिया जाता है लेकिन जो सभापति के चुनाव के लिए खड़े होते हैं उनका पैसा क्यों नहीं वापस होता है । अगर आप चाहते हैं कि उनको भी आजादी मिले तो वहां भी यही चीज लागू होनी चाहिये ।

जहां तक पंचायतों की सम्पत्ति का सवाल है, मैं तो यह अर्ज करूंगा कि जो अनुदान इसमें दिया जा रहा है उससे अच्छा तो यह हो कि जिस जमीन पर सार्वजनिक काम वगैरह होते हैं, जैसे आज गांव सभाओं में कहीं बाग में मेले वगैरह लगते हैं तो व्यक्तिगत हैसियत से पैसा लेते हैं, गांव सभा को नहीं दिया गया है, यह नहीं होना चाहिये ।

अभी आपके सामने एक प्रस्ताव आया था कि १०९ और ११० वाले सदस्य नहीं हो सकते और अगर उनको सदस्य होना है तो जनतांत्रिक तरीके के आधार पर ५, १० साल के बाद सभवतः वे इस योग्य हो सकें । लेकिन अगर प्रान्तीय सरकार चाहे तो उस

[श्री ब्रजनारायण तिवारी]

अयोग्यता को हटा सकती है। इससे तो मैं यह समझता हूं कि मंत्रिमंडल चाहे वह गांव का हो चाहे कहीं और का हो वह स्वतंत्र नहीं होता है। ऐसे तो एक मैनेजर की हैसियत से काम करने का तरीका जान पड़ता है।

श्री उपाध्यक्ष—आपका समय समाप्त हो गया।

श्री सुल्तान आलम खां—जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मुझे अपने दोस्तों से जो उस तरफ बैठे हैं एक छोटी सी शिकायत है और वह यह है कि ग्राम पंचायत जैसे अहम मामले के मुताल्लिक उन्होंने आज डिस्कशन के लिये सिर्फ एक घंटे का वक्त तजवीज किया है। पंचायतें वह चीज हैं जो कांस्टीट्यूशन, और हमारे ऐडमिनिस्ट्रेशन की बुनियद हैं। हमारे संविधान ने इस बात पर जोर दिया है कि इस मुल्क के अन्दर जो ऐडमिनिस्ट्रेशन होगी उसकी यूनिट पंचायत होगी और उसी के आधार पर ये बनायी और चलायी गयी हैं। अभी माननीय मंत्री ने जो एक रिपोर्ट पंचायत राज ऐक्ट के मुतातिलक हमारे सामने पेश की वह हमें बड़ी हिम्मत दिलाती है। मैं इस बात पर यकीन रखता हूं कि यह बड़ा बोल्ड एक्सपेरीमेंट है जो न सिर्फ हम इस सूबे में बल्कि शायद सारे संसार में कर रहे हैं और इस बुनियाद पर अगर हम देखें तो इन सात साल के अन्दर जो कुछ इस सूबे में हुआ वह कोई छोटा एचीवमेंट नहीं है। यह सही है कि पंचायतों के चुनाव के बाद गांवों में दलबन्दी हो गयी है, लेकिन मैं समझता हूं कि यह भी एक बहुत अच्छी चीज है कि हमारी पोलिटिकल पार्टीज ने पंचायतों के पहले और दूसरे चुनाव में कोई भाग नहीं लिया और मैं तो उन लोगों में हूं जो यह मानते हैं कि जहां तक तमाम लोकल बाडीज का ताल्लुक है अगर सारी पार्टियां इस बात का फैसला कर लें कि वे उनके चुनावों में भाग नहीं लेंगी तो यह मुल्क के लिये कुछ अच्छा ही होगा इसलिये कि लोकल बाडीज में और खासतौर पर पंचायतों में जो मामले आते हैं वे बिल्कुल लोकल इश्यूज होते हैं, उनका ताल्लुक हमारे कांस्टीट्यूशन या फारेन पालिसी से नहीं होता। इसलिये मैं समझता हूं कि हमारे भाग न लेने की वजह से गांव पंचायतों में दिक्कतें कम हुई।

जरा सोचिये, अगर पोलिटिकल पार्टीज इसमें हिस्सा लेतीं तो शायद जो आज दिक्कतें इस एक्सपेरीमेंट के चलाने में हमारे सामने आ रही है उससे भी ज्यादा दिक्कतें आतीं। बहरहाल, यह एक्सपेरीमेंट चल रहा है और जाती तौर पर मैं यह महसूस करता हूं उनको बहुत ज्यादा तरक्की शायद इस वजह से भी नहीं हुई कि अभी तक हम यह फैसला नहीं कर सके कि पंचायतों और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का डिमार्केशन आफ ड्यूटी क्या होगा। मैंने आज ही सवालों के जबाव में सुना कि अनकरीब में ही डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का अमेंडिंग बिल हमारे सामने आ रहा है। मैं समझता हूं कि यह जितनी जल्दी आ जाय उतना ही अच्छा है, इसलिये कि वह बहुत से काम जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड अंजाम दिया करता था वह आजकल पंचायतें करती हैं और अगर उसके जरिये से पंचायतों और बोर्ड की ड्यूटीज का डिमारकेशन हो जाय तो पंचायतें बहुत अच्छा काम कर सकेंगी।

इसके अलावा इसमें फाइनेन्शियल मामलात भी तअय्युन हो जायंगे। आज पंचायतों की जो सबसे बड़ी दुश्वारी है वह यह कि उनके पास रुपया नहीं है जिससे वह अपनी उन्नति के काम कर सकें और उनको अच्छे, बड़े पैमाने पर चला सकें। इस बात को हमें जल्द से जल्द तय करना है और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एक सुपरवाइजिंग बाडी हो जाय और प्लानिंग कमेटी का काम भी उसमें शामिल हो तो इससे पंचायतों को ज्यादा आजादी से काम करने का मौका मिलेगा और वह अपने काम में ज्यादा इनीशियेटिव ले सकेंगी और उसके बाद हमारे देहात की जो आज पिक्चर है वह कुछ ज्यादा अच्छी हो सकेगी।

यह सही है कि जो अख्तियारात हमने पंचायतों को दे रखे हैं उनके मुताल्लिक आज दो रायें हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जो अख्तियारात मिले हैं, वह कम हैं, बाज इन

को ही काफी अख्तियार समझते हैं। मुझे याद है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की जब एक कमेटी इस सिलसिले में बैठी थी उसका एक मेम्बर मैं भी था, उसमें मैंने यह अर्ज किया था और अपना एक नोट भी दिया था कि पंचायतों को सरेदस्त कम से कम अख्तियार दिये जायं ताकि वह उनको जज्ब कर सकें और अपना काम उन के हिसाब से चला सकें। पंचायत राज ऐक्ट ऐसा नहीं है कि जिसको रिवाइज न किया जा सकता हो।

उस पर गौर करके इन पंचायतों के अख्तियार फिर से बढ़ाये जा सकते हैं। तो मैं इस बात को मानने वाला हूं कि पंचायतों को जो अख्तियार हमने दिये हैं वह उससे बहुत ज्यादा हैं जो इब्तिदा में हमको देने चाहिये थे। लेकिन बहरहाल, उनको अख्तियार मिल गये और वह अपना काम चला रही हैं।

मैं इस राय का भी हूं कि एक कमेटी बैठाई जाय जो इस बात पर गौर करे कि पंचायतों ने जो काम किया है वह कैसा है और उनके अख्तियार में और क्या इजाफा किया जा सकता है। ऐसी कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद गवर्नमेंट को मौका होगा कि वह उस आधार पर पंचायत राज अमेंडमेंड बिल ला सके और उसके जरिये से पंचायतों के अख्तियारात को बढ़ा सके। लेकिन, मैं यह अर्ज करूंगा कि अगर पंचायतों को एफेक्टिव बाडी बनाना है और कारामद बनाना है तो उनके फाइनेन्सेज के लिये जरूर कुछ न कुछ इंतजाम होना चाहिये। चाहे इसके लिये हम उनको टैक्स लगाने की पावर दें या और कोई इंतजाम करें, हमको यह करना होगा। भले ही हम पंचायतों, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और प्राविंशियल सरकार के जो काम होंगे उनके लिये टैक्सेशन का एक पूल बनावें और उसमें से अलाहिदा अलाहिदा इन सब के लिये रुपया रखें। यह वक्त अब बीत चुका है कि हम इस बात पर गौर करें और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट को अमेंड करके इन दोनों की ड्यूटीज अलग-अलग कर दें ताकि पंचायतें अपना काम अच्छी तरह से चला सकें।

इन मुख्तसर अल्फाज के साथ मैं ताईद करता हूं कि इस अनुदान की जो हुकूमत की तरफ से रखा गया है और चाहूंगा कि हाउस इस पर गौर करके इसको मंजूर करे।

श्री सुरथबहादुर शाह (जिला खीरी)--उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह निवेदन करना है कि पंचायतों पर ज्यादा लोग बोलने वाले हैं इसलिये इसके महत्व को देखते हुये मैं निवेदन करूंगा कि इसके लिये बजाय एक घंटे के आप डेढ़ घंटे का समय कर दीजिये और केवल आधा घंटा अनुदान ३९ के लिये रख दीजिये। वह इतना महत्व का नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष--किसी को इस पर एतराज है ?

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)--जैसा कि अभी मेरे भाई ने कहा है, यदि वह इस पर तैयार हो जायं कि अनुदान ९, १० और ४४ कल ले लिये जायं और ४४ में बजाय १ घंटे के के २ घंटे का समय दिया जाय तो ठीक होगा।

श्री उपाध्यक्ष--यह तो ग्रान्ट ३९ का समय काट कर इसको दे रहे हैं।

श्री नवलकिशोर--मैंने यह आल्टरनेटिव रखा था कि ग्रांट ४४ को आज के बजाय कल लिया जाय। इस तरह से आज हमारे पास कुल ३ अनुदान रहेंगे। इनमें से इस आइटम के लिये बजाय आधे घंटे के २ घंटे का समय दे दिया जाय।

श्री गौरीशंकर राय--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर माननीय सदस्यों को यह इतना आवश्यक प्रतीत होता है कि इस पर २ घंटे बहस हो तो हमें कोई एतराज नहीं होगा कि "विविध व्यय ३९" को गिलोटीन कर दिया जाय।

श्री सुल्तान आलम खां---मुझे बड़ी खुशी है कि मैंने तकरीर की इब्तिदा में कहा था कि १ घंटा कम है और अब अपोजीशन के मेरे दोस्त तैयार हैं कि २ घंटे बहस चले। लेकिन २ घंटे भी इसके लिये कम हैं, अगर और ज्यादा हो तो अच्छा है ।

श्री रामदास आर्य (जिला मुजफ्फरनगर)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करता हूं और कुछ सुझाव भी दूंगा इस आशा में कि उन पर विचार किया जायगा। पंजायत राज्य ऐक्ट बनाकर सरकार ने गांवों में पंचायत और पंचायती अदालतें कायम कीं और संसार को यह एक नमूना पेश किया है। इसमें कुछ त्रुटियां हैं और माननीय मंत्री जी उन्हें भविष्य में सुधारने का प्रयत्न करेंगे, यही मैं कहने के लिये आया हूं। यूं तो पहले भी पंचायतों के बारे में बहुत से सुझाव दिये गये और यहां तक बताया गया कि पंचायतों ने, और विशेषकर पंचायती अदालतों ने, जो कार्य किये हैं उनसे सन्तुष्टि नहीं हुई है। यह भी कहा गया कि पंचायती अदालतें खत्म कर दी जावें लेकिन फिर इस पर विचार होकर यह तय हुआ कि यह बापूजी की सबसे बड़ी इच्छा थी कि गांव में गांव का राज्य हो और उसका सम्मान होना चाहिये। इस मर्यादा का ध्यान रखते हुये सरकार ने उन्हें कायम रखा और चूंकि हम देखना चाहते हैं कि गांव समृद्धिशाली हों इसलिये उनके हाथ में वहां का राज्य सौंपा। लेकिन पंचायतों का चुनाव हाथ उठाकर होने की प्रणाली का मैं पहले से विरोधी हूं और मैं चाहता हूं कि बाई बैलट यह चुनाव होना चाहिये। इससे गांववालों को सन्तोष मिलेगा ।

श्री उपाध्यक्ष---यह बात एक सदस्य कह चुके हैं और डिबेट में मैं उसे दोहराने पर ऐतराज करूंगा। मैं भी सहमत हूं कह देना काफी है। उसके बाद तफसील में न जावें ।

श्री विचित्रनारायण शर्मा---श्रीमन्, हमको यह मालूम हो जाय कि लोग क्या चाहते हैं, इसलिये उसका आ जाना ही अच्छा है ।

श्री उपाध्यक्ष---ठीक है, संक्षेप में कह सकते हैं ।

श्री रामदास आर्य---हमारे गांवों में अभी तक सेक्रेटरियों और इंस्पेक्टरों को यह पता नहीं है कि वे प्रधानों को उनके कर्त्तव्य बतावें। वहां दोहरे टैक्स हैं, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और पंचायतों के गांव वाले उनके भार को नहीं उठा पा रहे हैं। एक ही का टैक्स होना चाहिये, चाहे बोर्ड का हो या पंचायत का ।

दूसरी बात मुझे यह कहना है कि गांव की जनता गरीब है और गरीबों के अन्दर गांव सुधार का कार्य अधिक तेजी से होना चाहिये। उनके लिये शिक्षा का, कुओं का और रास्तों का प्रबंध होना चाहिये। जो दबे हुये हैं, जिनकी आर्थिक दशा कमजोर है। उनके लिये यह कार्य आवश्यक है। इन्हीं लोगों पर ज्यादा पैसा खर्च किया जाना चाहिये ।

अदालतों के बारे में यह देखने में आया है कि जो मुकदमे पेशी में आते हैं उनका नोटिस ठीक प्रकार से नहीं दिया जाता है। मेम्बरों को ठीक प्रकार से सूचना भी नहीं होती और कार्यवाही हो जाती है और उस पर दस्तखत करा लिये जाते हैं। ऐसे मुकदमे जब निगरानी में जाते हैं तो रद्द हो जाते हैं। मैं समझता हूं कि इस ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। उनका निरीक्षण होना चाहिये और उनमें ठीक प्रकार से सुधार होने चाहिये और जो कमी हो उनको दूर किया जाय ।

जो अदालती पंचायतों का चुनाव है उसकी प्रणाली से भी मैं ज्यादा सहमत नहीं हूं। जिस ढंग से चुनाव किया जाता है वह ज्यादा फायदेमंद नहीं है, इससे गरीब लोग अदालती पंचायतों में नहीं आते। जहां तक हरिजनों और गरीबों का सवाल है पढ़े-लिखे आदमी सेक्रेटरी की रिपोर्ट पर निकाल दिये जाते हैं। आपने देखा होगा कि प्रदेश भर में पहले के मुकाबिले में इस बार हरिजनों की संख्या बहुत कम आयी है। मैं समझता हूं कि इस तरीके में सुधार होना चाहिये, उनकी आमदनी में भी बढ़ोत्तरी होनी चाहिये जिससे वह अपने कार्य को चलाने में समर्थ होस कें। इन शब्दों के साथ मैं इस मांग की ताईद करता हूं ।

श्री अमरनाथ (जिला गोरखपुर)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको बधाई देता हूं कि इतने दिनों के बाद मुझे आज बोलने का आपने अवसर दिया। मुझे पंचायतों के सम्बन्ध में यह कहना है कि पंचायतों का चुनाव जिस ढंग से आज किया जा रहा है वह तरीका बदल करके जैसा कि हमारे एक साथी ने सुझाव दिया है उस तरीके को अपनाया जाय क्योंकि इस तरीके से गांवों में अधिक पार्टीबंदी बढ़ गयी है। जो लोग पावर में आ गये हैं और जिन्होंने उनको वोट नहीं दिये उनके साथ वे अन्याय करते हैं। पुलिस वालों से मिलकर उनको पिटवाते हैं और तरह-तरह के मुकदमों में उनको फंसवाते हैं, साथ ही न्याय पंचायतों में गलत मुकदमे चला कर लोगों को परेशान करते हैं। यहां तक कि उन मुकदमों के फैसलों को टाइम बार करा दिया जाता है जिससे उसकी निगरानी भी न हो सके। इसलिये जब गुप्त मतदान हो जायगा तो किसी को कोई जानकारी नहीं होगी कि किसने किस को वोट दिया है। तब इस तरह की बात नहीं होगी।

दूसरी बात मैं पंचायतों की कार्यवाही के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि सदस्यों पर नोटिस तो भेजी जाती है लेकिन सदस्यों के पास नोटिस नहीं पहुंचता। वक्त पर कोरम न होना दिखाकर बैठक को स्थगित कर दिया जाता है और दूसरी तारीख पर मनमाने तरीके से लिख कर सदस्यों से दस्तखत करा लिया जाता है।

तीसरी बात मुझे यह कहना है कि पंचायत कर के लगाने का जो तरीका बनाया गया है, उसका पालन नहीं होता है। मनमाना प्रस्ताव पंचायत अधिकारियों के पास भेजकर स्वीकृत करा लिया जाता है। और दूसरी बार क्या होता है कि सेक्रेटरी प्रोसीडिंग पर घ र घर घूम कर सदस्यों के दस्तखत करवा लेते हैं। मैं चाहता हूं कि इस तरह की कार्यवाही न की जाय। जिस तरह के नियम हैं उसी के मुताबिक कर लगने चाहिये। इसलिये मैं यह चाहूंगा कि इस कर को हटा कर सरकार स्वयं राजस्व से पंचायतों को हिस्सा दे तो बेहतर होगा।

चौथी बात मुझे कर्मचारियों के सम्बन्ध में कहनी है कि जिस तरह से अन्य विभागों में भ्रष्टाचार फैला हुआ है उसी तरह से पंचायत विभाग में भी भ्रष्टाचार फैला हुआ है। उदाहरण के लिये मैं बतला दूं कि आपने गांव पंचायतों के लिये जो लालटेनों की व्यवस्था की है उसमें आप देखेंगे कि गांव पंचायतें अपनी तरफ से लालटेनें नहीं खरीदतीं बल्कि पंचायत इंस्पेक्टर लोग ठेकेदारों के जरिये, दूकानदारों के जरिये लालटेनें खरीदते हैं और तब पंचायतों से रुपया लेकर उनकी कीमत अदा करते हैं। इसी तरह रेडियो सेट भी पंचायतों को बेंचवाते हैं। और इस तरह से वे ठेकेदारों से और दूकानदारों से मिल कर रुपया कमाते हैं। इस तरह से भ्रष्टाचार होता है।

पांचवीं बात यह है कि आप पंचायतों के हिसाब की जांच तो करवाते नहीं हैं। सब कुछ पंचायत इंस्पेक्टरों के ऊपर ही सौंप देते हैं। अगर आडिटर के जरिये जांच करायी जाय तब मालूम होगा कि कितना गबन पंचायतों के अन्दर हुआ है। पंचायत के सभापतियों की कोई सुनवाई पंचायत इंस्पेक्टरों या एस० डी० ओ० के यहां नहीं होती है। फिर उस कानून के बनाने से फायदा ही क्या हुआ जिस पर अमल ही नहीं किया जा सकता।

इसी तरह से पंचायती अदालतों की हालत है कि वहां पर तीन-तीन चार-चार वर्ष तक के मुकदमे पड़े हुये हैं जिनके फैसले नहीं हो पाते हैं जिससे लोगों को बड़ी परेशानी होती है। इसके लिये कोई तरीका ऐसा निकालना चाहिये जिससे जल्दी से जल्दी फैसला हो सके।

छठी बात मैं पुलिस और पंचायतों के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। पंचायत राज ऐक्ट की दफा १०८ में है कि अगर पुलिस को मालूम हो जाय कि पंचायत के विरुद्ध कोई गलत काम हो रहा है या कोई पंचायत को नुकसान पहुंचाता है तो पुलिस को पंचायत की मदद करनी चाहिये। लेकिन पुलिस कोई मदद नहीं देती है। पुलिस के आदमी खुद पंचायत के प्रधानों आदि से मिलकर रिश्वतें लेते हैं और इस तरह से भ्रष्टाचार वहां चल रहा है।

[श्री अमरनाथ]

एक बात यह भी है कि जनता से पंचायतें कोसों दूर होती जा रही हैं। जिस इरादे से पंचायतों का चुनाव हुआ था और महात्मा गांधी ने जिस रामराज्य का स्वप्न देखा था वह पूरा नहीं हो सका। जिस तरह से जमींदारों से उनकी प्रजा त्रस्त थी उसी तरह की हालत आज इन पंचायतों के जरिये भी हो रही है। किसी का घूर, किसी का खलिहान कब्जा कर लिया, किसी का खूंटा उखड़वा दिया या जब जिसका चाहते हैं उसका घर उजड़वा देते हैं, इस तरह से तरह-तरह की बातें की जाती हैं और उनको बड़ा परेशान किया जाता है। आपस में दलबन्दी की वजह से दफा १०७, १०९ और ११० के मुकदमे पुलिस वालों से मिलकर पंचायत वाले चलवाते हैं जिसमें पुलिस वाले लोगों से खूब रिश्वतें लेते हैं। सभापति और पंचायत के लोग भी मिल कर रिश्वत दिलाते हैं और वे भी उसमें से हिस्सा लेते हैं। पंचायतों के माल मुहकमे के सेक्रेटरी लेखपाल होते हैं। यह लोग अपने कर्त्तव्यों का पालन ठीक से नहीं करते जिससे पंचायतों का कार्य सुचारु रूप से नहीं हो पाता है।

दूसरी बात, जब बाजार का कोई नीलाम होता है तो वहां कानूनगो साहब जाते हैं और वह नीलाम गांव पंचायत की तरफ से नहीं किया जाता है बल्कि कानूनगो साहब उसको नीलाम करते हैं जिनको नीलाम लेने वाले रिश्वतें देते हैं। बहुत से नीलाम तो इसी चक्कर में कैंसिल तक कर दिये जाते हैं, और उसकी जगह दूसरा नीलाम फर्जी तौर पर दिखा दिया जाता है। इस तरह पंचायत को नुकसान पहुंचाया जाता है। पंचायतों को अपने अधिकार का ज्ञान नहीं रहता जिससे वह इस तरह के कामों को रोक सकें।

श्री उपाध्यक्ष—आपका समय समाप्त हो गया।

एक निवेदन मैं माननीय सदस्यों से कर देना चाहता हूं कि मैंने सोचा है कि काफी संख्या नये सदस्यों की है जो एक बार भी नहीं बोल सके हैं, उनको वक्त दूं। इसलिये जो माननीय सदस्य पहले बोल चुके हैं, वे बार-बार उठा बैठा न करें, इससे मुझे काफी तकलीफ होती है। जो लोग जनरल वादविवाद में बोल चुके हैं उनमें से सम्भवतः मैं शायद एकाध को समय दे दूं, वरना नहीं दूंगा।

श्री भगवतीप्रसाद शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि मुझ पर आज बहुत दिनों के बाद आपकी कृपा हुई कि मुझे आज बोलने का मौका मिला। प्रयत्न तो मैं बहुत करता था लेकिन आपकी आंख में मैं भर न सका कि मुझे आप मौका देते।

श्री उपाध्यक्ष—बात यह है कि माननीय सदस्य तो ४३१ हैं और मेरी आंखें दो ही हैं।

श्री भगवती प्रसाद शुक्ल—आज पंचायतों के सम्बन्ध में मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं। जिस समय यह पंचायत राज ऐक्ट इस सदन में पारित हो रहा था उस समय मुझे इस सदन में बैठने का अवसर प्राप्त हुआ था। उस समय के हमारे मुख्य मंत्री माननीय पंत जी के शब्द मुझे याद हैं जिस भावना से यह ऐक्ट बन रहा था और जो भावनाएं उस समय इस माननीय सदन में बतलाई गई थीं वह सब बातें मुझे आज भी याद पड़ती हैं। आज इतने वर्ष इस ऐक्ट को बने हुये हो गये और यदि एक निष्पक्ष दृष्टि से हम अतीत की ओर दृष्टिपात करें तो हमें यह कहना होगा कि जिस भावना से यह कानून बनाया गया था उस भावना की पूर्ति इस के द्वारा हो नहीं रही है।

एक निवेदन मैं यह कर देना चाहता हूं कि यह हमारा ऐसा प्रयत्न था, या कांग्रेस सरकार का यह एक ऐसा प्रयत्न था कि इस ऐक्ट के द्वारा देहात की जनता में यह भावना पैदा की जाय कि वह भी स्वराज्य प्राप्ति के पश्चात् अपना योग दे और स्टेट के प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्त्तव्य हो कि वह देश की उन्नति के लिये कुछ सहयोग दे। इस भावना से यह ऐक्ट पास किया गया था और गांव-गांव में जनता के समक्ष यह बात प्रस्तुत की गई थी कि वह इस में सहयोग दे। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार की ओर से या उच्च-

कोटि के जो व्यक्ति रहते हैं उनकी ओर से कोई अच्छी विचारधारा जब प्रस्तुत की जाती है तो उसका विरोध करने वाले भी कुछ लोग उत्पन्न हो जाते हैं। आपने भी अनुभव किया होगा और इस सदन के माननीय सदस्यों ने भी अनुभव किया होगा कि कांग्रेस सरकार की ओर से जब-जब इस प्रकार का प्रयत्न किया गया तो कुछ व्यक्ति या कुछ दल बिना किसी कारण के ही उसका विरोध करने के लिये खड़े होते रहे हैं।

इसी प्रकार से हमने यह भी अनुभव किया कि जब यह बिल पारित हुआ और इसके अनुसार कार्यवाही करने का प्रयत्न किया गया तो विरोधी दल के लोग या कुछ स्थानीय व्यक्तियों ने इसका विरोध करना आरम्भ किया। उसका परिणाम यह हुआ कि हर गांव में दलबन्दियां हो गईं और वहां जिसकी लाठी उसकी भैंस का वातावरण हो गया और बल का प्रयोग होने लगा। इस तरह से गांव की गरीब जनता परेशान होने लगी जैसा कि अभी एक माननीय सदस्य ने बताया कि फर्जी मुकदमे गरीबों के खिलाफ चलने लगे। चुनाव की जो प्रणाली हाथ उठाकर वोट देने की थी उसके अनुसार जो विरोधी थे उनको परेशान किया जाने लगा और इस तरह से गांवों में इस पंचायत राज कानून के खिलाफ एक आवाज पैदा हो गई। जो सज्जन व्यक्ति थे, जो ईमानदारी से इस पंचायत राज ऐक्ट के अनुसार काम करना चाहते थे उनके दिल में यह भावना पैदा हो गई थी कि हम ईमानदारी से इस काम को करेंगे लेकिन अब कुछ इस तरह का डर पैदा हो गया है कि वह ईमानदारी से काम नहीं करने पा रहे हैं।

एक खास बात मैं सरकार के सामने पेश करना चाहता हूं। वह यह है कि गांव समाज की जो भूमि है उसके सम्बन्ध में आजकल गदरबूद मचा हुआ है। इसको आप समझ लें। ग्राम समाज की जो जमीन है उस पर या तो सभापति स्वयं कब्जा कर लेता है या अपने संबंधियों को पट्टा कर देता है। यदि उच्च अधिकारियों के सामने इस बात को बताया जाय तो वह कहते हैं कि यह ग्राम समाज की जमीन है। क्यों आप परेशान होते हैं? जिसकी होगी उसको मिल जायगी। मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि ग्राम समाज की जो जमीन है वह सरकार की जमीन है। ग्राम समाज के जो पदाधिकारी हैं वह वहां पर सिर्फ प्रबंध करने के लिये हैं। तो अधिकारियों को यह हिदायतें की जायें कि प्रत्येक गांव में जो ऐसी जमीन है जो कि ग्राम समाज की है उस पर अगर अनधिकार व्यक्तियों ने कब्जा कर लिया है या किसी ऐसे व्यक्ति को उन्होंने दे दी है जो सभापति या लैन्ड मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन के सम्बन्धी हैं, तो उनसे ले कर वह गांव के रहने वालों के फायदे के लिये छोड़ दी जाय।

दूसरी बात सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि पंचायत इंस्पेक्टर जो कि उस जिले के रहने वाले हैं मेहरबानी करके उस जिले में उनको इंस्पेक्टर न बनाया जाय। परिणाम यह होता है कि उनके सम्बन्धी उनके सम्पर्क में आकर नाजायज काम करने की उनकी प्रवृत्ति होती है।

एलेक्शन के सिलसिले में भी मैं निवेदन करना चाहता हूं। जो पिछला एलेक्शन हुआ उसमें मुझे स्वयं अपने जिले में ऐसा अनुभव हुआ कि एक लिस्ट जो कि इंस्पेक्टर के पास है और दूसरी जो लिस्ट पंचायत आफिस में है और तीसरी लिस्ट जो मंत्री के पास है इन तीनों में इतना फर्क मिला जिससे बहुत से एलेक्शन अवैधानिक करार दिये गये और उन जगहों पर अभी तक एलेक्शन नहीं हुये। मैं अपने ग्राम हरखपुर के संबध में बतलाता हूं। मंत्री महोदय नोट कर लें।

रजिस्टर भाग १ और २ में उन तीनों लिस्टों में पचास-पचास, सौ-सौ वोटरों का फर्क पाया गया। उस पर जिस समय अदालत का निर्णय हुआ तो कहा गया कि फोर्जरी हुई है। गलत बातें हुईं। एलेक्शन रद कर दिया गया और अभी तक एलेक्शन नहीं हुआ, बावजूद इसके कि पांच ६ अप्लीकेशंस दी गईं।

श्री उपाध्यक्ष--अब आपका समय समाप्त हुआ।

*श्री टम्बरेश्वर प्रसाद (जिला सीतापुर)—उपाध्यक्ष महोदय, ग्राम पंचायतों का सम्बन्ध उत्तर प्रदेश के सारे ग्रामों से है। इसलिये आज की गांव पंचायतों के आर्थिक प्रश्न के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया जा सकता जैसा कि आज किया जा रहा है। मुझे अनुभव है कि पंचायतों के चुनाव हो गये हैं परन्तु उन पर पूर्ण रूप से नौकरशाही का शासन है। पंचायत सेक्रेटरी तथा उनके अतिरिक्त और भी गांवों में पहले ही से बहुत से कितने लोग मौजूद हैं सरकार की ओर से जोकि काश्तकार को परेशान करने के लिये काफी हैं। लेखपाल, अमीन, वी० एल० डब्लू वर्कर और पंचायत सेक्रेटरी इस प्रकार चार व्यक्तियों की हुकूमत आज गांव में चल रही है। यह सब लोग किसी तरह कागज की खाना पूरी करने में अपना समय व्यतीत करते हैं। गांव पंचायतों के जो चुनाव हुये हैं। इस विधान सभा में अगर कोई सदस्य आता है तो उसे कोई धन व्यय नहीं करना पड़ता, पार्लियामेंट में भी अगर कोई सदस्य जाता है तो उसे भी कोई धन व्यय नहीं करना पड़ता लेकिन गांव सभा में प्रधान बनने के लिये १२ रुपये सरकार को देने पड़ते हैं और पंच बनने के लिये ६ रु० सरकार को देने पड़ते हैं। अगर आप औसत लगायें तो एक-एक ग्राम समाज में जिसमें १७ पंच हैं और अगर तीन चार व्यक्ति भी प्रधानी के चुनाव में खड़े हुये तो दो सवा दो सौ रुपये की निश्चित धनराशि सरकार के राजस्व में उस गांव से आती है। पूर्वी जिलों के गांवों की स्थिति इतनी दर्दनाक है कि वहां भोजन भी नहीं है। मेरी समझ में नहीं आता कि वहां के लोग एक-एक गांव में दो, सवा दो सौ रुपये किस तरह से जमा करेंगे कि उनकी पंचायतें बन सकें।

मुझे अपने जिले का अनुभव है जहां केवल इसलिये कि प्रधान के चुनाव में रुपया दिया जाय, न देने के कारण आज तक पूरी पंचायत न बन सकी, कोई ६ रुपया देने के लिये तैयार नहीं है। इसलिये जो मंत्री जी ने कहा कि चुनाव निर्विरोध भी हुये हैं तो हों क्यों न क्योंकि हर कोई ६ रु० देने को तैयार नहीं होता। इसलिये पंचायतों के चुनाव में रुपया नहीं लेना चाहिये।

दूसरी बात जब गांव पंचायतों का चुनाव हुआ उसमें से दो-दो व्यक्ति पंच चुन गये जो अलग पंचायत अदालत का निर्माण करते हैं तो जो कमेटी पंचों के सेलेक्शन की बनती है उसमें भी काफी घपला होता है जिसके कारण पंच वही चुने जाते हैं जिनका किसी पार्टी विशेष से सम्बन्ध होता है। नतीजा यह होता है पंचायत अदालतों का निर्माण भी फेयर नहीं होता जिनसे न्याय की आशा की जाती है। ऐसी दशा में पंचायतों से यह आशा करना कि दलगत बातों से ऊपर उठ कर अपना काम करेंगी, यह मेरी समझ में नहीं आता। आज उनका काम हो गया है किसी प्रकार पार्टी बन्दीबना कर मुकदमों का फैसला करना। जैसा मंत्री जी ने कहा कि पंचायतों में ऐसे मुकदमे हुये हैं जिनमें आपस में समझौता हो जाता है। मैं पूछता हूं आज तक तो केवल पुलिस ही सब किया करती थी लेकिन अब तो पंचों पर पुलिस जो चाहती है उनके जरिये जोर डलवा कर वही कराती है क्योंकि पंचों का कोई स्टेट्स तो होता नहीं। जिस समय हम यह देखते हैं तो हमें आज की इस नौकरशाही, अर्थात् सेक्रेटरी पर, जो मनमाने रूप से किसी प्रकार दस्तखत कराकर कार्यवाही चलाता है, स्वाभाविक है कि पंचायतों के प्रति वह श्रद्धा जो हम समझते थे प्रजातंत्र का एक रूप बनेगी नष्ट हो रही है।

मैं अपने जिले की कुछ मिसाल प्रस्तुत करूंगा जिनसे मालूम होगा कि पंचायतों का काम नौकरशाही के कारण किस कदर खराब हो रहा है। एक पंचायत अदालत का चुनाव हो गया। चुनाव के बाद महीनों उस अदालत का कार्य इसलिये नहीं हो सका कि सेक्रेटरी महोदय ने उसका चार्ज सरपंच को नहीं दिया। दूसरे एक पंचायत में किसी प्रकार से सदस्यों के अधिक नामों की घोषणा हो गई। ग्राम सभा में ११ सदस्य होने चाहिये और घोषणा हो गई १३ की तो पंचायत विभाग से इस बात का फैसला नहीं हो सका कि किस एक पंच को उसमें से निकाला जाय, नतीजा यह है कि सब मामला खटाई में पड़ा है। इसलिये जहां न्याय पंचायतों को अधिकार

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दिये गये हैं वहां इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि जल्द से जल्द न्याय अदालतें बन जायं। मैं चाहूंगा कि जहां अभी तक पंचायती अदालतें नहीं बनी हैं उनको जल्द से जल्द बनवाया जाय।

आपने प्रत्येक गांव में दो कमेटीज बना रखी हैं। एक गांव समाज और दूसरे गांव सभा और दोनों का प्रधान एक ही हुआ करता है, एक ही बार चुना जाता है लेकिन अधिकार अलग-अलग हैं। तो गांव समाज के प्रधान को, जो लैन्ड मैनेजमेन्ट कमेटी का भी प्रधान होता है उसको जिलाधीश निकालता है और गांव सभा के प्रधान को पंचायतराज अफसर, जबकि होता एक ही आदमी है दोनों का प्रधान। तो यह तरीका ठीक नहीं है कि वही आदमी एक जगह न रहे और दूसरी जगह रहे।

आज तक इस बात का पता नहीं चलता कि गांव समाज में जो पहले एक अच्छी खासी रकम सिवाय से जमींदार को प्राप्त हुआ करती थी उससे आय इतनी कम क्यों हो गई। इसके हिसाब में बड़ी गड़बड़ होती है, लोग मनमाने रूप से पंचायत की सम्पत्ति का उपयोग करते हैं। होता यह है कि ग्राम समाज का प्रधान और सेक्रेटरी मिल कर उन तमाम चीजों को नीलाम कर दिया करते हैं या अपने कब्जे में कर लेते हैं। जो लोग गांव समाज को इस रूप में देखने का प्रयत्न करते हैं कि वे पंचायतों के आधार पर अपने गांव के जीवन में एक विकेन्द्रीकरण ला सकेंगे, उनको इस बात में पूरी निराशा होती है। मैंने देखा है कि मेरे यहां के एक इंस्पेक्टर हैं प्रापर सीतापुर के। उनके द्वारा कार्य इतनी धीमी गति से चल रहा है कि हजारों रुपया जो कि पंचायत का उनको व्यय के लिये मिलता है शायद वह कैशबुक में भी नहीं जमा है और अगर सरकार जांच करायेगी तो पता चल जायगा कि किस प्रकार उसका दुरुपयोग आपके पंचायत के इन कार्यकर्ताओं ने किया है।

मैं ग्राम प्रधानों के लिये एक बात और कहना चाहता हूं वह यह कि ऐसे ग्राम प्रधान जिनके लिये इसमें शिक्षा की कोई बात नहीं निश्चित है, जो बिना पढ़े लिखे हैं, बिलकुल अंगूठा लगाते हैं उनसे किसी भी कागज पर दस्तखत करा लेना या उनसे कोई भी बात मनवा लेना और फिर उसके बाद उन पर गबन के मुकदमे चलाना यह बड़ी आसान बात है। उनके ऊपर क्या उत्तरदायित्व है इसका? सरकार या तो इस बात का कोई प्रबन्ध करे कि जो प्रधान बिना पढ़े लिखे हैं उनके सम्बन्ध में क्या जिम्मेदारी उस सेक्रेटरी की होगी या उस व्यक्ति की होगी जो कि उनसे यह कार्य लेगा या जो पंचायत में था उस लैन्ड मैनेजमेंट कमेटी में जो फैसले होंगे उनको किस प्रकार वह मनवा सकेंगे अपने अधिकारियों से, क्योंकि वह तो बेचारे इतने कम पढ़े लिखे होते हैं कि रूल्स को पढ़ने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, मामूली से मामूली बातें भी वह नहीं जान सकते हैं। कोई ऐसी योजना सरकार की नहीं है उन प्रधानों को बताने के लिये कि वह अपने अधिकारों को जान सकें क्योंकि जैसा उन्होंने बताया कि लगभग ७८ हजार के लोग हैं और उन्होंने ग्राम सभा बना दी है.....

श्री उपाध्यक्ष--आपका समय समाप्त हो गया।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर १५ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री हरिश्चन्द्रसिंह के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री ब्रजविहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)--अधिष्ठाता महोदय, जो अनुदान माननीय मंत्री जी ने उपस्थित किया है वह बड़ा महत्वपूर्ण है। हमारे प्रदेश में पंचायतों की स्थापना इसी कारण हुई कि इस प्रदेश में प्रजातांत्रिक शासन की एक नींव डालनी थी। जमींदारी उन्मूलन के बाद पंचायतों का महत्व और बढ़ गया लेकिन पंचायतों की आमदनी नहीं बढ़ने पाई जो थोड़ा सा टैक्स लगाया गया उसकी वसूलयाबी में कुछ लापरवाही हुई और कुछ उसका विरोध भी हुआ। पंचायतों को जिस प्रकार से काम करना चाहिये था। वे कार्य न कर पाईं। जो कुछ थोड़ा बहुत धन इन पंचायतों के हाथ आता है उसका भी दुरूपयोग होता है। ग्राम के लोग उस धन का सदुपयोग करना चाहते हैं लेकिन कभी वह धन डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग आफिसर के नजर पड़ जाता है और वह उसे मनमानी ढंग से खर्च करता है और कभी दूसरे

[श्री ब्रजविहारी मेहरोत्रा]

अधिकारियों के इशारे पर देहात के लोगों को उस धन का खर्च करना पड़ता है। लेकिन जहां ऐसे लोग हैं जिन्होंने इन अधिकारियों को नाखुशी की परवा नहीं की वहां गांव वालों ने अपने यहां पंचायत घर, स्कूल, पुल और पक्की सड़कें बनवाईं। जब साल में 'श्रमदान सप्ताह' मनाया जाता है तो कच्ची सड़कें जो होती हैं उनको तो गांव वाले मरम्मत कर लिया करते हैं लेकिन जिन हिस्सों में पक्की सड़कें बनी हुई हैं उनकी मरम्मत गांव सभाओं के इमकान के बाहर हो रही है। मैं सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूं कि सरकार उन सड़कों के रखरखाव की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले।

डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट में संशोधन की बात काफी दिनों से चल रही है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट में किसी सिद्धांत पर सुधार किया जाय। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के पास स्टाफ है और पैसा नहीं है, लेकिन इधर जिला प्लानिंग के पास पैसा है और निगरानी करने वाला स्टाफ नहीं है, अब कहीं-कहीं ओवरसियर्स रखे गये हैं। इस तरह से प्लानिंग में जो पैसा खर्च किया जा रहा है वह नातजुर्बेकारी के कारण जिस तरीके से खर्च होना चाहिये था वह नहीं खर्च हो रहा है। और कहीं-कहीं तो यह हालत हुई कि पैसा पूरा लगा लेकिन वह काम पूरा नहीं हो पाया---गांव सभा का पैसा खर्च हो गया और जो अनुदान मिला वह खर्च हो गया---तखमीना गलत होने के कारण काम अधूरा रह गया, अब गांव सभा के अध्यक्ष के पास यह हुक्मनामा पहुंचता है कि या तो वे काम को पूरा करवायें या पैसा वापस करें। यह एक बड़ी कठिन समस्या उठ खड़ी हुई है। इस प्रकार की समस्याओं को हल करने का मेरी समझ में यही एक अवसर है कि जब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट के संशोधन की बात आप सोचें तो आप कुछ ऐसी योजना बनायें जिससे नियोजन के काम भी ठीक से होने लगें। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और नियोजन विभाग दोनों एक दूसरे की कमी पूरा करें। गांव सभाओं का जो टैक्स है वह वसूल नहीं होने पाता क्योंकि जो अधिक टैक्स देने वाले हैं वे उस टैक्स को बचाने की कोशिश करते हैं।

वह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का टैक्स देते हैं, इनकम टैक्स देते हैं दूसरे टैक्स देते हैं पर इस टैक्स को नहीं देते हैं। यह समस्या भी है कि एक-एक आदमी के ऊपर गांव का टैक्स अलग और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की तरफ से अलग टैक्स लिया जाता है। और टाउन एरिया में जहां जमींदारी उन्मूलन नहीं हुआ है वहां जमींदारी का टैक्स अलग और गांव की तरफ से अलग टैक्स लिया जाता है। हमारे यहां बाजार पुखरायां में जमींदार भी टैक्स लेता है और टाउन एरिया भी लेता है। बेचारे दुकानदारों की दुर्दशा है। वह समझ नहीं पाते हैं कि किस-किस को टैक्स देना है। इस तरह से व्यापार नष्ट हो रहा है और लोग परेशान हैं। अधिष्ठाता महोदय, इस अवसर पर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान एक प्रश्न की ओर आकर्षित करता हूं। टाउन एरिया में जमींदारी का विनाश नहीं हुआ है वहां के बाजार किसके हिस्से में रहें---टाउन एरिया के या जमींदार के---इसका फैसला करना है? देहातों के बाजारों का भी प्रश्न है कि कहीं-कहीं जमींदार अपनी जमीन पर अपना बाजार लगाये हुये हैं।

*श्री सजीवन लाल (जिला उन्नाव)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, मुझे गांव पंचायत और गांव सभा के सम्बन्ध में कुछ सुझाव देने हैं। खास तौर से मुझे यह कहना है कि इस प्रकार जो पंचायत के चुनाव हुये उनमें कुछ जगहों पर बड़ी जबरदस्त धांधली रही है। धांधली का मुख्य कारण यह रहा कि चुनाव बैलट बाक्स से न करा के हाथ उठाकर कराये गये थे। गांव के प्रतिक्रियावादी लोगों ने गांव की जनता को डरा और धमका करके वोट हासिल किये हैं। दूसरा कारण यह है कि कुछ गांव में जो व्यक्ति जीत गये थे और उनके पर्चे पंचायत दफ्तर में पहुंचे हैं, वहां पर जाकर वह बदले गये। जीते हुये सभापति को हराया गया, ऐसी चीजें हुई। इसलिये मैं आपके जरिये सरकार पर इस बात का जोर डालना चाहता हूं कि जो अगले चुनाव हों वह बैलेट बाक्स के जरिये से कराये जायं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि इस समय जो पंचायत की तरफ से टैक्स लगाया गया है वह गांव की जनता से या गांव के और किहीं वर्गों से सलाह न करके सीधे पंचायत के सेक्रेटरी या पंचायत के इंस्पेक्टर के आदेशों के आधार पर गांव में टैक्स लगा दिया गया। अब श्रीमन्, सोचना यह चाहिये कि ७-७ साल के पुराने जो टैक्स आज गरीब जनता से या गांव के उन किसानों से वसूल किये जायं तो यह कितनी बड़ी जबरदस्ती की बात होगी? अगर किसी किराये के मकान में रहा जाय तो तीन साल का किराया भी लोग वसूल करने की हिम्मत नहीं रखते हैं। इसी प्रकार से पुराने जमाने के जो जमींदार थे वह भी ३ साल से पिछला लगान किसी काश्तकार के ऊपर बकाया करार देकर नहीं वसूल करते थे, लेकिन यह ७ साल का टैक्स किस तरह से जबरदस्ती वसूल किया जा रहा है। श्रीमन्, यह अच्छी तरह से मालूम है कि गांव सभाओं में सेक्रेटरियों के जरिये से या इंस्पेक्टरों के जरिये से न कोई बजट की मीटिंग बुलाई गयी है, न खरीफ की और न रबी की मीटिंग बुलाई गयी है बल्कि सीधे और जबरदस्ती उन पर टैक्स लग गया है। यह एक धांधली है और गरीब जनता के साथ ४२० है कि जिन्हें पता न हो, इल्म न हो, उनके ऊपर ७-७ साल का बकाया टैक्स लगे।

अतः मैं चाहता हूं कि यह टैक्स बिलकुल रद्द किया जाय। अगर विकास के लिये गांव पंचायत को रुपये की जरूरत है तो बड़े किसानों और बड़े दूकानदारों पर टैक्स लगाया जाय और उससे काम चलाया जाय।

फिर मुझे आप से प्रार्थना करनी है कि सरकार यह सोचे और कदम उठाये कि गांव में जो गरीब जनता है उसका उत्थान और रहन-सहन का दर्जा ऊंचा करना है तो वह टैक्स के जरिये से नहीं हो सकता है। उसके लिये कोई दूसरा रास्ता या सुझाव सरकार की तरफ से आना चाहिये और मेरा सुझाव तो यह है कि मालगुजारी का कुछ हिस्सा गांवों में ही रहना चाहिये जिससे गांव का निर्माण-कार्य हो सके। इस बार सरकार की तरफ से जगह-जगह ऐसी घोषणायें हुई हैं जो किसानों के लिये बरदाश्त के बाहर रही हैं। पंचायतों की वसूली के लिये मैं यह कहना चाहता हूं कि . . . .

*श्री ताराचन्द माहेश्वरी (जिला सीतापुर)--श्रीमान् अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत मद में उपस्थित करता हूं। मेरा ख्याल यह है कि माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने इस तरह का पहले एक आदेश दिया था कि प्रत्येक सदस्य जिसने कटौती का प्रस्ताव रखा है उसको वह प्रस्तुत करे।

श्री अधिष्ठाता--इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, आप भाषण कर सकते हैं।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी--श्रीमन्, मैं मंत्री महोदय के इस कथन को सही मानता हूं कि संसार में जिस तरह से राजनीतिक विकन्द्रीयकरण गांव पंचायतों को कायम करके इस प्रदेश में किया गया है वैसा सम्भवतः कहीं भी नहीं हुआ है और इस विकेन्द्रीयकरण के द्वारा हमने प्रदेश के भीतर समाजवाद की व्यवस्था को भी लाने का प्रयत्न किया है। यह सब सत्य होते हुये भी मुझे यह निवेदन करना है कि जिस प्रकार से इस विभाग का कार्य-संचालन किया जा रहा है वह त्रुटिपूर्ण है और यदि हमने इतना मानकर संतोष कर लिया कि एक अच्छी व्यवस्था हम लाये हैं तो मैं समझता हूं कि इसका असर अच्छा नहीं होगा। इस आत्मतुष्टि का प्रभाव धीरे-धीरे पड़ रहा है। यदि आप गांवों में जाने की तकलीफ करें तो मालूम पड़ेगा कि किस प्रकार और विभागों की तरह इसमें भी भ्रष्टाचार पनपता चला जा रहा है और यदि इस विभाग में भ्रष्टाचार बढ़ने लगा तो जिस प्रकार से हम पंचायतों का नाम लेते हैं उसमें एक बाधा उत्पन्न हो जायगी।

आज पंचायतों का नाम जब हम लेते हैं तो हमारे सामने पूज्य बापू का वह स्वप्न आ जाता है जब वह मिसाल दिया करते थे कि अगर हिन्दुस्तान में पंचायत राज कायम हो जाय तो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री ताराचन्द माहेश्वरी]

हिन्दुस्तान में हम जबर्दस्त तरक्की कर सकेंगे। यदि मुझे कहने दिया जाय तो मैं निवेदन करूंगा कि आज जो पंचायतों द्वारा गांवों में शांति भंग हुई है और बराबर उसमें वृद्धि हो रही है तो मैं एक प्रकार से यह कहना चाहता हूं कि पंचायतें गांवों की शान्ति और व्यवस्था के लिये और अच्छा काम करने के लिये एक बवाल बन गई हैं। इसका कारण यह नहीं है कि व्यवस्था गलत है।

श्रीमन्, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी का ध्यान इधर दिलाना चाहता हूं कि गांव समाज और गांव सभा को बिल्कुल अलग कर दिया जाय। गांव समाज का प्रधान ही गांव सभा का भी प्रधान है जिसके अन्तर्गत भ्रष्टाचार की जड़ जमा रहती है। आप देखें कि गांव समाज के प्रधान के पास भूमि व्यवस्था का प्रबंध होता है, उसके लिये गांवों में कत्ल, डकैती और चोरी करा दी जाती है। जब प्रजातंत्र की यह एक इकाई है तो इसको मजबूत करने के लिए यदि हमें दूसरी व्यवस्था भी करनी पड़े तो हम करें। जब हम गांव समाज के प्रधान को यह व्यवस्था दे देते हैं तो जाहिर बात है कि हम गांव पंचायत को ओछी दृष्टि से देखते हैं। गांव समाज का चुनाव अलग है, गांव पंचायत का चुनाव अलग है और मैं तो कहता हूं कि गांव पंचायत का चुनाव एक प्रकार से गांव समाज का निगरां है, वह उसकी निगरानी करे, क्योंकि भ्रष्टाचार की जड़ गांव समाज में है।

*श्री शिवराज बहादुर (जिला बरेली)---श्रीमन्, थोड़े से समय में बहुत सी बातें कहनी हैं और मैं कोशिश करूंगा कि रिपीटीशन न हो। मैं आपके जरिये मंत्री जी की खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं कि दो तरह के इंतजाम हैं। एक तरफ ग्राम सभायें हैं और दूसरी तरफ पंचायतें। ग्राम सभाओं का चुनाव पब्लिक करती है। अजीब बात है कि उसके प्रधान को जिस वक्त चाहे मुअत्तल किया जा सकता है। एस० डी० एम० या प्लानिंग के लोग पहुंच कर उसको मुअत्तल कर सकते हैं। इससे बड़ा नुकसान होता है। तमाम रूल्स आप देख जाइये, कहीं भी आपको कोई प्राविजन नहीं मिलेगा कि अगर उसको अलाहिदा कर दिया जाय तो वह अपील भी कर सके।

"यह दस्तूरे जुबांबन्दी है कैसा तेरी महफिल में,
यहां तो कुछ कहने को तरसती है जुबां मेरी।"

कहीं पर अपील नहीं प्रोवाइड की। वह अपनी चाराजोई नहीं कर सकता है। यह ग्राम सभाओं के बारे में मैंने अर्ज किया।

जहां तक पंचों का ताल्लुक है वह नामिनीज होते है गवर्नमेंट के। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, एस० डी० एम० या कहीं-कहीं एम० एल० एज० बैठ कर उनको नामिनेट करते हैं। तो यह नामजदगी की बात मेरी समझ में नहीं आती। एक तरफ तो हम कहते हैं कि आटोनामी दे रहे हैं। खेर कमेटी की रिपोर्ट थी, ठीक रही। कांग्रेस सरकार हमेशा अच्छी बातें कहती रही, उसने काम भी किया, लेकिन उसकी काम करने की शैली ठीक नहीं है। जो कहा वह किया नहीं। हम चाहते हैं कि आटोनामी हो, लेकिन वह भी नहीं है। मैं समझ नहीं पाता कि उनकी नामजदगी क्यों की जाती है। यह अजीब बात है कि जो इंसाफ करने बैठते हैं वह ठीक तरह से काम नहीं कर पाते हैं। बहुत से पंच तो दस्तखत करना भी नहीं जानते और उनका काम है मुकदमे करना।

दफा ३२३ के मातहत एक साल तक की सजा हो सकती थी लेकिन यह और दूसरी तमाम दफायें हैं कि जिनका फैसला यह पंच लोग करते हैं और उनकी कोई क्वालिफीकेशन निश्चित नहीं है। एक तरफ तो आपने कुछ अख्तियार उनको दिये हैं और दूसरी तरफ उनसे कुछ अधिकार छीन भी लिये हैं। यह बंगाल की तरह से दोहरी हुकूमत उनके ऊपर है। यह पंच लोग इंसाफ करते हैं लेकिन दूसरी तरफ अगर इनका जुरिस्डिक्शन मैजिस्ट्रेट

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ले ले तो वह मुकदमे जो यह पंच लोग करते हैं आनरेरी या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट भी कर सकता है। यह एक ऐसी दिक्कत है कि जिसकी वजह से इसमें बड़ी खामी है और इस तरफ हमको ध्यान देने की जरूरत है। संक्षेप में, मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, क्योंकि लाल झंडी हो गई है, इतना ही कहूंगा कि पहली चीज आटोनामी होनी चाहिये, दूसरी चीज पंचों की क्वालिफीकेशन निश्चित होनी चाहिये और तीसरी चीज कि जिन दफाओं के मातहत पंचों को मुकदमे करने के अख्तियार हैं उनका जुरिस्डिक्शन मैजिस्ट्रेट्स को नहीं लेना चाहिये।

श्री लक्ष्मीनारायण बंसल (जिला आगरा)—अधिष्ठाता महोदय, इस उसूल से तो कोई इन्कार नहीं कर सकता कि सत्ता का विकेन्द्रीयकरण होना चाहिये और सत्ता का विकेन्द्रीयकरण करने के उद्देश्य से ही उत्तर प्रदेश में पंचायत राज ऐक्ट पास हुआ था ताकि गांव वाले भी यह महसूस करें कि उनको भी तमाम मुल्क की आजादी में कोई हिस्सा मिला। जहां तक ग्राम सभा और ग्राम पंचायतों का ताल्लुक है उनका काम बड़ा प्रशंसनीय रहा है। हर एक जानता है की ग्रामवासियों ने मीलों लम्बी सड़कों का अपनी मेहनत से निर्माण किया। बाज-बाज जगह तो ८ और १० फुट तक मिट्टी उनको साफ करनी पड़ी, उन्होंने गन्दी जगहों को साफ कराया, घूरों को ठीक किया, आदि। तो मेरा कहना यह है कि जहां तक ग्राम सभाओं का ताल्लुक है उनको और व्यापक अधिकार दिये जायं। जितने अधिकार डिस्ट्रिक्ट बोर्डों को हासिल हैं उससे भी ज्यादा अधिकार उनको दिये जायं ताकि डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के जो काम हैं वह ग्राम सभायें खुद कर सकें। अगर जरूरत हो तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को खत्म कर देना चाहिये। उनकी ग्राम सभाओं के सामने कोई यूटिलिटी नहीं रहती है। वही सारा काम कर सकती हैं। जरूरत हो तो उनको (डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को) एक कोआर्डिनेटिंग यूनिट बना दिया जाय। लेकिन जहां तक न्याय पंचायतों का ताल्लुक है, मैं अर्ज करूंगा कि उनको जो सिस्टम रायज है वह पूरे तौर से कामयाब नहीं हुआ। यह न्याय पंचायतें इसलिये कायम की गई थीं कि पुराने जमाने में जिस तरह से न्याय होता था, नीम के पेड़ के नीचे बैठकर पंच उनका न्याय करते थे और वहां कोई झूठ बोलने की हिम्मत नहीं करता था, उस तरह से न्याय हो। लेकिन वह आशा पूरी नहीं हुई और न्याय पंचायतों की वजह से जो काम बढ़ा उसका ही निपटारा उन्होंने किया। अभी हाल ही में जो लायर्स कांफ्रेंस हुई थी उसके बारहवें अधिवेशन में बोलते हुए प्रांत के एडवोकेट जनरल श्री कन्हैयालाल मिश्र ने अपने भाषण में इस संबंध में थोड़ी सी बात कही थी वह मैं आपकी इजाजत से पढ़ देना चाहता हूं। उनके ऐड्रेस् के ९वें पेज पर लिखा है:

"They have brought litigation and not justice in every home and have made perjury aneveryday occurrence. They have created, in many cases, bitter party feelings in the village community an they are threatening to convert that community, based on a conception of duties, into a quarrelling people insistent on their rights. "....." The collection of statistics in any locality of all cases that went to the ordinary courts of law before the establishment of the Nyaya Panchayats would convince anybody that these Panchayats have only created the litigation that they have disposed of."

इसकी पुष्टि माननीय मंत्री महोदय के इस कथन से होती है कि १९, ४२,३४३ मुकदमें पंचायतों ने एक साल में फैसल किये जबकि और अदालतों में ७, ८ लाख मुकदमें हुए। इसके माने यह हैं कि एक जिले में ३९,००० मुकदमों का एवरेज पड़ा। अगर हम यह मान लें कि वह अनुभवी नहीं हैं और हम अपने इस काम में कामयाब नहीं हुए हैं तो हमको अपने कदम को वापस लेने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिये। हम अपने देश में अमरीका की तरह एलेक्टेड जुडीशियरी ला सकते हैं लेकिन उसके लिये समय की आवश्यकता है और इस बात को लोगों को समझाने की आवश्यकता है कि जुडिशियरी क्या चीज है, और न्याय किस तरह से

[श्री लक्ष्मीनारायण बंसल]

डिस्पेंस किया जाता है । डिस्ट्रिक्ट बोर्ड इस मुल्क में बहुत जमाने से मौजूद हैं लेकिन आज तक इस बात की जरूरत महसूस नहीं हुई कि उनको भी जुडिशियरी पावर्स दी जायं । तो ऐसी क्या जरूरत है कि न्याय पंचायतों को ही जस्टिस डिस्पेंस करने के अख्तियार दिये जायं, जो कि उससे बिलकुल अनभिज्ञ हैं, जो बिलकुल नहीं जानते कि किस तरह से न्याय किया जाता है ? वहां कोई न्याय नहीं है, कोई कानून नहीं है, सिर्फ टूथ फार टूथ ऐन्ड नेल फार नेल (tooth for tooth and nail for nail) का मसला है । एक को बहिन को कोई भगा ले गया तो न्याय यह होता है कि उसकी बहिन को दावा करने वाला ले जाय । इस तरह के तो फैसले होते हैं । इसलिये मेरा सुझाव है कि न्याय पंचायतों को शीघ्र ही स्थगित किया जाय ।

श्री अधिष्ठाता---आपका समय समाप्त हुआ । (श्री भजन लाल से) आपके लये केवल तीन मिनट का समय है ।

श्री भजनलाल (जिला इटावा)---श्रीमन्, इसमें ही मैं अपना श्रेय समझता हूं । मैं कहना चाहता हूं कि गांव पंचायतों की जो चुनाव प्रणाली आजकल है वह गलत है । मेरा सुझाव है कि उसमें गुप्त मतदान प्रणाली होनी चाहिये । गांव पंचायतों को अधिकार नहीं है जिसकी वजह से वह काम नहीं कर सकती हैं । गांव पंचायतों को उससे संबंधित क्षेत्रीय कार्यों में पूर्ण अधिकार होने चाहिये और गांव पंचायतें लगान, बैलगाड़ी इत्यादि पर जो टैक्स लेती हैं इसके अलावा जनता को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष टैक्स बरदाश्त करना पड़ता है .....

श्री अधिष्ठाता---यहां परम्परा पढ़ने की नहीं है, आप उसे देख कर अपना भाषण करें ।

श्री भजनलाल---मैं यह कहना चाहता हूं कि गांव पंचायतों का खर्च प्रान्तीय सरकार बरदाश्त करे जिससे वहां की जनता को भी राहत मिल सके । सोशलिस्ट पार्टी ने अपने ४,००० गरीब साथी इसी मांग के लिये जेल के अन्दर बन्द करवा दिये हैं । पंचायत में सेक्रेटरी जो काम करता है वह पंचायत पर हावी हो जाता है और प्रधान उसके करने के मुताबिक काम करते हैं जबकि कोरम एक तिहाई पूरा न होने पर भी वह काम करता रहता है । पंचायतों को उनकी समस्या के संबंध में पूरे अधिकार दिये जावें । जब तक कर्त्तव्य और अधिकार समान नहीं होंगे तब तक गांव पंचायतें प्रजातन्त्र की पुष्ट सीढ़ी तक नहीं पहुंच सकेंगी । अदालती पंचायतों में चुनाव गलत तरीके से हुआ है, जनता के द्वारा ही उनका चुनाव होना चाहिये । पंचायतों की अपीलें जिला पंचायतों और सूबा पंचायतों में होनी चाहिये न कि शासन के संबंधित अधिकारियों के पास । मेरी राय है कि अपीलें जिला पंचायत, सूबा पंचायत और केन्द्रीय पंचायत में हों । तभी गांव पंचायतों को स्वस्थ लाभ और आराम मिल सकेगा ।

***श्री ब्रजनारायण तिवारी**---अधिष्ठाता महोदय, यह कटौती क प्रस्ताव जो उपस्थित है उस पर कई तरह के विचार माननीय सदस्यों ने व्यक्त किये । एक सदस्य ने कहा कि सरकार केवल दिखाने के लिये तो एक तरफ स्वतंत्रता प्रदान करती है और दूसरी ओर उनके अधिकार छीनती है । छीनने का कार्यक्रम ऐसा है कि न तो गांव पंचायतें अपने परमिट से किसी को सीमेंन्ट दिला सकती हैं और न आवश्यक वस्तुओं की सिफारिश कर सकती हैं । एक सदस्य ने कहा कि गांव पंचायत और गांव सभा अलग-अलग होनी चाहिये । वहां के लेखपालों ने न तो कानून के आधार पर पड़ताल की है, न उसे सुनाया है और न कोई नई एन्ट्री की नकल संबंधित व्यक्ति को दी है । इससे झगड़े बढ़ते हैं । आपको चाहिये कि इन गांव सभाओं को ऐसे अधिकार दें कि वे कुछ निर्माण-कार्य तथा एन्ट्री का काम ठीक करा सकें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जहां तक रक्षा की बात है, जिसके पास सम्पत्ति है उसके पास बन्दूक भी होती है जो उसे दी जाती है लेकिन सभा या ग्राम समाज के अध्यक्ष के पास रक्षा का कोई साधन नहीं है। अगर वह किसी के खिलाफ कोई कड़ा कदम उठाता है तो उसकी रक्षा के लिये कोई उपाय इस कानून में नहीं है। कहने के लिये तो वह ग्रामसभा का अध्यक्ष, पूरी जमीन का मालिक और उसकी रक्षा का कोई प्रबन्ध नहीं है। इसलिये इन लोगों के साथ मारपीट, बल्वे और कत्ल होते हैं। सरकार ने अपनी रक्षा के लिये पुलिस और फौज रख छोड़ी है, तमाम शाही नौकर रखे हुये हैं लेकिन गांव सभा के सभापतियों के लिये भाले का भी प्रबंध नहीं है जिसको वे अपने साथ रख सकें। साथ ही सरकार की नीति विकेन्द्रीयकरण के सिलसिले में दोहरी है। मैं आपके द्वारा बताना चाहता हूं कि सरकार गांव सभाओं के साथ में विमाता का सा व्यवहार करती है। अगर आपको उसे चलाना है तो आपको निश्चित रूप से उसकी रक्षा के लिये, उसके विकास के लिये तथा उसके चुनावों के लिये निश्चित व्यवस्था करनी चाहिये। इन शब्दों के साथ में अपने प्रस्ताव का समर्थन करते हुए उसे आपके सामने पेश करता हूं।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—अधिष्ठाता महोदय, मैंने उन सब बातों को जो माननीय सदस्यों ने कहीं बड़े ध्यान से सुना। उन सब बातों का इस थोड़े समय में जवाब देना नामुमकिन है। जो छोटी-छोटी बातें हैं उनको मैंने भी नोट कर लिया है और हमारे विभाग के जो अधिकारी हैं उन्हें भी यह हिदायत है कि वे नोट करें और उस संबंध में कार्यवाही करें। बहुत से माननीय सदस्यों को यहां बोलने का मौका नहीं मिला, मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि गांव पंचायतों और न्याय पंचायतों के बारे में यदि उनको कोई शिकायत हो तो वक्तन फवक्तन मेरा ध्यान उस तरफ आकर्षित करते रहें। मैं, जहां तक संभव होगा उन्हें संतोष देने की कोशिश करूंगा। इसलिये बहुतसी बातों का मैं यहां जिक्र नहीं कर रहा हूं।

दो, तीन मुख्य बातें जो कही गयीं उनमें एक बात सेक्रेटरीज की बाबत भी है। उनके सम्बन्ध में हमारी नीति यह है कि अधिकारियों को उनके घर के पास न रक्खा जाय, जो इंस्पेक्टर्स हैं उनको उस जिले में न रक्खा जाय और सेक्रेटरी को उस सर्किल में न रखा जाय जहां उसका घर है। यह अभी भी हमारी नीति है। अगर कोई गलत चीज हो रही होगी तो उसकी दुरुस्ती की जा सकती है या किसी खास वजह से ऐसा किया गया होगा।

यह कहा गया कि हिसाब की जांच नहीं होती है, वहां पर सेक्रेटरीज धांधली करते हैं। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि हजारों जगह के हिसाब की जांच कर सकना आसान बात नहीं है। ७२,००० पंचायतें हैं। फिर भी उसका प्रबन्ध है, पंचायत राज के अधिकारियों के मातहती में स्वतंत्र प्रबंध है। इसके अतिरिक्त और भी शिकायतें होती हैं उनको भी देखा जाता है और उनको दुरुस्त करने की कोशिश की जाती है।

अब मैं थोड़ा मौलिक चीजों पर आना चाहता हूं। एक सवाल यह उठाया गया कि चुनाव गुप्त न होकर हाथ उठा कर किये गये हैं। अधिष्ठाता महोदय, इसमें बहुत ज्यादा विवाद की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह सभी मानते हैं कि यदि संभव हो सके तो गुप्त चुनाव अधिक वांछनीय हैं। यह बात नहीं है कि हम ऐसा नहीं चाहते या इसके लिये हमें समझाने की आवश्यकता हो लेकिन इसमें प्रेक्टीकल डिफीकल्टीज हैं। वैसे ही खर्चा इतना ज्यादा है कि सरकार की आलोचना इसी पर हो रही है कि वह टैक्सेज को बढ़ाती जा रही है और डेफिसिट बजट पेश करती है, इसलिये इसके खर्चे को बढ़ाते जाना संभव नहीं है। इसके अलावा आम चुनाव जो हमने पार्लियामेंट के लिये किये उससे भी ज्यादा लोगों तथा दूसरे साधनों का प्रबंध करना होगा। इतने आदमी हमारे पास नहीं हैं। यदि मामूली आदमियों से इन कामों को लें तो उसमें लोगों का स्वार्थ भी आ सकता है फिर उसमें यह शक भी हो सकता है कि वह सीक्रेट (secret) बैलेट भी होगा या नहीं। अगर पैसा भी खर्च हो और उद्देश्य भी हम प्राप्त न कर सकें तो ऐसी चीज

[श्री विचित्रनारायण शर्मा]

वांछनीय न होगी। लेकिन प्रबन्ध हो सके और पैसे का प्रश्न न उठे, किसी तरह से यह हो जाय तो इसमें दो रायें नहीं हो सकतीं। मगर आज की जो परिस्थिति है उसमें इसको स्वीकार कर सकना हमारी ताकत के बाहर की बात है।

यह भी कहा गया कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड तथा गांव पंचायतों द्वारा लगाये गये टैक्सेज में ओवर लैपिंग होती है, यानी एक ही चीज पर दो-दो टैक्स लगते हैं, यह वांछनीय नहीं है। यह कहा गया है कि टैक्स वगैरह उनको न लगाना पड़े, गवर्नमेंट की तरफ से ग्रांट मिल जाय या रेवेन्यू से उनको हिस्सा दे दिया जाय, ये सब सुझाव यहां पर आये हैं। लेकिन इसके पीछे हमको इस बात को नहीं भूल जाना चाहिये कि जो भी साधन आज हमारे पास हैं और जितने काम हमको करने हैं, प्रदेश के स्तर पर जिले में और इन ग्राम पंचायतों में बहुत ज्यादा है, साधन कम हैं। अगर यहां से काट कर वहां दे दिया जाय तो यहां कमी पड़ेगी और हम सब जो यहां पर बैठे हुए हैं, का यह कर्त्तव्य है कि यह बतलावें कि यहां जो कमी हो रही है उसको किस तरह से पूरा करें और जब तक हम यहां की कमी को पूरा नहीं कर सकते हैं तो यहां कुछ न कुछ बिगड़ेगा। तो यहां बिगड़ेगा या वहां बिगड़ेगा, चुनना हमेशा यही पड़ेगा कि जो काम करते चले आये हैं और उनको करना अनिवार्य सा है तो उनको करते चलें और नये काम के लिये जैसे-जैसे साधन मिल सकें वैसे-वैसे करें यही दृष्टि रखनी पड़ती है।

अभी हमारे सामने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के रिआर्गनाइजेशन का भी सवाल है। अगर हम एक बार डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स का आम चुनाव करा देते हैं, फिर भी वह प्रश्न हमारे सामने से हटता नहीं है। हमें उसका सामना करना ही पड़ेगा। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स की जो आज मौजूदा हालत है, उस हालत में वे नहीं रह सकते हैं, उनकी हालत को बदलना पड़ेगा। पंचायतों के साथ उनका क्या सम्बन्ध हो, उनका क्या फंक्शन हो, किस तरह से ओवर लैपिंग न हो, यह भी उस समय देखा जा सकता है जब यह तय हो जाय कि किन टैक्सेज को पंचायतें लगावें और कि कहां तक और किनको डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स। इस पर भी अगर हम बोर्ड्स के आम चुनाव के बाद ही विचार करें तो ज्यादा अच्छा होगा।

न्याय पंचायतों की बाबत जहां उनका स्वागत किया गया है, सराहना की गयी है वहां उनके ऊपर बहुत कड़ा आक्षेप भी किया गया है। यह कहना कि हमारे एडवोकेट जनरल की राय यह है कि पंचायतों की वजह से लिटिगेशन (litigation) बढ़ गया है, गलत है। यह माना जा सकता है कि मुकदमे ज्यादा हों, लेकिन पैसा न मिलने की वजह से, साधन न होने की वजह से लोग जस्टिस सीक न कर सकें ऐसी बात अब नहीं है। जहां पहले लोग वहां तक जाने का ख्याल भी नहीं कर सकते थे और जो गरीब आदमी साधन और पैसे न होने की वजह से अपनी किस्मत को रोकर ही रह जाते थे ऐसे आदमियों को आज जस्टिस घर में ही उपलब्ध हो सकती है। इस तरह से निश्चित है कि यह बात उनके विपक्ष में न जाकर उनके पक्ष में ही जाती है। अगर लिटिगेशन बढ़े हैं तो उसका कारण यह हो सकता है कि जितना आपसी समझौते से, सुलह से फैसला हो जाना चाहिये वह नहीं हो पाता, इस वजह से बढ़ती भले ही मालूम पड़े लेकिन हमारे पास जो रेकर्ड्स हैं उनके अनुसार आपसी फैसले जो सुलहनामे से तय हुये हैं, उनकी तादाद ज्यादा है। यह साबित करता है कि यहां का जो जस्टिस है वह ऐसा नहीं है कि वह खामख्वाह लड़वाने की कोशिश करता है या उसको ऐसा शौक है और न वह ऐसा है कि वहां के लोगों को उससे न्याय ठीक न मिलता हो और मामलों को उलझाये रखता हो।

कहा जाता है कि वे दस्तखत करना नहीं जानते। मुमकिन है कि कहीं न जानते हों लेकिन यह सोचना कि वह पढ़े-लिखे नहीं हैं दस्तखत करने नहीं आते, वह मामलों को उलझाना चाहते हैं, मैं समझता हूं यह बात गलत है। मैं जानता हूं कि कभी-कभी जो आदमी पढ़े-लिखे नहीं हैं -वह इतने सभ्य, ईमानदार और सुसंस्कृत होते हैं कि पढ़े-लिखे से उनका कोई मुकाबिला नहीं हो

सकता और साथ ही हम यह भी जानते हैं कि बहुत से हममें से पढ़े-लिखे लोग भी ऐसे होते हैं कि जो सब कुछ पढ़-लिख कर भी मामूली फंडामेंटल जस्टिस की बात को न समझते हों और ऐसे लोग जो पढ़-लिख कर भी दूसरों को सताते हैं उन्हें परेशान करते हैं वह मेरी दृष्टि में पढ़े-लिखे नहीं हैं, वह किसी हालत में भी समाज के लिये सभ्य या शिक्षित कहाने के योग्य नहीं हैं। अगर एक आदमी बेपढ़ा-लिखा है, ईमानदारी से कानशेन्स के साथ काम करता है, चोरी नहीं करता, दूसरों का हक बराबर देता है तो वह उस पढ़े-लिखे आदमी से हजार गुना अच्छा है जो पढ़-लिख कर भी तमाम तरह की चोरी, अन्याय और असभ्यता के कार्य करता है। इसलिये यह समझना कि हमारे गांव के लोग चूंकि पढ़े-लिखे नहीं हैं इसलिये वह गंवार हैं, उनमें समझ नहीं है, यह गलत है। काफी समझ उनमें है हजारों वर्ष की इस देश की सभ्यता उनके पीछे है, वह सुसंस्कृत और सीधे लोग हैं और इस बात का सबूत यह है कि जिन मुकदमों में निगरानी हुई उनमें से ९० प्रतिशत के करीब मुकदमे सही मालूम हुये। यह चीज खुद इस बात का सबूत है कि जो फैसले उन लोगों ने अपने यहां किये वह ध्यान से और ईमानदारी से किये। अगर वह आंख मूंदकर किये गये होते तो रिवीजन में सब अपीलें स्वीकार की जातीं और आगे न्याय पंचायतों के फैसलों के खिलाफ फैसले होते लेकिन वहां के जो फैसले अपहेल्ड किये गये उनका प्रतिशत करीब-करीब ८९ परसेंट है। इससे साबित है कि जिस तरह से यहां बताया गया वहां ऐसा अंधेर नहीं हुआ। फिर भी हम मान सकते हैं कि जहां हजारों की तादाद मुकदमों की हो वहां यह कोई नहीं कह सकता और न कोई दावा कर सकता है कि किसी एक-दो केस में भी मिसकैरेज आफ जस्टिस न हुआ होगा या किसी तरह की फेवर कहीं न हुई होगी, हो सकता है कि कहीं इस तरह की शिकायत की बात हुई हो इसलिये मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि अभी गांवों में सुधार की बहुत जरूरत है, वास्तव में इन पंचायतों का अभी नया जीवन ही हुआ है, उनका अभी जीवन काल ही क्या है ? यह देखकर हमें आगे चलना है, इस चीज को दृष्टि में रख कर अगर हम चलेंगे तो इस दिशा में हमें सफलता मिल सकती है ।

जिस तरह का स्वराज्य हम अपने यहां लाना चाहते हैं उसके लिये दिल्ली या लखनऊ से सारे देश के कोने-कोने का प्रबन्ध हम ठीक कर लेंगे ऐसी दुराशा हमें नहीं करनी चाहिये। अन्ततोगत्वा हमें इन्हीं गांवों को सेल्फ सपोर्टिंग और सेल्फ एडजस्टिंग बनाना होगा, इस चीज को हमें नहीं भूलना है। जैसा कि मैंने अभी शुरू ही में निवेदन किया था कि केन्द्रीय पार्लियामेंट में भी ऐसी भूलें होती हैं जिनके लिये वहां के लोगों की कोई सराहना नहीं करेगा, हमारे यहां भी ऐसी चीजें हो जाती हैं जिन के लिये हमारी कोई तारीफ नहीं करेगा इसलिये अगर हम से कुछ ज्यादा गलतियां भी हो जाती हैं तो इसके माने यह नहीं कि इस न्याय प्रणाली का प्रयोग ही वहां न किया जाय, ऐसा ख्याल करना गलत होगा क्यों कि आजादी की बात जब हम करते हैं तो उसमें गलती करने की भी आजादी आ जाती है। किसी काम को आजादी से करने के माने यह नहीं हैं कि फिर उसमें गलती नहीं होगी, यह तो मुमकिन भी नहीं है, वह और हम सब काम करते चलेंगे, उसमें गलती होगी, उसके बाद सीखेंगे और समझेंगे और उससे लाभ उठाकर आगे अपने को सुधारेंगे। उनमें भी बुद्धि है, वह भी जानते हैं कि गलती करने से नुकसान होता है। इसलिये मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि न्याय पंचायतों के सम्बन्ध में जो हमारी धारणा बन रही है उसे हम बदल दें ।

श्री अधिष्ठाता--माननीय मंत्री जी टाइम का ध्यान रखें।

श्री विचित्रनारायण शर्मा--अधिष्ठाता महोदय, मुझे और विशेष नहीं कहना है । मैं सिर्फ एक बार यह आश्वासन फिर देता हूं माननीय सदस्यों को कि अगर उनके यहां कोई खास शिकायतें हों उन पर अगर वह मेरा ध्यान आकर्षित करेंगे तो मैं हत्तुलइमकान ज्यादा से ज्यादा संतोष देने की कोशिश करूंगा ।

इन शब्दों के साथ मैं चाहूंगा कि इस मांग को स्वीकार किया जाय ।

श्री अधिष्ठाता—अब मैं माननीय तिवारी जी से पूछूंगा कि वह अपना कटमोशन वापस तो नहीं ले रहे हैं?

श्री ब्रजनारायण तिवारी—जी नहीं।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १४—गांव सभायें और पंचायतें—लेखा शीर्षक २५—सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत १ रुपये की कमी की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १४—गांव सभायें और पंचायतें—लेखा शीर्षक : २५—सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत १,०८,४४,३०० रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष १९५७-५८ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ३९—लेखा शीर्षक: ५७—विविध व्यय

श्री विचित्रनारायण शर्मा—अधिष्ठाता महोदय, अगर आप कहें तो अनुदान ३९ पहले पेश कर दूं। उसके बाद जो समय बचेगा वह ३४ को दे दिया जायगा।

श्री अधिष्ठाता—ऐसा कर लीजिये।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—श्रीमन्, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३९—विविध व्यय—लेखा शीर्षक : ५७—विविध के अन्तर्गत ३,४३,१६,२०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९५७-५८ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३९—विविध व्यय—लेखा शीर्षक : ५७—विविध के अन्तर्गत ३,४३,१६,२०० रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष १९५७-५८ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ३४—लेखा शीर्षक: ५०—नागरिक निर्माण-कार्य

श्री विचित्रनारायण शर्मा—श्रीमन्, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३४-नागरिक निर्माण कार्यों के लिये सहायक अनुदान-लेखा शीर्षक: ५०—नागरिक निर्माण-कार्य के अन्तर्गत १,१९,८९,४०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९५७-५८ के लिये स्वीकार की जाय।

मेरा ख्याल है श्रीमन्, कि जितना कम समय है उसमें मैं अब यह बतलाने की कोशिश तो न करूं कि इस मांग के अन्तर्गत कौन सी चीजें हैं। माननीय सदस्यों को जो साहित्य दिया गया है उसको देख लिया होगा और अच्छा यह होगा कि मैं बाद में उन लोगों के कहने के बाद जो शिकायतें हों उनका जवाब दूं। इसमें डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के लिये अनुदान है, म्युनिसिपैलिटीज के लिये अनुदान है, नोटीफाइड एरियाज वगैरह के लिये भी अनुदान है। इसलिये सदस्यों के वक्तव्यों को सुनने के बाद ही उत्तर देने की कोशिश करूंगा।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)—श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से अनुदान संख्या ३४—नागरिक निर्माण कार्यों के लिये सहायक अनुदान—लेखा शीर्षक : ५०—नागरिक निर्माण-कार्य के अन्तर्गत १ रु० की कटौती का प्रस्ताव पेश कर रहा है।

इस सम्बन्ध में श्रीमन्, मैं आपके सामने इतना कह देना बहुत काफी समझता हूं कि यह एक फालतू का अललटप्प आइटम का बजट है, यानी यह एक घपले का बजट है। इसका विश्लेषण करना बहुत कठिन है। सबसे पहली बात तो यह है कि इस अनुदान नम्बर ३४ के आइटम (ग) में ५५,३८,००० रु० जो रखा गया है यह बहुत कम है जबकि १९५५-५६ में ६२,००,००० रुपया उत्तर प्रदेश सड़क निधि कांग्रेस के पास रखा गया था। इस निधि के पास कोई साधन नहीं हैं। ५५,३८,००० रुपया जो रखा गया है उसमें तमाम लोकल बोर्ड्स के और उनकी सड़कों का निर्माण भी इसमें रखा गया है। इसके सम्बन्ध में मैं इतना कहूंगा कि इससे यह पता नहीं चलता है कि ए क्लास को म्युनिसिपैलिटीज को कितना दिया जायगा, बी क्लास को कितना दिया जायगा और सी क्लास को कितना दिया जायगा और सबसे बड़ी बात तो यह है कि नोटीफाइड एरिया और टाउन एरियाज का कहीं इसमें जिक्र भी नहीं है। ऐसा मालूम होता है कि नोटीफाइड एरियाज और टाउन एरियाज सौतेली मां के लड़के हैं, बजट में उनका कोई जिक्र नहीं है, इनके मुताल्लिक कोई अनुदान नहीं है। यह जो ५५,३८,००० रुपया दिया गया, जिनको दिया गया है उनके पास भी कोई साधन नहीं है। तो मैं आपसे कहूंगा कि यह रकम बहुत कम है और इसको बढ़ाकर अगर दुगुना भी किया जाय तो भी कम है क्योंकि यह रकम सिर्फ पक्की सड़कों के लिये रखी जा रही है, पक्की सड़कों की तरफ ज्यादा ध्यान है। अगर कच्ची सड़कों को देखा जाय तो उनकी तादाद तिगुनी-चौगुनी होगी और उनके ऊपर पुरानी पुलियां बनी हुई हैं जो बिलकुल खराब हालत में हैं और गिरती जा रही हैं तो इस ५५,३८,००० रुपये में तो उनकी लीक भी नहीं भरी जा सकती है। इसलिये हम कहना चाहते हैं कि ५५ लाख ३८ हजार रु० इतना कम है कि शायद इससे कोई भी काम पूरा नहीं किया जा सकता।

दूसरी बात यह है कि आइटम (छ) में म्युनिसिपैलिटीज की जो खराब सड़कें हैं उनके रख रखाव के लिये और गंदे पानी के निकास के लिये कोई अनुदान नहीं रखा गया है। यह बात मेरी समझ में नहीं आयी कि इसका क्या कारण है। क्या ऐसा तो नहीं है कि इस मौजूदा इलेक्शन में शहरों में, म्युनिसिपैलिटीज से सरकार को गहरा धक्का लगा है, अगर ऐसा है तो यह ठीक नहीं है। म्युनिसिपैलिटीज के लोग पेशाब भी करते हैं, पाखाना भी करते हैं गंदा पानी रोज निकलता है जो देहातों में नहीं होता है। मगर उस गंदे पानी के निकास की कोई चर्चा नहीं। उनकी सड़कों के रखरखाव के लिये कोई अनुदान नहीं रखा गया है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या मंत्रियों और माननीय सदस्यों की मोटरें उन सड़कों पर नहीं निकलती हैं, जिनके रखरखाव के लिये कोई अनुदान नहीं रखा गया है? क्या हमारे मंत्रिगण और सदस्य महोदय ज्यादातर इन शहरों में और म्युनिसिपैल्टियों में गंदगी नहीं करते हैं जिनकी गन्दगी को दूर करने के लिये, उनके गन्दे पानी के निकास के लिये कोई अनुदान इसमें नहीं रखा गया है? मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि इस मामले में मौजूदा जो इलेक्शन हुये हैं उस इलेक्शन में सरकारी पक्ष को काफी धक्के लगे हैं और उसकी वजह से उसने इस तरफ से कुछ नजर मोड़ ली है। इसलिये तो मैं आपसे यह दरख्वास्त करूंगा कि जरा उन पर रहम करें और अगर आप ऐसा न करेंगे तो यह न्याय नहीं होगा। अगर आप न्याय करना चाहते हैं तो इनके गन्दे पानी के निकास के लिये और इनकी सड़कों के रखरखाव के लिये भी आप अनुदान दें।

इसके आइटम (झ) में रखा गया है कि जो सड़कें सन् ४७-४८ में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से वापस ली गयी थीं अब उनको फिर दे दिया गया है और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को इसके लिये ९,७२,००० रुपया अनुदान दिया गया है। हम आपसे कहना चाहते हैं कि यह जो अनुदान दिया है इसे वह इन सड़कों पर खर्च नहीं करते। पता नहीं कहां-कहां खर्च करते हैं। कभी आपने इसका पता भी लगाया है कि यह रुपया उन पुरानी कच्ची सड़कों पर खर्च भी किया जाता है। आप मेरे साथ चलिये, मैं आपको दिखलाऊं, आपकी मोटर उधर से निकल नहीं सकती, उसका डिफरेंशियल लीक पर रह जायगा, इस तरह से उसमें गहरे गहरे गड्ढे पड़ गये हैं। कभी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड वाले मिट्टी भी नहीं डालते हैं। जब आपने ये सड़कें उनसे ली थीं तब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में कौन-सी अयोग्यता थी और फिर जब आपने लौटाया तो उनमें कौन-सी योग्यता आ गई थी?

[श्री शिवप्रसाद नागर]

फिर जब आप ने वापस किया तो आप देखिए भी तो कि इतने दिनों में उन्होंने कुछ बनाया भी है ? मेरा खयाल है कि सन् ४७–४८ में आपने इसलिए वापस ले लिया था कि चुनाव होने जा रहे थे और उसके बाद जब चुनाव हो गए तो आपने फिर इन सड़कों को उनके मत्थे मढ़ दिया । लेकिन आपने यह नहीं देखा कि वह कुछ करते भी हैं या नहीं । इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप फिर इनको वापस ले लें । जब आप वापस ले लेंगे तो हो सकता है इनका कुछ उद्धार हो जाय । सन् ४७–४८ में जब आपने लिया था तो इनका कुछ उद्धार हो गया था ।

अब एक आइटम और है जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और वह है बाढ़-ग्रस्त क्षेत्रों में जिन सड़कों और इमारतों को क्षति पहुंची है उनके बनाने के लिए ३०,६०,००० रुपये का अनुदान बाढ़-ग्रस्त तो केवल १० ही जिले हैं । और बाकी जो ४१ जिले हैं उनमें भी तो सड़कें खराब हुई हैं, इमारतें नष्ट हुई हैं, तो उनमें क्या यह अनुदान नहीं दिया जायगा ? आपने जो यह ३०,६०,००० रुपये का अनुदान दिया है इसका बटवारा कैसे होगा इसलिए हम आपसे यह कहना चाहते हैं कि आप जरा इस तरफ भी ध्यान दें और ध्यान देकर इर्रीगेशन डिपार्टमेंट से रिपोर्ट मांगें कि कहां-कहां कितनी-कितनी क्षति हुई है । लाल बत्ती बुझ गई है । मेरा ख्याल है कि मेरा समय समाप्त हो गया है । अंत में मैं आपसे फिर यही कहना चाहता हूं कि इस मामले पर जरा दुबारा गौर किया जाय ।

*श्री तेजासिंह (जिला मेरठ)—अभी मेरे जो साथी बोल रहे थे उन्होंने फर्माया है कि इस ग्रान्ट में म्युनिसिपल बोर्ड की सड़कों के लिए कुछ रकम नहीं रखी गई है । शायद उन्होंने बजट को ठीक तरह से पढ़ा नहीं है । अगर वह ध्यान से देखें तो मेमोरंडम में यह दिया हुआ है कि सड़कों के रखरखाव के लिये म्युनिसिपल बोर्ड्स में यह अलग रोड फंड है, उस फंड से एडवांस दिया जाता है । इसलिए इस रकम में इसको नहीं रखा गया है । मुझको श्रम मंत्री जी का ध्यान जरा इस तरफ दिलाना है कि म्युनिसिपल बोर्डों में या डिस्ट्रिक्ट बोर्डों में जो उनका एकाउंट आडिट होता है, उसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता । मैं गाजियाबाद म्युनिसिपल बोर्ड की बाबत बतलाना चाहता हूं । वहां सन् ५२ में गवर्नमेंट का जी० ओ० था कि १५ अगस्त इडिपेंडेंस डे मनाने के लिए १०० रुपये से ज्यादा खर्च न किया जाय, लेकिन कई कारणों से बजाय १०० रुपये के ३ हजार रुपया खर्च किया गया और वह अभी तक आडिट रिपोर्ट में आब्जेक्शन किये हुए हैं लेकिन अभी तक उसका कोई निर्णय नहीं किया गया कि आया वह खर्चा जायज है या वह मेम्बरों पर सरचार्ज होना चाहिए । इसको पांच साल हो चुके हैं । इसी तरीके से एक प्राइमरी स्कूल के लिये गवर्नमेंट ने कुछ ग्रान्ट दी और उसके पहले जो एस्टिमेट था वह तकरीबन १२,००० रु० का था लेकिन बाद में जो स्कूल की इमारत बनी तो बजाय १२,००० रु० के ७२,००० रुपया खर्च किया गया और वह इमारत भी अच्छी नहीं बनी, जिससे शिकायत हुई । फिर उद्घाटन होने के पहले ही उस बिल्डिंग में कुछ नुक्स भी हो गया । इंजीनियर्स ने जाकर उसे देखा । इस वक्त भी उस आडिट रिपोर्ट में आब्जेक्शन दिया हुआ है, लेकिन पता नहीं उस इंक्वायरी रिपोर्ट का क्या हुआ और वह रकम कहीं एडजस्ट हुई है या नहीं । अतः मुझे माननीय मंत्री जी का ध्यान इस तरफ दिलाना है कि एकाउंट्स आडिट किये जायं क्योंकि ज्यादा गड़बड़ पैसे के मामले में ही होती है । मैं नहीं जानता कि बाकी म्युनिसिपैलिटीज ऐसी होती हैं या नहीं, लेकिन आज उस बोर्ड की हालत जरूर ऐसी हो रही है कि समय पर बजट भी पेश नहीं होता । जो रुपया उसे पहले टैक्स की मार्फत वसूल होता था वह आमदनी कम हो गई है और खर्चा ज्यादा बढ़ गया है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

इसी सिलसिले में गवर्नमेंट ने इजूकेशन के सिलसिले में भी आर्डर्स दिये थे कि म्युनिसिपल बोर्ड मिडिल स्कूल व हाई स्कूल की इजूकेशन पर ज्यादा खर्च न करें और प्राइमरी शिक्षा पर ही करें। लेकिन वहां कुछ हालत ऐसी है कि अभी तक जो दूसरे स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल या गवर्नमेंट के वे काफी नहीं हैं। लिहाजा म्युनिसिपल बोर्ड को यह इजाजत देना चाहिये कि वह उन स्कूलों को जारी रक्खे और उनके लिये उसे अधिक ग्रान्ट मिले। मैं इन शब्दों के साथ इस अनुदान को सपोर्ट करता हूं और आशा करता हूं कि यह हाउस इसे मंजूर करेगा।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)––माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया उसके लिये मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं। वैसे तो हमको बहुत कम समय मिल पाता है, खैर, आपने बड़ी कृपा की।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जब मैंने अनुदान संख्या ३४ को देखा और जैसा कि साथी नागर जी ने कहा उसमें म्युनिसिपल बोर्ड के पानी के निकास के लिये कोई प्रबन्ध नहीं है और अनुदान में रुपयों की व्यवस्था नहीं दी गई है तो मुझे बड़ी निराशा हुई।

पिछले सदन का सत्र जब चल रहा था उस समय मैंने एक दरख्वास्त कानपुर के सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी को दी थी और यह आशा की थी कि वे जल्दी से उसको देखेंगे। बात यह थी कि कानपुर नगर के स्वरूपनगर में कुछ मकान वहां के ऐडमिनिस्ट्रेटर ने पहले उठा दिये थे और जब मकान तामीर हो गये तो वाटर टैक्स लगने लगा, लेकिन सीवर लाइन नहीं पड़ी। इससे होता यह है कि गन्दा पानी इकटठा होता जाता है जिससे मच्छर पैदा होते हैं और बदबू आती है और इससे आस-पास के मकानों के लिये एक मुसीबत खड़ी हो जाती है। इस ओर ध्यान आकर्षित कराया गया लेकिन न तो उस समय कोई कार्यवाही यहां से हुई और न मौके पर भी कोई कार्यवाही हुई। इसलिये यह उपेक्षा का भाव माननीय मंत्री जी का है वह तो स्पष्ट है और इस सम्बन्ध में मैं यह समझता हूं कि ऐसी उपेक्षा किसी शासन के लिये अच्छी बात नहीं है।

इस सम्बन्ध में जहां तक स्वास्थ्य का संबंध है यह जनतंत्र के साथ खिलवाड़ करना है इसका हक हमारे किसी भी प्रशासक को नहीं है और मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी अपने पवित्र प्रजातांत्रिक अधिकारों का दुरुपयोग न करेंगे। विरोध की कोई बात न सुनें और जो सुझाव दिया जाय उसकी परवाह न करें इस प्रकार के उपेक्षा के भाव के लिये मैंने सबूत दिया और कुछ बातें नागर जी ने भी कहीं।

तीसरे जिला बोर्डों की सड़कों के बारे में यह कहना है कि जो अनुदान दिया जाता है वह कौन खा जाता है इस पर भी माननीय मंत्री जी को ध्यान देना चाहिये।

(इस समय ३ बजकर २० मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

मैं समझता हूं कि इस पर ध्यान नहीं दिया गया। खासतौर से कानपुर के जिला बोर्ड का रवैया बहुत खराब है। इसके सम्बन्ध में मैंने सवाल भी भेजा है, तीन महीने हो रहे हैं अब तक कोई उत्तर नहीं मिला। कुछ सड़कों को छोड़ कर जहां कहीं पर किसी जिला बोर्ड के सदस्य या चेयरमैन वगैरा के घर आने जाने का रास्ता है, बाकी सड़कें बेकार पड़ी रहती हैं और कुछ सड़कें केवल कागज पर लिखी हैं, लेकिन आवागमन के योग्य नहीं है, कुछ का उनका नामो-निशान तक मिट गया है। ब्रिटिश जमाने में यह कानून था कि सड़कों के पास जो नालियां निकलें खेती की सिंचाई या बरसात के पानी के लिए तो उसको पुलिया बनाकर पार करें, लेकिन इस सम्बन्ध में इतनी उपेक्षापूर्ण नीति और लापरवाही जिला बोर्डों की तरफ से बरती जा रही है कि कानपुर जिला बोर्ड ने कोई पुलियों का नामनिशान तक नहीं रखा, चाहे कितनी दरख्वास्तें दी जायं और शिकायत की जाय। जो पुखरायां से रजधान जाने वाली सड़क है वह खास तौर से इस काबिल नहीं रही है कि उस पर आवागमन हो सके, कुछ पता नहीं

[श्री रामस्वरूप वर्मा]

कि सालाना रुपया जो बोर्ड नष्ट करता है और कहा जाता है कि मरम्मत के लिए खर्च किया जाताहै तो क्या मरम्मत होती है? अगर खर्च नहीं किया जाता तो क्यों नहीं किया जाता। अगर सालाना रुपया खर्च किया जाता है तो मरम्मत क्यों नहीं होती? जिला बोर्डों का यह खास तरीका है कि पक्षपातपूर्ण नीति बरती जाती है। जब दरख्वास्तें दी जाती हैं कि सड़क का हिस्सा खेत में मिला लिया गया है और अगर दरख्वास्त देने वाले सज्जन ऐसे हैं जो विरोधी पक्ष के हैं, सत्तारूढ़ दल के नहीं हैं तो पहले उन्हीं के खिलाफ कार्यवाही कर दी जाती है। मैं उसका स्वयं शिकार हो चुका हूं। मेरे भाई के खिलाफ कार्यवाही हुई और यह साबित करने की कोशिश की गई कि सड़क का कुछ हिस्सा हमारी खेती में आ गया है। हालांकि अदालत ने फैसला दिया कि मेरे भाई का खेत सड़क में बिलकुल नहीं बढ़ा और बोर्ड के आदमी ने गलत रिपोर्ट दी उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। बावजूद इसके कि कलेक्टर और कमिश्नर के पास हमने नाम २५-३० आदमियों के भेजे जो कांग्रेसी हैं कि इनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये क्योंकि इन्होंने सड़क को अपने खेतों में मिला लिया है और सड़क चौड़ी होनी चाहिये, लेकिन उसकी कोई परवाह नहीं की गई और आज तक वह सड़क आवागमन के अयोग्य अब भी बनी हुई है। तो हर साल जब रुपया इस तरह से खर्च होता है तो इस तरह से परेशान करना कि सड़क का हिस्सा मिला लिया है और उसको फौरन निकाल दीजिये और इतना रुपया बतौर हरजाने के दीजिये यह कहां तक उचित है? इसका सालाना इन्तजाम होना चाहिये।

श्री रामवचन यादव (जिला आजमगढ़)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने आज मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। यह जो अनुदान पेश है म्युनिसिपल बोर्ड और टाउन एरिया और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में है, इसमें डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और टाउन एरिया की तरफ बहुत कम ध्यान दिया जाता है। माननीय मंत्री जी इस पर ध्यान दें कि टाउन एरिया की सड़कें और वहां की नालियां इतनी गंदी हैं कि बहुत से कस्बों में तो बरसात में चलना मुश्किल हो जाता है। जो लोग जूता पहिनते हैं उनका जूता किसी का ऐसा नहीं रहेगा कि कीचड़ में पूरा न धंसे। आज बड़े-बड़े शहरों में सीमेंट की सड़कें बनायी जा रही हैं जबकि सीमेंट का अभाव है। गांव वालों के लिए कुछ कुएं बनाने तक के लिए सीमेंट नहीं है तो सीमेंट की सड़क को रोक कर, कंकर और कोलतार की सड़कें ही बना दी जायं और गांव के लिए सीमेंट की बचत की जाय और जो ज्यादा पैसा खर्च किया जाता है उस बचत से टाउन एरिया की सड़कों को कुछ ज्यादा रुपया देकर उनको सुधारा जाय। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स की सड़कें अगर पक्की नहीं की जा सकती हैं तो उन सड़कों पर जितनी पुलियां हैं उनकी मरम्मत करा दी जाय और नई पुलियाँ भी बनवा दी जायं क्योंकि पुलिया न होने के कारण आवागमन रुक जाता है। शहर की तरफ लोगों का अधिक ध्यान है मगर जो गांवों में रहते हैं और देश की दौलत पैदा करते हैं उनकी तरफ कम ध्यान दिया जा रहा है। इसलिये मैं अनुरोध करूंगा कि उनकी तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाय।

इसी तरह से टाउन एरियाज में जो नालियां और सड़कें हैं उनकी तरफ भी ध्यान दिया जाय। म्युनिसिपल बोर्ड की सड़कों के बजाय नालियों को पक्का करने और ड्रेनेज की तरफ ध्यान देने की ज्यादा जरूरत है। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के स्कूलों की इमारतों की दशा बहुत शोचनीय है और बाढ़ के कारण और भी गिर जाती है, उनकी तरफ ध्यान दिया जाय। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के अस्पतालों की इमारतों की हालत भी बहुत ही खराब है। उनकी मरम्मत के लिये पैसा नहीं है, कहीं पानी टपकता है और मरीजों को अच्छा करने के बजाय उल्टे उनको सर्दी लग जाती है और ज्यादा बीमार हो जाने का डर रहता है और उनकी तकलीफ बढ़ जाती है। इसलिये इमारतों के लिये ज्यादा अनुदान दिया जाय जिससे गांव के लोगों को भी सुविधा मिल सके।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स की सड़कें बनाने के लिये जो ठेके दिये जाते हैं उनकी जांच-पड़ताल अच्छी तरह से होनी चाहिये। क्योंकि रुपया बरबाद होता है और काम भी अच्छा नहीं होता। इसलिये मंत्री जी से अनुरोध है कि इसके आडिट के तरीके में सुधार किया जाय ताकि जो बेकार पैसा जाता है उसकी बचत हो सके।

श्री रामगोपाल गुप्त (जिला हमीरपुर)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो मुझे समय दिया उसके लिये मैं आपका बहुत ही अनुग्रहीत हूं। मैं आपके द्वारा मंत्री जी का ध्यान अपने जिले की ओर दिलाना चाहता हूं कि वहां की हालत बहुत खराब है और जो रुपया डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, म्युनिसिपैलिटी और टाउन एरियाज को दिया जाता है उसका ठीक-ठीक उपयोग नहीं हो पाता। मंत्री महोदय वाकिफ हैं कि राठ वाटर वर्क्स के लिये रुपया दे दिया गया लेकिन ड्रेनेज के लिये रुपया नहीं है। इसी तरह से हमारे यहां एक कस्बा मौदहा है उसकी हालत यह है कि वहां सड़कें इतनी खराब हो जाती हैं कि उन पर आदमी तो क्या जानवर तक नहीं चल सकते मोटरों की तो बात ही दूसरी है। हमीरपुर जिले में हेड-क्वार्टर के इधर-उधर बेतवा और जमुना नदियां हैं जिससे बरसात में बड़ी दिक्कत होती है। कीचड़ में चलना पड़ता है और नावों में चढ़ने के लिये कोई प्रबन्ध नहीं है। उस समय तो बड़ी ही परेशानी पैदा होती है जब बहनें हमीरपुर में मुकदमों के लिये जाती हैं और उनको घुटनों से ऊपर तक कीचड़ में चलना पड़ता है तब उन्हें नाव में बैठने को मिलता है।

बुन्देलखंड जो एक पिछड़ा हुआ प्रदेश है उसकी तरफ सरकार की बड़ी उदासीनता है। मैंने इस सिलसिले में दो कटमोशन्स भी दिये हैं। मैं समझता हूं कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की इस अव्यवस्था की तरफ सरकार विशेष रूप से ध्यान देगी। समय-समय पर सरकार के समक्ष हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और टाउन एरिया मौदहा, दोनों के सिलसिलें में शिकायतें भेजी गयी हैं लेकिन सरकार ने उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। पिछले वर्षों में कुछ जवाब तलब तो जरूर हुये थे लेकिन वह दुर्व्यवस्था अभी भी चल रही है और सरकार ही समझ सकती है कि उसे दूर करने की कोशिश क्यों नहीं की जा रही है। जो भी रुपया सरकार की तरफ से दिया जाता है उसका सदुपयोग न हो कर दुरुपयोग होता है। बावजूद इसके कि दस वर्ष से स्वराज्य मिल गया है लोग यह कहते हैं कि यही तकलीफ अंग्रेजों के जमाने में होती थी और वही तकलीफ अब भी होती है जबकि हमारे यहां के मिनिस्टर हैं, मेम्बर हैं जो कि उस प्रदेश की कठिनाइयों को जानते हैं। जब उनका भी ध्यान उस तरफ नहीं है तो ऐसा मालूम होता है कि स्वराज्य के बाद भी उन्हें कोई आराम नहीं मिला। इन थोड़े से शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि मंत्री महोदय इस तरफ अवश्य ध्यान देंगे और हमीरपुर की इन दुर्व्यवस्थाओं को दूर करने का प्रयत्न करेंगे।

श्री जगन्नाथ लहरी (जिला आगरा)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो ग्रांट की मद इस समय हम लोगों के समक्ष है उसके प्रति जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया गया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। कटौती का एक मात्र कारण यह है कि आज हमारे इस प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स की सड़कें लोगों से हाहाकार करके यह कहती हैं कि आप हम पर न चलिये वरना कहीं आपके गिरने से हाथ पैर न टूट जायं। यह नजारा एक सड़क का नहीं है बल्कि आज प्रदेश के किसी कोने में चले जाइये सभी सड़कें जर्जर हो चुकी हैं। अभी १४ मई को माननीय स्वशासन मंत्री फिरोजाबाद में पधारे थे, वहां के वाटर वर्क्स का उद्घाटन करने के लिये। उस समय फिरोजाबाद के नागरिकों का एक प्रतिनिधि दल उनसे मिला और फिरोजाबाद-कोटला रोड का निरीक्षण कराया। यह सौभाग्य था कि स्वशासन विभाग के मंत्री के साथ-साथ उनके पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी

[श्री जगन्नाथ लहरी]

श्री यादव जी भी थे। वे भी उस सड़क से अच्छी तरह से परिचित हैं। आज उस सड़क की क्या दशा है उससे माननीय स्वशासन मंत्री और पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी दोनों अच्छी तरह से परिचित हैं लेकिन आज उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है।

आगरा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की एक कठिनाई और है जिसके लिये वहां की जनता ने बार-बार मांग दोहराई है। पिछली मई में जब प्लानिंग कमेटी की मीटिंग हुई तो उसमें जब सड़कों का सवाल उठाया गया तो वहां के चेयरमैन श्री शिवप्रसाद गुप्ता ने कहा कि सड़कों के मद में उनके यहां केवल १६,००० रुपये हैं और सड़कों की लम्बाई २७२ मील है। अगर इस रुपये से हम कच्ची मिट्टी भी डलवाना चाहें तो दो इंच भी नहीं डलवाई जा सकती। लेकिन मरता क्या न करता। आगरे के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने जब यह दशा देखी कि सड़कों की हालत खराब होती जा रही है तो आगरा-भरतपुर रोड के किनारे किनारे जो हजारों की संख्या में पेड़ लगे हुये हैं उनको अभी १५ जुलाई को नीलाम कर दिया। पेड़ों के नीलाम से लगभग १ लाख रुपये प्राप्त हुए। उस रुपये की निधि से उन सड़कों का निर्माण किया जायगा। आप देखिये कि आगरा-भरतपुर रोड राजस्थान से आगरा को मिलाती है। राजस्थान के रेगिस्तान को रोकने के लिये हमारे प्रदेश के कृषि और फारेस्ट विभाग ने जगह-जगह उस तरफ जंगलों को लगाने की स्कीम बनाई है। उस पर हजारों रुपया खर्च किया जा रहा है, लेकिन आज विवश होकर सड़कों की दुर्दशा देखकर आगरा के रेगिस्तान को रोकने में कुछ मदद करने के बजाय अपनी सड़कों की हालत को सुधारने के लिये सड़कों के किनारे लगे हुए पेड़ों को भी बेचना पड़ा और इस रुपये से उन सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। मैंने पहले ही कहा कि मरता क्या न करता। विवश होकर आज डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को इस तरह का कदम उठाना पड़ा है। कहीं यह बीमारी पूरे प्रांत में न फैल जाय।

रहा म्युनिसिपल बोर्ड की सड़कों का हाल। आज पता नहीं कि निर्माण की स्कीम में क्या-क्या काम हो रहा है। मैं फिरोजाबाद नगर से आ रहा हूं जहां की सड़कों की बुरी दशा थी। सरकारी अनुदान के साथ-साथ जो नव-निर्वाचित बोर्ड था उसने अपनी बचत से लाखों रुपया निकाल कर सड़कों का निर्माण किया। वहां वाटरवर्क्स की एक योजना चालू हुई है। एक तरफ सड़कें बनती जा रही हैं और दूसरी तरफ जिन सड़कों का नव-निर्माण होता है उनको वाटरवर्क्स वाले खोद डालते हैं। उनकी फिर मरम्मत होती है। इस तरह से फिरोजाबाद वाटरवर्क्स का निर्माण जिन व्यक्तियों के हाथों में था उन्होंने सड़कों को ६, ६ बार खोद दिया है और आज भी सड़कें खोदी जा रही हैं। अंडर ग्राउन्ड ड्रेनेज की जो स्कीम है उसके सर्वे पर वहां ४०,००० रुपया व्यय किया जा चुका है। पता नहीं कैसे काम चलेगा कि जब वहां बनी हुई सड़कें बार-बार खोद दी जाती हैं और इस तरह से लाखों रुपया बरबाद हो जाता है।

श्री विचित्रनारायण शर्मा--ड्रेनेज के लिये हम रुपया नहीं देंगे।

श्री जगन्नाथ लहरी--लेकिन हमारी म्युनिसिपैलिटी का ४०,००० रुपया आपके द्वारा ही सर्वे कराने में व्यय कर दिया गया। इस सड़क से जो बढ़ौत की अन्डर ग्राउन्ड ड्रेनेज स्कीम चलाई गई थी उसके लिये ढाई लाख रुपया आपने मंजूर किया था, लेकिन वहां गबन हो गया। बोर्ड ने सरकार का ध्यान उस तरफ दिलाया तो यह फैसला हुआ कि उनसे निर्माण-कार्य न कराया जाय और उसको रोक दिया जाय। जिसके कारण आज बढ़ौत की सड़कें अधूरी पड़ी हुई हैं। इसलिये मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप एक निश्चित योजना को लेकर चलें। अगर ड्रेनेज निर्माण कराना है तो उसको पहले कर दें उसके बाद सड़कें बनाने का काम अपने हाथ में लें। अच्छा हो आप म्युनिसिपल एरिया, टाउन एरिया या नोटीफाइड एरिया में जहां कि ड्रेनेज कराना है सड़कों का काम न शुरू करायें। इस तरह से सड़कों पर बरबाद होने वाला रुपया बच जायगा।

इसी तरह से मेरी एक दूसरी मांग है। मैंने स्वशासन मंत्री जी को भी उसका निरीक्षण कराया था। फिरोजाबाद म्यूनिसिपल ही को नगर की नेशनल हाईवे (मुख्य सड़क) ट्रान्सफर कर दी गयी है। फीरोजाबाद म्युनिसिपैलिटी अपनी लिमिट तक वह उसकी देखरेख करती है, लेकिन उसके आगे जहां पी० डब्लू० डी० का इंस्पेक्शन हाउस बना हुआ है पी० डब्लू० डी० ने ५५,००० रुपया खर्च करके अपने इंस्पेक्शन हाउस तक आने के लिये एक नई सड़क बना ली है लेकिन आज पुरानी सड़क का कोई मालिक नहीं है। म्युनिसिपैलिटी कहती है वह हमारी सीमा के बाहर है और इस तरह से उस सड़क की देखरेख करने वाला कोई नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष---आप का समय समाप्त हुआ। (श्री राजाराम शर्मा से) आपके लिये ७ मिनट का समय है लेकिन यदि आप अपना भाषण ५ मिनट में समाप्त कर दें तो मेरे ऊपर महान् कृपा होगी।

श्री राजाराम शर्मा (जिला बस्ती)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मेरे जिले में एक मेंहदावल टाउन एरिया है उसकी बड़ी खराब दशा है। उसमें चलना फिरना बड़ा मुश्किल है। पिछले साल उसको ५,००० रुपये का अनुदान मिला, लेकिन वह एरिया ऐसी रामखुदइया में पड़ा हुआ है कि कुछ कहा नहीं जाता। उसके कुछ मेम्बर जनसंघी हैं, कुछ कम्युनिस्ट हैं और कुछ कांग्रेसी हैं, इस कारण वहां बड़ी मुश्किल है। नालियों की बुरी दशा है। उनका तो कुछ कहना ही नहीं। वहां के हिसाब-किताब का भी पता नहीं कि क्या है। हाकिम परगना के यहां रिपोर्ट होती है तो भी उसे कोई सुनने वाला नहीं है। अगर वह टाउन एरिया न रहे तो अच्छा है। मेंहदावल की जनता परेशान है। वहां सफाई के मजदूर जो भंगी हैं उनके रहने का स्थान बड़ा गन्दा है। सहकारी समिति से या किसी तरह उनको अच्छे मकान मिल जावें तो उन्हें बहुत आराम मिलेगा। बोर्डों को कुछ रुपया दिया गया है परन्तु जिसकी आबादी लाखों में है उसे भी उतना ही रुपया और कम वाले को भी उतना ही दिया गया है। ६०, ६० हजार रुपया हर एक को दिया गया है चाहे कोई बड़ा हो या छोटा। हम तो सोचते हैं कि जैसे गोरखपुर और देवरिया दो जिले होने से दो जगह ग्रान्ट मिलती है जो दुगुनी हो जाती है, ऐसे ही हमारा जिला भी दो हिस्सों में हो जाय। जिला बोर्ड की सड़कों की मरम्मत तो दरकिनार, अगर उनकी हदबन्दी ही हो जाती कि इतनी दूर में सड़क है तो भी कुछ काम चलता। इन चन्द शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

आचार्य दीपंकर (जिला मेरठ)---ऐसा दुखदाई जिला कौन-सा है?

श्री उपाध्यक्ष---वह बस्ती जिले के रहने वाले हैं।

श्री शिवप्रसाद नागर---उपाध्यक्ष महोदय, अभी आपके सामने दोनों पक्षों की ओर से बहस हुई। मैं माननीय रामस्वरूप वर्मा का विशेष आभारी हूं कि उन्होंने अनुदान संख्या ३४ के सम्बन्ध में कुछ बातें सदन के सामने विस्तारपूर्वक रखीं। मैं माननीय जगन्नाथ लहरी का भी आभारी हूं कि उन्होंने एक बात मुझे याद दिलाई कि ड्रेनेज सर्वे के अन्तर्गत म्युनिसिपैलिटीज का हजारों बल्कि लाखों रुपया बरबाद किया जा रहा है। बहुत समय भी इसमें लगाया गया परन्तु आज इस अनुदान ३४ की आइटम (छ) में साफ लिखा है कि पानी के निकास और पानी सप्लाई के प्रोजेक्टों के लिये गत वर्ष के समान म्युनिसिपल बोर्डों को अनुदान देने के निमित्त कोई व्यवस्था नहीं की गई है क्योंकि सन् ५१-५२ में यह निश्चय किया गया था कि ऐसे अनुदान साधारण राजस्व से न दिये जाकर उत्तर प्रदेश सड़क निधि से दिये जाय। मैं सरकारी पक्ष के उन तीन माननीय सदस्यों को भी धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने इस अनुदान की खामियां बताई हैं। इसके बाद मैं माननीय तेजासिंह जी से कहूंगा कि वह अनुदान ३४ के आइटम (छ) को जो मैंने अभी सुनाया है, गौर से देखें। वह सोचें कि क्यों रुपया नहीं रखा गया है। गन्दे पानी के निकास

[श्री शिवप्रसाद नागर]

के लिये भी नहीं और सड़कों के लिये भी नहीं है। सन् ४७-४८ में जब कि २७ करोड़ रुपया सरकार की आमदनी थी तब तो वह सड़कें ले ली गयी थीं और सड़कों में सुधार भी हुआ था लेकिन आज जब कि सरकार की आमदनी ९६ करोड़ कुछ लाख है तो हमारी सरकार ने उन सड़कों को डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को दे दिया है और आज तक इन सड़कों का कोई निर्माण नहीं हुआ है। आज इन सड़कों ने नदियों का रूप धारण कर लिया है। कहीं कहीं मिट्टी १०-१२ फीट ऊंचे तक हो गयी है। अगर आप उन सड़कों से निकलें तो आपको ५-५ फीट पानी भरा हुआ मिलेगा। आज यह सड़कें दरिया हो गयी हैं।

श्री विचित्रनारायण शर्मा--श्रीमन्, मैंने बहुत ध्यान से माननीय सदस्यों के वक्तव्यों को सुना। मुझे ऐसा लगता था कि मेरी दशा उस कम्बख्त खानसामा की सी है जिसे मालिक ने बाजार में सामान खरीदने के लिये २ पैसा भी न दिया हो और खाना खाने के लिये जब बैठा हो तो कहता हो कि कोफ्ता नहीं बनाया, पुलाव नहीं बनाया। ऐसा समझा जाता है कि बस आपने कहा और हमने इंजीनियर को आर्डर कर दिया और सड़क बन गयी। मानो कि अलादीन का चिराग है हमारे पास या कोई ऐसा खजाना है जो कभी खत्म ही नहीं होता। एक-एक पैसा, श्रीमन्, इस सदन की स्वीकृति से हमको मिला है। यह तो कांग्रेस सरकार है कि गालियां खाकर भी, टैक्स लगा कर, इलेक्शन से पहले टैक्स लगा कर चाहती है कि किसी भी तरीके से काम को कर दिया जाय। क्योंकि वे नहीं चाहते कि खाली कुर्सियों पर बैठकर रोटी तोड़ें। किसी ने भी सरकार को यह नहीं बताया कि पैसा कहां से आयेगा। तीन-चार दिन तक जनरल डिबेट हुई। यह तो शिकायत की गयी कि डैफिसिट बजट है, यहां पर यह काम नहीं हुआ, यहां खर्चा नहीं करना चाहिये था, वगैरा वगैरा। लेकिन किसी माननीय सदस्य ने ऐसा कोई तरीका नहीं बतलाया कि अगर वैसा किया जाय तो पैसा आयेगा और उससे वह वह काम कर दिये जायं जो वे बतलाते हैं। अगर ऐसा कुछ बताया गया होता तो कर लिया जाता। यहां तो न मालूम किस तरह से प्रबन्ध करते हैं।

मैं भी गांवों में जाता हूं, इसके लिये आंखों से ज्यादा और किसी की जरूरत नहीं है। कोई भी जाकर देख सकता है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स की सड़कें खराब हैं और सड़कों के लिये उनके पास पैसा नहीं है। जो पैसा उनके पास है उससे वे मास्टरों की तनख्वाह भी नहीं दे पाते, वह भी सरकार से अनुदान मिलने पर करते हैं। हालत खराब है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन इसका इलाज क्या है? क्या सदन के सामने उन हालतों को बयान करने से वहां की हालत सुधर जायगी? क्या आप यह समझते हैं कि हम यह चाहते हैं कि हमसे कोई भला काम ही न हो? क्या हम ऐसे कम्बख्त हैं जो सुबह यह व्रत लेकर उठते हैं कि आज दिन भर में हम से अच्छा काम होगा ही नहीं? आखिर तकलीफों का अहसास हम लोगों को भी होता है। लेकिन पग-पग पर हम लोगों को गालियां दी जाती हैं। आखिर हमारी आंखों में भी हया है। हम लोगों में माना कि वैसे अक्लमन्द नहीं हैं जैसे कि हमारे उधर के भाई हैं लेकिन इसके लिये तो ज्यादा अक्ल की भी जरूरत नहीं है श्रीमन् कि पैसा कहीं से आना चाहिये और जब तक साधन नहीं होंगे तब तक हमारी शिक्षा भी खराब होगी, हम जिस दिशा में भी जायेंगे, वहां पर आपको कमी मिलेगी। गवर्नमेंट को बहुत कुछ अभी करना है।

हमारे देश में बहुत समय तक विदेशी सरकार होने की वजह से साधन नहीं हैं। थोड़े समय में हमें सब करना है। मैं उन लोगों में हूं जो कभी नहीं कह सकता कि हम कर सकते थे या हम करने वाले थे। मैं महसूस करता हूं कि हम इस तरह की चीजें कर सकते थे, नहीं कर सके, यह हमारी कमजोरी है। लेकिन उसके कारण आप हम से चाहते हैं कि हम ज्यादा कर सकें तो उसका यह तरीका नहीं है कि जो कुछ हम करते हैं वह सब खराब, अगर नहीं किया तो वह तो नहीं ही किया लेकिन एक भी सलाह हमको न दी जाय जिस माकूल सलाह को मान कर हम चलें। चार साल के लिये तो करीब करीब हम लोग अमर से हैं।

तो क्या सदन यह चाहता है कि चार साल तक कोई भला काम ही न हो ? क्या इसीलिये विरोध पक्ष के भाई भी कोई राय अपनी थैली से, अपने जादू की पिटारी से हमको नहीं देते कि यह कर लो ताकि सारा काम ठीक हो जाय ? शायद इसीलिये हमको सुझाव नहीं देते हैं कि कहीं हमने वैसा कर लिया अगर हमारे हाथ से भला काम हो गया तो आपके चांसेज (chances) इधर बैठने के कम हों जायेंगे, इससे आप कोई बहुत अच्छे देशभक्त साबित नहीं होते हैं। और अगर आपका ऐसा ख्याल ही हो कि आप कोई भी माकूल राय देंगे उसको हम करेंगे नहीं, तो उसमें भी आपको कोई खतरा नहीं होना चाहिये। कम से कम ये अखबार वाले तो आपको क्रिटिसाइज (criticise) नहीं कर सकेंगे कि आपने राय नहीं दी। वे तो यही कहेंगे कि आपने राय दी लेकिन उसको नहीं किया गया।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--आप प्रेस गैलरी को ऐड्रेस नहीं कर सकते हैं।

श्री विचित्रनारायण शर्मा--प्रेस का नाम लेना कोई प्रेस गैलरी को ऐड्रेस करना तो है नहीं बिना किसी तरह का कोई कंस्ट्रक्टिव सजेशंस दिये हुये सब जगह दोष निकालना बहुत आसान है, परमात्मा की सृष्टि में भी दोष निकाला जा सकता है, फिर हमलोग तो बहुत ही छोटे आदमी हैं। हजारों आदमी दिन भर में सामने आते हैं, इसलिये यह दावा हमने कभी नहीं किया कि हमने गलतियां नहीं कीं।

कुछ गलतफहमी से हमने नालियों के लिये कुछ पैसा नहीं रखा। उसकी बात बहुत छोटी सी यह थी कि इस मद के लिये हमको सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा मिलता था जिस पर हमारी यह स्कीम चलती थी। इसके अलावा हमारा एक एक पैसा, जो प्लान हमारा बन चुका है उसके लिये मारगेज हो गया है। उसमें हम बहुत कम इधर उधर कर सकते हैं और अगर करें तो उसके लिये अलग से पैसा चाहिये। उस पैसे का प्राविजन कर लें तब हम कुछ कर सकते हैं। तो हमें उम्मीद है और अभी तक हमारी यह कोशिश चल रही है कि इसके लिये केंद्रीय सरकार से कुछ पैसा मिले। इसी से हमने इसके लिये कोई प्राविजन नहीं किया। अगर यह सजेशन दिया जाता कि यह चीज खराब है इसलिये वहां का पैसा काट कर इसको दूसरी जगह लगा दिया जाय तो उसके ऊपर हम अवश्य सोचते और समझ सकते कि एक माकूल चीज बतलायी गयी है।

कुछ थोड़ा सा एकाध भाई ने कहा कि शहरों में चूंकि सरकार को सफलता नहीं मिली इसलिये शहरों से नाराज होकर उनके लिये पैसा नहीं रखा गया है। लोगों का यह ख्याल गलत है कि शहरों में हमारी ज्यादा हार हुई। अगर किसी खास शहर की बात किसी के दिमाग में हो तो बात दूसरी है लेकिन शहरों में हमारी शानदार जीत हुई है। किसी खास दल की शहरों की मोनोपोली नहीं है। अगर बजट को देखा जाय तो मालूम होगा कि कारेस्पोंडिंग ग्रांट के लिये जहां पिछली बार ३८ लाख रखा गया था वहां इस बार ४६ लाख रखा गया है। वह सब पैसा शहरों को ही यानी टाउन एरियाज और म्युनिसिपैलिटीज को ही मिलेगा, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को एक पैसा भी नहीं मिलेगा। तो यह कहना कि शहरों के साथ किसी तरह का डिसक्रिमिनेशन किया गया है मेरी समझ में ठीक नहीं है, यह तो एक विशफुल थिंकिंग (wishful thinking) है और अब तो चुनाव आने वाले हैं शहरों में लोग देख लेंगे और उनको इतमिनान हो जायगा कि शहरों की क्या हालत है।

कहा गया कि डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के मकानों की, स्कूलों की, सड़कों की हालत खराब है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि स्कूलों की इमारतों की हालत खराब है और यह सड़कों या इमारतों की खराब हालत का जो असर है वह हम से या किसी से छिपा नहीं है। इस बार इस काम के लिये ३० लाख रुपया रखा गया है इसमें शक नहीं है कि यह बहुत नाकाफी है। पिछले सालों में जो बारिश हुई उससे बहुत से मकान गिर गये, सड़कें टूट गईं लेकिन जैसा

[श्री विचित्रनारायण शर्मा]

कि मैं निवेदन कर चुका हूं कि पैसे के अभाव में ज्यादा काम नहीं हुआ। यह पैसा भी अगर मिल जायगा तो जितना भी हो जाय उसे ही हमें गनीमत समझना चाहिये।

सरदार तेजासिंह जी ने कहा कि आडिट रिपोर्ट में जो एतराज होते हैं उन से सरकार कोई लाभ नहीं उठाती।

श्री उपाध्यक्ष—आपके २ मिनट और हैं।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जिस समय श्रीमन् कहेंगे मैं बैठ जाऊंगा। माननीय सदस्य काफी होशियार हैं, जो कुछ मैंने कहा वह काफी है, उनके लिये इशारा काफी है। तो मैं यह कह रहा था कि आडिट रिपोर्ट को अगर स्क्रूटिनाइज नहीं किया जाता है तो मैं उसकी ओर विभाग का ध्यान आकर्षित कराऊंगा वर्ना आडिट रिपोर्ट का कोई लाभ नहीं है अगर उसकी शिकायतों से हम लाभ न उठावें। बस श्रीमन्, अब सदन का अधिक समय मैं नहीं लूंगा क्योंकि अब समय बहुत कम है और एक-एक मिनट पर सदन का न मालूम कितना पैसा खर्च होता है। इन शब्दों के साथ मैं चाहूंगा कि अनुदान संख्या ३४ को यह सदन स्वीकृति प्रदान करे।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि कि अनुदान संख्या ३४—लेखा शीर्षक: ५०—नागरिक निर्माण कार्य में एक रुपये की कटौती की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३४—नागरिक निर्माण कार्यों के लिये सहायक अनुदान—लेखा शीर्षक: ५०—नागरिक निर्माण-कार्य के अन्तर्गत १,१९,८९,४०० रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष १९५७-५८ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४४—लेखा शीर्षक ६८—सिंचाई, नौ-चालन, बांध और पानी के निकास सम्बन्धी कार्यों का निर्माण

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री राममूर्ति)—मान्यवर, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४४—राजस्व लेखे से बाहर सिंचाई निर्माण कार्यों का सम्पादन (स्थापना व्यय सम्मिलित नहीं है) लेखा शीर्षक: ६८—सिंचाई, नौ-चालन, बांध और पानी के निकास संबंधी कार्यों का निर्माण, के अन्तर्गत १०,२०,६७,२०० रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष १९५७-५८ के लिये स्वीकार की जाय।

मान्यवर, मेरा खयाल यह था कि शायद यह सिंचाई की ग्रांट कल ली जायगी लेकिन इत्तफाक की बात कि यह ४४ नम्बर ग्रांट आज ही ले ली गई है। इस प्रदेश में लगभग ४ करोड़ एकड़ जमीन पर आज खेती-बाड़ी हो रही है। स्वराज्य के बाद से इन पिछले ५-७ वर्षों में बावजूद तमाम कोशिशों के सिंचाई के साधनों से अबतक केवल एक करोड़ से कुछ ज्यादा एकड़ जमीन के लिये पानी के साधन हो पाये हैं। हमारी यह कोशिश है कि कम से कम ३० प्रतिशत जमीन के लिये पानी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समय तक हम जरूर लोगों के वास्ते मोहैया कर दें। इसी लक्ष्य को अपने सामने रखकर हमारा विभाग काम कर रहा है। पिछले जमाने में विशेषकर पहली पंचवर्षीय योजना में बड़े उत्साह और कोशिशों के साथ काम हुआ और वह हमारा प्लान बड़ी खूबसूरती के साथ खत्म हुआ और जितना शुरू में हमने अपना लक्ष्य बनाया था उससे कहीं ज्यादा हमारा काम हुआ। अब द्वितीय पंचवर्षीय योजना के कार्य हमारे सामने हैं।

इस ४४ नम्बर के अनुदान में १०,२०,६७,२०० रुपये की मांग इस आदरणीय सदन से की गयी है और उसका खर्चा, या ब्योरा इस तरह से है कि सिंचाई के कामों में करीब ४,००,००,००० रुपया खर्च होगा। जो कृषि और सामुदायिक सेक्टर है उसकी उन्नति में १,६४,००,०००; बाढ़ में ३,२५,००,००० और करीब ७०,००,००० रुपया ग्रामीण जनता के स्वच्छ पानी पीने का इंतजाम करने के लिये। मोटे तौर से यों मैंने आपको बतलाया।

चूंकि एक ही घंटे का समय है, मेरी यह ख्वाहिश है कि माननीय सदस्यों को ज्यादा वक्त मिले। फिर भी मैं थोड़े में अपनी कुछ स्कीमों का जिक्र कर देना चाहता हूं जो इस साल हमारे यहां ली जा रही हैं, करीब ३०,३२ लाख रुपया हमने जो स्पिल ओवर स्कीम्स हैं, जो पुराना काम चला आ रहा है और जो अनप्रोडक्टिव काम है, बाकी सब रुपया नये काम का है।

लगभग ११ बड़े प्रोजेक्ट्स हमने इस साल लिये हैं। उनमें से पहला अपर खजूरी है। यह रिजर्वायर मिर्जापुर में बना रहे हैं जो करीब १५ हजार एकड़ आबपाशी करेगा और करीब ५०,००,००० रु० इस पर खर्च होगा। मिर्जापुर में पानी की बहुत कमी है उसी को पूरा करने के लिये जहां हमने एक बांध बनाया है वहां यह एक और योजना हमने ली है।

दूसरी योजना जिरगो रिजर्वायर की है। यह भी करीब १,००,००,००० रुपये की लागत से बनेगा और पचास हजार एकड़ जमीन के लिये इससे पानी मिलेगा। इसका पानी मिर्जापुर और बनारस में जायगा बल्कि कुछ पानी का हिस्सा गाजीपुर की जमनिया तहसील में जायगा और चुनार और चंदौली मिर्जापुर और बनारस की तहसीलों में भी जायगा।

तीसरा रिजर्वायर जो बड़ा है वह ओहेन का है। बांदा जिले में पिछली पंचवर्षीय योजना के सिलसिले में हमने पहले रंगवा का बांध बनाया था। वह बहुत बड़ा बांध बना और बांदा जिले के बहुत बड़े हिस्से को उससे पानी मिल रहा है और वहां के लोगों की उन्नति हो रही है। करवी तहसील बांदा की है जहां पर पानी का कोई इन्तजाम नहीं है। वहां के किसानों की दिक्कत को देखते हुये इस बांध की योजना हमारे सामने पहले से थी जिसको हमने कार्यान्वित करने को सोचा है। यह करीब ५७ या ६० लाख रुपये में बनेगा और लगभग १५ हजार एकड़ जमीन की आबपाशी करेगा।

इसके अलावा मेजा रिजर्वायर बन रहा है। यह भी करीब पौने २ करोड़ रुपये की एक योजना है। इसमें लगभग ६० हजार एकड़ जमीन को पानी मिलेगा। इलाहाबाद और मिर्जापुर जिले में और विशेषकर जैसा इसका नाम है इलाहाबाद की मेजा तहसील है, पचास हजार एकड़ वहां और दस हजार एकड़ एक परगना कंटिट मिर्जापुर में है उसको पानी मिलेगा। बेलन नदी पर मिर्जापुर में बनाया जायगा।

इसके अलावा हमारे यहां तराई के इलाके में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है। उसका नाम नानक सागर है। डयोहा नदी के ऊपर हमारा यह सागर बन रहा है। अभी तक बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर इनके लिये शारदा से पानी ले लिया करते थे और इस प्रकार यहां के सिंचाई के साधनों को पूरा किया जाता था।

इस स्कीम के द्वारा यह शारदा का पानी बच जायगा। दोहा का सारा पानी इस रिजर्वायर या झील में इकट्ठा किया जायगा। उसके जरिये से शाहजहांपुर, बरेली, पीलीभीत को पानी पहुंचेगा।

दूसरा रिजर्वायर ढोढा के नाम से है वह भी इसी इलाके को पानी देगा। इससे फायदा यह होगा कि जितना भी पानी शारदा का बचेगा वह हरदोई, बाराबंकी, रायबरेली, प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर के जिलों में रबी के लिये प्रयोग में लाया जायगा।

[श्री राममूर्ति]

ऐसे ही हमारे माताटीला प्रोजेक्ट का दूसरा स्टेज है, जिसमें हमें फाटक लगाने हैं और कुछ और चैनेल्स बढ़ाने हैं। यह हमारे प्रदेश का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसके जरिये से झांसी, जालौन तथा हमीरपुर जिलों के लिये, उनके बहुत बड़े हिस्से के लिये, पानी का इंतजाम हो रहा है। इससे हमें आशा है कि वहां के लोगों की बड़ी उन्नति होगी ।

इससे भी ज्यादा जरूरी एक रिजर्वायर बनने वाला है, वह राम गंगा का है, जो बहुमुखी है। उससे बाढ़ की भी रुकावट होगी और दूसरे जो लोअर गंगा कैनाल है उसके लिये जो पानी मिला करता था वह पानी अपर गंगा कैनाल में ही रह जायगा । मेरठ, मुजफ्फरनगर, बुलन्दशहर और सहारनपुर वगैरह के लोग खेती-बारी करने में दक्ष हैं परन्तु पानी की कमी महसूस करते हैं। ऐसे समय पर अपर गंगा कैनाल का पानी जब रुक जायगा तो इस पानी को ओखला से ऊपर उठाकर जो आगरे में कैनाल है, जहां हमारे ट्यूबवेल भी काम नहीं करते और बड़ा खराब क्षेत्र है उससे इंटेंसिव (intensive) खेती होगी। हम उम्मीद करते हैं कि जब आगरा कैनाल का विस्तार होगा तो बढ़ते हुये रेगिस्तान की रोक भी होगी और वहां के लोगों का काफी कल्याण होगा ।

राम गंगा में जो हमारा पानी नरौरा के ऊपर से आयेगा उसी से लोअर गंगा स्कीम का विस्तार किया जायगा। इससे फतेहपुर, कानपुर और इलाहाबाद में पानी जायगा। रामगंगा के अलावा शारदा सागर का पहला चरण बन चुका है। तराई में जहां शारदा नहर निकाली गई है उससे १०, १२ मील नीचे एक बहुत बड़ी झील बनायी गई है, जिसके पहले चरण में करीब ४ करोड़ रुपया खर्च हुआ है और दूसरे चरण में ९ करोड़ रुपया खर्च होगा। उसके जरिये से जितने लखनऊ के पूर्व में जिले हैं उनको पानी मिलेगा।

यहां पर एक बात का और जिक्र करूं कि जिस रोज वित्त मंत्री जी ने बजट भाषण दिया था उसके बाद विरोधी दल के नेता ने यह कहा था कि नहरें तो बढ़ रही हैं लेकिन पानी बिल्कुल बढ़ता नहीं है। ऐसी बात नहीं है। जो रिजर्वायर बना रहे हैं पानी को बढ़ाने के लिये ही बना रहे हैं और मुझे उम्मीद है, और आंकड़े भी इस बात को बताते हैं कि जाड़े के दिनों में पानी बहुत कम हो जाता है। तो रिजर्वायर के जरिये हम इतना पानी इकट्ठा करने की सोच रहे हैं जिससे उसको हम रबी की फसल के लिये दें ताकि सूखे के इलाके के लोगों को पानी मिले।

श्री उपाध्यक्ष---माननीय मंत्री जी यह ख्याल रखें कि १० मिनट हो गये हैं। आखिर में भी आप समय चाहेंगे।

श्री राममूर्ति---जी, मैं खत्म करने जा रहा हूं। तो यह दस-ग्यारह जो जरूरी-जरूरी योजनायें हमारी थीं वह मैंने आपके सामने रखीं। बाकी बातों का मैं अन्त में जिक्र कर दूंगा । मेरी खुद भी यह ख्वाहिश है कि ज्यादा वक्त साथी सदस्यों को मिले ताकि वे अपने विचार व्यक्त करें, हमारे डिपार्टमेंट में, जो गलतियां हों, कमियां हों वह हमें बतायें और हम इस बात की कोशिश करें कि उनकी रोशनी में अपनी कमियों को दूर करें और जो हमारे विभाग की गलतियां हों वह ठीक हों जिससे इस प्रदेश की जनता को ज्यादा सुख मिले। अब आखीर में जब माननीय सदस्य अपने विचार व्यक्त कर लेंगे तब उसके बाद जवाब दूंगा।

श्री गौरीशंकर राय---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं सिंचाई मंत्री जी के अनुदान संख्या ४४---राजस्व लेखे से बाहर सिंचाई निर्माण कार्यों का सम्पादन (स्थापना व्यय सम्मिलित नहीं है) लेखा शीर्षकः ६८---सिंचाई, नौ-चालन, बांध और पानी के निकास संबंधी कार्यों के निर्माण के अन्तर्गत सम्पूर्ण मांग में एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव सरकार की अनियोजित, असंतुलित कार्यविधि, द्रव्य के दुरुपयोग एवं भ्रष्टाचार पर वादविवाद मात्र के लिये

करता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, समय बहुत कम है अन्यथा इस संबंध में अधिक बातें कही जा सकती थीं। बड़ा सौभाग्य है कि आज के पहले वाले सिंचाई मंत्री जी भी सदन में उपस्थित हैं। अभी दो मिनट पहले, श्रीमन्, असंगत न होगा अगर मैं चर्चा कर दूं, हमारे स्वशासन मंत्री जी ने अत्यन्त ही दयनीय मुद्रा में अपनी निस्सहाय स्थिति का वर्णन करते हुये अबला रोदन किया।

श्री उपाध्यक्ष---लेकिन बहादुर का तरीका यह है कि सामने वार करे। अनुपस्थिति में वार करना तो उचित नहीं है।

श्री गौरीशंकर राय---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वार नहीं है और दूसरे उत्तरदायी लोग सदन में उपस्थित हैं। मैं तो कहूंगा कि उस पक्ष के बैठने वाले हमारे आदरणीय मुख्य मंत्री जी और जो अब यहां इस सदन में नहीं हैं माननीय पंडित गोविन्द बल्लभ पंत जी भी इस सदन में विरोध में रह चुके हैं। कोई उस तरफ के बैठने वाले भाई उनके सारे भाषणों में से निकालकर दिखा दें कि किस साल बजट के भाषण में उन्होंने सारे खर्चे का हिसाब लगाकर रख दिया था या हिसाब लगाया था कि किस तरह से आय होती है। तो विरोधी दल का क्या कर्त्तव्य होता है, और क्या उसकी कार्यविधि होती है, इन सभी बातों को जानते हुये भी कटौती के प्रस्तावों का और सारी बातों का जवाब इस तरह से दिया जाता है कि जिससे कुछ मतलब नहीं निकलता।

अब मैं आपके समक्ष यह जो कटौती का प्रस्ताव मैंने रक्खा है इसके संबंध में कुछ थोड़ी सी बातें कहना चाहता हूं। इसमें अनुत्पादक निर्माण-कार्य के लिये ९,८६,९७,००० रुपये का अनुदान रक्खा गया है। यह मेरी समझ में नहीं आया कि यह अनुत्पादक क्यों है। क्या इससे कोई उत्पादन नहीं होता है? जहां तक मैं समझता हूं कि नानक सागर पर योजना, माताटीला पर योजना, रामगंगा पर योजना ये सब उत्पादक योजनायें हैं तो इनको उत्पादक निर्माण-कार्य में रखना चाहिये था। अनुत्पादक में रखने का क्या अर्थ है? जहां तक मैं समझता हूं दोनों के लिये आय का स्रोत प्रायः एक ही है। तो इसको इस तरह से भ्रमात्मक बनाने से कोई विशेष लाभ नहीं होगा। अगर बजट की और कोई बारीकी इसमें हो तो मैं नहीं जानता। मैं अभी यह जो साहित्य मिला है इसको पढ़ रहा था कि कितनी चीजों को अब तक सरकार के सिंचाई विभाग ने पूरा कर दिया है। गंगा नदी के ऊपर बलिया बैरिया बांध सन् ५६ में पूर्ण हो जाना चाहिये था। हमारे जो पहले माननीय सिंचाई मंत्री जी थे वह उसको देख चुके हैं। उसका कितना अंश बाकी है और बाकी होने के बावजूद जो ईंट लगाने की व्यवस्था थी वह ईंट भी नहीं लगी है। घाघरा नदी पर हाहानाला बांध के ऊपर एक रेगुलेटर लगाने की बात थी। उसके बारे में मेरा प्रश्न भी है जिसका उत्तर कभी आयेगा। यह भी अभी पूरा नहीं हुआ है बलिया जिले में मुस्तफाबाद खुन्ती पृथ्वीपुर बांध अभी बिल्कुल अपूर्ण हैं।

इसके अलावा १२० गांवों की बाढ़ से सुरक्षा की चर्चा है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि एक भी गांव पूरी तरह नहीं भरा गया है लेकिन कागज को तो पूरी तरह भर लिया गया है। यह ऐसी विचित्र बात है कि जो कुछ समझ में नहीं आती। इस कागज के देखने से कुछ भी समझ में नहीं आता। क्योंकि जमीन देखने व कागज देखने में बड़ा फर्क पड़ गया। एक जगह साधारण राजस्वों से पूरी की जाने वाली ऋणात्मक धनराशि ३५ लाख रुपये की रखने की व्यवस्था है।

अगर यहां बजट में इसकी व्यवस्था नहीं की गई तो दूसरे स्थान पर इसको ले जाने की कौन सी विधि है? साढ़े ग्यारह करोड़ का जो डेफिसिट है उसको आपने एडजस्ट करने की कोशिश की है क्या?

[श्री गौरीशंकर राय]

बलिया बैरिया बांध १९४८ के फ्लड लेविल से ३ फीट ऊंचा बनाया गया और १९५६ में जब फ्लड आया तो पानी कहीं पर ४ फीट नीचे था, कहीं पर ५ फीट नीचे था और कहीं पर बांध डूब गया था। इस तरह से बांध का लेविल भी एक नहीं था और ५ फीट तक का अन्तर उसमें पड़ता था।

बलिया में बाढ़ विभाग के इंजीनियर के प्रांगण में आमोद-प्रमोद के लिये एक स्नानागार बनाया गया। इसी प्रकार सम्पूर्णानन्द सरस्वती भवन के प्रांगण में ५ हजार की लागत से एक तालाब खोदा गया सिर्फ चक्षु आनन्द के लिये जिसमें कमल उगाये जायेंगे।

सराय भारती बंधा में गबन हुआ। इसी तरह नहर विभाग में एक ओवरसियर ने गोदाम से लोहा अपने घर भेज दिया और एक ठेकेदार के मरने के बाद ४ दिन बाद इंजीनियर साहब ने रुपया बरामद कर लिया। तो इस तरह से भ्रष्टाचार है जिसके ऊपर सरकार का ध्यान जाना चाहिये क्योंकि जितना रुपया खर्च किया जा रहा है उससे उतना लाभ नहीं हो पा रहा है। एक ओवरसियर इस विभाग में एक कलेक्टर से अधिक ठाट बाट से रहता है। गाजीपुर की जांच में न जाने क्या हुआ? १२ लाख का गबन हुआ, ऐसा अखबारों में पढ़ते हैं लेकिन वहां का इंजीनियर हिमालय की तरह अटल है। वहां के इंजीनियर को सरकार ने हटाने की कोई व्यवस्था नहीं की। इस अनुदान में मैं एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं और आशा करता हूं कि बाढ़ विभाग में जो भ्रष्टाचार है उसपर अवश्य बिचार होगा और उसके निवारण के लिये सरकार की तरफ से कदम उठाये जायेंगे।

श्री मातप्रसाद (जिला जौनपुर)---आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करते हुये, आपके द्वारा माननीय सिंचाई मंत्री का ध्यान कुछ बातों की ओर आकर्षित करता हूं।

मान्यवर, सिंचाई विभाग में इंजीनियरों द्वारा जो नाप की जाती है उसमें अक्सर गड़बड़ होती है। पहले नहरें एक तरफ से नापी जाती हैं, फिर कुछ समय बाद ऐसा होता है कि नहरें दूसरे रास्ते से निकाली जाती हैं। ऐसा आदेश निकालना चाहिये कि जिस तरफ से नहरें नापी हों उसी तरफ से नहरें बनाई जायं, दूसरे रास्ते से न बनाई जायं।

दूसरी चीज यह है कि नहरों पर जो पुल बनते हैं उनमें बड़ा ही भ्रष्टाचार है। आज कल सीमेंट की बहुत ज्यादा कमी है, लेकिन जहां पर पुल बन रहे हैं उसके आसपास उसके ओवरसियर ठेकेदारों से मिल कर सीमेंट १०, १२ रुपये फी बोरी के हिसाब से बेंच देते हैं और बालू मिलाकर कमी पूरी कर देते हैं जिससे कि वे पुलों का निर्माण करते हैं। नहरों पर पुल अच्छी तरह नहीं बनते, इस पर सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिये। दूसरी चीज यह है कि ट्यूबवेल जो सिंचाई के लिये बनाये गये हैं उनसे समय पर पानी नहीं मिलता है। ट्यूबवेल में जो कर्मचारी होते हैं वह ज्यादातर ऐसा करते हैं कि गांव के कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों को पानी पहले देते हैं, लेकिन कुछ कमजोर और गरीब लोगों को समय पर पानी नहीं देते हैं। इस तरफ भी मैं आपके जरिये माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

एक बात और है कि जो नहरे बन गयी हैं उनको बने हुये काफी समय हो गया है, लेकिन जो जमीन ली गई है उसका मुआविजा अभी तक नहीं दिया गया है। मैं अनुरोध करूंगा कि सरकार इसकी व्यवस्था करे कि जिनकी जमीन नहरों में है उन्हें मुआविजा दिया जाय।

एक विशेष बात की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जौनपुर जिले में ट्यूबवेल के एक स्टाक सुपरवाइजर के विरुद्ध दो तीन महीने हुये एक दरख्वास्त जिला कांग्रेस कमेटी में आई और उस दरख्वास्त को लेकर भ्रष्टाचार उन्मूलन समिति के चेयरमैन के

द्वारा कलेक्टर से वहां के लोगों ने सम्पर्क स्थापित किया। दरख्वास्त में यह शिकायत की गयी थी कि स्टाक से ट्यूबवेल का बहुत ज्यादा सामान सुपरवाइजर ने गड़बड़ किया है या बेंच दिया है। उस आधार पर जब जिलाधीश से सम्पर्क स्थापित किया गया तो उन्होंने कहा कि बिना उस विभाग के अधिकारी की अनुमति के हम उसकी जांच नहीं कर सकते। इसलिये दो तीन रोज तक अनुमति लेने में लग गये। इस बीच में जो गड़बड़ी थी वह रजिस्टर में ठीक कर ली गयी और दो तीन दिन के बाद पुलिस का पहरा बैठाया गया और इस बीच में तमाम सामान ठीक कर दिया गया। इस विषय में आपके द्वारा सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जहां पर इस तरह से भ्रष्टाचार की शिकायतें हों वहां पर कम से कम जिलाधीश को इतना अधिकार जरूर होना चाहिये जिससे वह विभागीय अधिकारियों की अनुमति लिये बिना ही ऐसे मामलों में तत्काल कार्यवाही कर सके, बस यही मुझे कहना है।

श्री रामस्वरूप वर्मा––माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अनुदान संख्या ४४ के संबंध में मैंने पूरे अनुदान को देखने से जो कुछ निष्कर्ष निकाला वह आपके सामने रख रहा हूं।

इस खर्चे को देखने से ऐसा मालूम पड़ता है कि सरकार ज्यादा से ज्यादा योजनायें बनाने की धुन में है और चाहे उसके पास इतने टेक्नीशियंस हों या न हों, अच्छे इंजीनियर्स हों या न हों और चाहे कोई खराबी आये या योजना अधूरी रह जाय लेकिन बनाने के पागलपन की दौड़ है। इससे पैसा बरबाद होता है।

पिछली दफा कई बांधों के टूटने की खबरें आयीं, उस संबंध में कोई सख्त कार्यवाही नहीं की गयी, देश का पैसा बर्बाद हुआ लोगों की आशाओं पर पानी फिरा। इस प्रकार की यह पागल दौड़ ऐसी योजनायें बनाने की और दूसरे उनसे सीधा लाभ भी न हो, तो उससे हमारे राज्य की आर्थिक स्थिति को बहुत बड़ा धक्का पहुंचता है। इसलिये ऐसी योजनायें कम बनायी जायं और जो बनाई जायं वह संपूर्ण बनायी जायं जिससे वह लाभप्रद सिद्ध हो सकें और फिर उससे नुक्सान न हो तो ज्यादा अच्छा है।

मैं आपका ध्यान चन्दौली तहसील जो बनारस जिले की तहसील है, उसकी तरफ ले जाना चाहता हूं। माननीय गृह-मंत्री उस क्षेत्र के रहने वाले हैं। पहले वह सिंचाई मंत्री थे और उस समय आपने एक नहर निकाली थी, योजना बनायी गयी, नहर निकाली गयी, लेकिन यह ख्याल नहीं किया गया कि पानी कैसे निकलेगा। साइफन न होने की वजह से बाढ़ आने लगी। अभी कुछ ही दिन हुये थोड़ी ही बरसात में बाढ़ आ गयी।

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)––मेरा ख्याल है कि आपको इसकी सूचना सब गलत है।

श्री रामस्वरूप वर्मा––आप घबराइये नहीं। मैं सब बतला दूंगा। मैं यह कह रहा था कि इस संबंध में सुझाव सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से दिया गया कि साइफन वगैरा के न होने से बाढ़ आ जायगी, इसलिये साइफन बना दिया जाय। सोशलिस्ट पार्टी के सुझाव पर ध्यान नहीं दिया गया था और इस तथ्य को स्वीकार करने से इंकार कर दिया गया था। लेकिन अभी इस साल इस जिले की प्लानिंग कमेटी की बैठक में जिसमें कांग्रेस पार्टी के ही लोग हैं, सर्वसम्मति से सब लोगों ने स्वीकार किया कि यहां पर साइफन न बनने से बाढ़ आ गई है लिहाजा इसका प्रबन्ध किया जाय। अब वे इस बात को महसूस कर पाये हैं। हमारे स्वशासन मंत्री जी कह रहे थे कि विरोधी पक्ष की ओर से कोई सुझाव नहीं आता है, कोई कांस्ट्रक्टिव सजेश्चन नहीं आता है जिससे सहूलियत हो। यहां पर सुझाव दिये जाते हैं और मैं इसका प्रमाण देता हूं। मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया और मैं समझता

[श्रीरामस्वरूप वर्मा]

हूं कि इसका भी शायद नहीं मिलेगा। लेकिन हमें तो सदन के सामने सब चीजें रख देना है और निर्णय करना उसका काम है। हम सुझाव देते हैं लेकिन आप उसको नहीं मानते और बाद में जाकर मानते हैं। अभी सोशलिस्ट पार्टी का सत्याग्रह चल रहा है और चार हजार के करीब आदमी जेल में बन्द हैं।

श्री उपाध्यक्ष—सिंचाई से इसका क्या संबंध है ?

श्री रामस्वरूप वर्मा—इस तरह की बात आ जाती है और मैं उदाहरण के तौर पर यह कह रहा हूं। आज विरोधी पक्ष के ऊपर यह आरोप लगाया जाता है जो निराधार है क्योंकि हम ऐसे सुझाव नहीं देते हैं जो डिस्ट्रटिव हों बल्कि हम हमेशा कंस्ट्रक्टिव सुझाव देते हैं।

एक बात और है कि जहां बांध बन रहे हैं और जो प्रभावित क्षेत्र हैं वहां सत्तारूढ़ पार्टी के लोग हैं। ऐसी जगह काम नहीं किया जाता है जहां विरोधी पक्ष के लोग रहते हैं। ऐसा ख्याल न किया जाय और जनहित के लिये कार्य किया जाय। मेरे क्षेत्र में एक नहर जाती है जो भोगिनीपुर डिवीजन कहलाती है वहां पर बुधेडा डेरापुर माइनर है। वहां एक सुझाव दिया था कि अगर बुधेड़ा डेरापुर कैनाल को आगे बढ़ा दिया जाय तो १०-१२ गांवों को फायदा हो जाय और चार हजार एकड़ जमीन भी सिंचने लगे। वहां निचले हिस्से की जमीन डूब जाती है और ऊपर के हिस्से की सूखा से सूख जाती है। इसलिये नहर बनाने की जरूरत थी ताकि उन गांवों के लोगों का दुख मिटे लेकिन कुछ नहीं हो रहा है जिस काम से सरकार को आवर्त्तक पैसा मिले, जनता को भी लाभ हो उस काम को उस क्षेत्र में किया जाना चाहिये।

श्री मुक्तिनाथ राय (जिला आजमगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार को अपने पूर्वी जिलों में खासकर के जो सिंचाई के काम हुए हैं उसके लिये धन्यवाद देता हूं। लेकिन धन्यवाद के साथ-साथ कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको दुःख के साथ कहना पड़ता है। हमारी तरफ़ आजमगढ़ में नहरें बनीं, नलकूप बने, इसमें कोई शुबहा नहीं है, लेकिन इस वक्त देहातों में लोग कहते हैं कि यह तो विकास नहीं हुआ बल्कि विनाश हुआ। ये उनके शब्द हैं। यह इसलिये कि जब हमारे अधिकारी जाते हैं तो वे यह नहीं समझते हैं कि हम जनता के लिये काम करते हैं। मिसाल के लिये, नलकूप बनाये गए। गांव के किसान जानते हैं कि किस तरफ से पानी जाता है, लेकिन हमारे ओवरसियर गांव वालों से कोई राय नहीं लेते। कहीं बैठ गए और गूलें बन गयीं। जब पानी चलने का समय होता है तो नतीजा यह होता है कि पानी चलता ही नहीं। सरकार ने काफ़ी रुपया लगा कर एक अच्छा काम किया लेकिन जब पानी किसान के खेत में नहीं जाता है तो वह सरकार को कोसता है।

इसके अलावा नलकूपों की जो गूलें बनीं उसमें समझ में नहीं आता कि सीमेंट और बालू का क्या अनुपात है। मैं तो सरकार से यह निवेदन करूंगा कि यदि वह सारे सूबे में जांच करा सकें कि बालू और सीमेंट की क्या मात्रा होती है तो राष्ट्र हित के लिए बड़ा भारी काम होगा। पानी गया नहीं कि नलकूप की गूलें टूट जाती हैं।

अब नहरों को लीजिये। वे वहां नहीं बनती हैं जहां उनकी आवश्यकता होती है बल्कि जहां बढ़िया खेत होते हैं वहां नहर पहले बनायी जाती है। फिर, नहर का काम शुरू होने की कोई सूचना किसानों को नहीं दी जाती है। जब फसल तैयार हो जाती है तब काम शुरू होता है। मैं अपने जिले की बात जानता हूं। नहर किस खेत से जायगी इसका किसानों को पता ही नहीं। जब फसल तैयार हुई उस वक्त लोग आये और किसानों पर टूट पड़े। मैं भागा हुआ आया सिंचाई मंत्री के यहां और उनके सामने शिकायतों को रखा तो उन्होंने रुकवाया। कहने का मतलब यह है कि जो काम किसानों के फ़ायदे के लिये किया जाता है वह ऐसे समय पर किया जाता है कि वह उनके लिये एक अभिशाप बन जाता है।

इसलिये मेरा कहना यह है कि जो काम किये जायं जनता के फायदे के लिये व यह समझ कर किये जायं कि वे जनता के लिये हैं, जिससे जनता संतुष्ट हो। मैं अपने जिले की बात कहता हूं कि नहरें धान के खेत में नहीं बनीं लेकिन नहरों में जो काम करने वाले लोग हैं उनके बंगले बन गये हैं। नहरों पर जो पुल बनाये गए हैं उनकी हालत यह है कि ६ महीने नहीं हुये और ईंटें निकलने लगी हैं। सड़कों पर जो साइफ़न बने हैं वे टूट गये हैं। हम राष्ट्रीय कार्यकर्ता चाहे किसी भी पार्टी के हों और सरकारी कर्मचारी, सब एक देश के रहने वाले हैं और राष्ट्र के काम में लगे हुये हैं। हममें और उनमें कोई विरोध नहीं हो सकता। जब हमारे भूतपूर्व सिंचाई मंत्री हमारे जिले में गये और हमने बड़े-बड़े नक्शे देखे जिनमें गांव-गांव का नक्शा दिया हुआ था कि कहां-कहां से नहरें जायंगी तो हमें बड़ी आशा हो चली थी, लेकिन निर्माण कार्यों को देख कर हमें बड़ी निराशा हुई। इसलिये मेरा आपसे यही निवेदन है कि जो भी कार्य आप करें वह जनता के हित को देख कर करें और उसमें जनता से राय ले कर करें।

एक चीज और मुझे निवेदन करनी है। जो भ्रष्टाचार के बारे में मैंने कहा है उसमें हमारे जो विभाग के बड़े-बड़े कर्मचारी हैं उनका उसमें बड़ा भारी काम होता है, यदि कहीं शिकायत यह हो कि वहां भ्रष्टाचार है तो मेरा सुझाव है कि उस भ्रष्टाचार के मामले की जांच विभागीय अधिकारी, जिनको बहुत ज्यादा काम रहता है, को न दे कर, जो भ्रष्टाचार निवारण अधिकारी नियुक्त किये गये हैं उनके जिम्मे कर दिया जाय ताकि इसका शीघ्र ही अन्त हो।

*श्री रघुबीरसिंह (जिला मेरठ)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप को इसके लिये धन्यवाद कि आज पहली बार आपने मुझे इस सदन में बोलने का मौका दिया।

जहांतक नहर बनाने का ताल्लुक है, हमारे पश्चिमी जिलों में खास तौर पर मेरठ, मुजफ्फरनगर और मेरठ कमिश्नरी में कोई ऐसा निर्माण कार्य नहीं हुआ कि जिससे वहां के लोगों को यह आशा हो चले कि हमारी सरकार यहां भी किसानों के उत्थान के लिये, उनकी तरक्की के लिये, उनके विकास के लिये कोई बड़ा कार्य करने जा रही है। जितना रवेन्यू आबपाशी से हमारे पश्चिमी जिलों से, खासतौर से मेरठ कमिश्नरी से, आता है वह आधे से ज्यादा है। बजट से मालूम होता है कि यह कहां खर्च होता है। पश्चिमी जिलों में सिवाय बानगंगा बांध के और कोई विशेष काम नहीं हो रहा है जिससे वहां आबपाशी की सुविधा मिल सके।

पूर्वी जमुना नहर की अक्सर शिकायत रहती है कि वहां पानी कम रहता है और जब रबी की फ़सल के लिये पानी की जरूरत अधिक होती है तो वह नहीं मिल पाता है। कोई रजबहा नहीं चलता है। बाद में पानी मिलता है परन्तु आधी फसल तो पहले ही बरबाद हो चुकती है। इससे किसानों की बहुत हानि होती है। यह नहीं कि सूबे में सिंचाई की ओर ध्यान नहीं है, नहर बन रही हैं, रिजर्वायर भी बन रहे हैं परन्तु हमारे पश्चिमी जिलों में कोई खास कार्य नहीं हो रहा है। हमारे कहने का मतलब यह नहीं है कि जितना रुपया हम देते हैं वह सब हमारे यहां ही लगाया जाय या जहां के लोग अधिक गरीब हैं वहां हमारा रुपया न लगाया जाय बल्कि हम केवल यह चाहते हैं कि हमारे रुपये में से आधा तो हमारे इलाके के लिये सिंचाई की सुविधा देने में खर्च होना चाहिये, जो एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे के बाद बचे उसका आधा तो हमारे यहां के लिये लगाना चाहिये। लेकिन हम देखते हैं कि २५ फ़ीसदी भी वहां खर्च नहीं किया जा रहा है। जब शिकायत की जाती है कि नहरों में पानी नहीं आता है तो हमारे मौजूदा माननीय मंत्री और पहले मंत्री माननीय त्रिपाठी जी उत्तर देते हैं कि क्या करें, जमुना में पानी नहीं है। अब नये कुलाबे लगाये जा रहे हैं। जब पहले ही पानी की कमी है तो नये कुलाबे लगाकर और असन्तोष को बढ़ाना है क्योंकि उनको भी पानी नहीं मिलेगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रघुवीर सिंह]

मैं समझता हूं कि सरकार की इस नीति में सुधार होना चाहिये। ऐसे बहुत से काम हैं जिनमें रुपया अधिक लाभ के साथ लगाया जा सकता है। पानी का बटवारा ठीक ढंग से हो, ऐसी नीति सरकार को अपनानी चाहिये जिससे असन्तोष न रहे और लोगों को सन्तोष हो। पानी के बटवारे के ठीक ढंग से होने से बहुत कुछ सुधार हो सकता है। मिसाल के तौर पर जहां नाली सड़क को पार करती है उस पर पुलिया यदि टूटी हुई है तो रजबहे का पानी खराब जाता है, वह इधर उधर फैल जाता है, उसका कोई उपयोग नहीं हो सकता और आने जाने के रास्ते भी बंद हो जाते हैं। अगर सरकार इन छोटे-छोटे निर्माण कार्यों पर ध्यान दे, नालियों को ठीक कराये, पुलियों को ठीक कराये, ठीक ढंग से ओसरा रक्खे तो काफी पानी की बचत हो सकती है और उससे अधिक आबपाशी हो सकती है।

ट्यूबवेल्स की भी यही हालत है। हमारे यहां ट्यूबवेल्स नहीं के बराबर लगे हुये हैं। पश्चिमी जिलों में मेरठ कमिश्नरी में काफी ऐसे स्थान हैं जहां न नहर है और न ट्यूबवेल। जब पानी की जरूरत होती है तो पानी नहीं मिलता है। रहट और कुएं लगाने से ४ बैलों से दिन भर में एक बीघे की सिंचाई भी नहीं हो पाती। गर्मियों में मवेशियों को चारा नहीं मिलता है। इसलिये इस ओर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं और आशा करता हूं कि वे पिछड़े हुये इलाके की ओर ध्यान देंगे।

श्री दुर्योधन (जिला गोरखपुर)--माननीय उपाध्यक्ष जी, मुझे जो आपने समय दिया है उसके लिये मैं आपको बधाई देता हूं। हमारे पूर्वी जिलों में अन्न का बहुत ही ज्यादा अभाव है और उसकी समस्या तभी हल हो सकती है जब अनाज की पैदावार को बढ़ाया जाय। सिंचाई की योजना के अनुसार जो नहरें चालू हैं, जो ट्यूबवेल्स चालू हैं, उनसे हमारी समस्या हल हो सकती है लेकिन सरकार की तरफ से जो सिंचाई की योजनायें चालू हैं उनके अन्दर कितना भ्रष्टाचार है यह मैं आपको बतलाऊंगा। हमारे यहां एक नहर निकाली गयी है। उस नहर पर ४ मील का नाला पानी निकालने के लिये निकाला गया। जब उसमें डेढ़ मील का काम हो चुका तो एक दूसरा नाला एक मील का उसको छोड़ कर निकाला गया। इससे मालूम होता है कि सरकार द्वारा दिया हुआ धन किस प्रकार से अपव्यय किया जाता है। नहरों के अन्दर जो ठेकेदार काम करते हैं वह एक-एक गड़हिया को तीन-तीन मर्तबा नपवा कर दाम लते हैं। पूर्वी जिलों में जहां अकाल पड़ा हुआ है वहां ठेकेदार कुत्ते और कुतिया की शादी करने के लिये डेढ़ हजार रुपया खर्च करता है। वह बाबूलाल ठेकेदार है।

श्री उपाध्यक्ष--माननीय सदस्य यह जान लें कि जो व्यक्ति यहां जवाब देने के लिये उपस्थित नहीं हैं, ऐसे व्यक्ति का वे नाम न लें।

श्री दुर्योधन--इस प्रकार से सिंचाई के कार्यों में जो रुपया खर्च किया जा रहा है वह ठीक प्रकार से खर्च नहीं हो रहा है। पुलिया जो बनी हुई हैं वह ऐसी बनी हुई हैं कि चन्द ही दिनों में वे टूट जाने वाली हैं। जो चीज उसमें लगायी जा रही है वह इतनी कमजोर है कि ज्यादा दिन वह नहीं चल सकती। इस प्रकार से हमारे प्रान्त में सिंचाई में जो रुपया खर्च किया जा रहा है उसका सद्व्यय नहीं हो रहा है। ऐसे ओवरसियर और इंजीनियर रखे हुये हैं जो मालूम होता है कि उनके ऊपर कोई जांच-पड़ताल करने वाला ही नहीं है। मैं सरकार से इस ओर ध्यान देने की अपील करता हूं। आपको यह देखना चाहिये कि जो रुपया जिस काम के लिये दिया जा रहा है वह ठीक प्रकार से उस काम में खर्च हो रहा है या नहीं। गरीबों से लिया हुआ एक एक पैसा इस प्रकार से बरबाद किया जा रहा है। अगर ऐसा रहा तो देश की उन्नति असंभव है। हमारे यहां जो ट्यूबवेल्स जारी हैं उनसे समय से पानी प्राप्त नहीं होता है और पानी का रेट भी इतना महंगा है कि किसान उसको बरदाश्त नहीं कर पाता है। इसलिये हम सरकार से यह सिफारिश करेंगे कि हमारे यहां पूर्वी जिलों के किसानों को कुछ रट कम कर दिया जाय ताकि किसान अपनी उन्नति कर सकें और अपनी हालत को सुधार

सकें। इस तरह से आज जो देश में फैली हुई गरीबी है उसको देखते हुए जो सिंचाई के साधन हैं उनमें और ज्यादा रुपया लगाया जाय ताकि उससे देश का निर्माण हो सके और हमारा देश तरक्की कर सके और जो भुखमरी की समस्या फैली हुई है वह भी दूर हो सके।

श्रीमन्, मैं आपके द्वारा इस सदन का ध्यान उन ओवरसियर्स और ठेकेदारों की ओर दिलाना चाहता हूं जो आज नहरों में काम कर रहे हैं। अगर उनकी देख-भाल की जाय तो जितना रुपया दिया जाता है उतने में ज्यादा काम हो सकता है। सरकार की ओर से उसका निरीक्षण होना चाहिये। इसके अलावा नालियां जो नहरों की खोदी जाती हैं उनके दागबेल पहले एक जगह लगाये जाते हैं, फिर उनको दूसरी जगह लगाया जाता है। इससे किसानों को परेशानी होती है क्योंकि ओवरसियर और इंजीनियर लोग उनसे रुपया वसूल करते हैं। इसलिये उनको हिदायत की जाय कि जहां वे दागबेल लगावें वहां खूब सोच समझ कर लगावें ताकि किसान उसमें अपनी फसल भी बोवें, सरकार को भी नुक्सान न हो और किसानों को भी नुक्सान न हो। किसी तरह से वे अपनी हालत सुधार सकते हैं। इन शब्दों के साथ मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूं।

श्री गौरीशंकर राय--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहस तो सुनता रहा, मुझे कोई खास बात नहीं मालूम हुई जिसका उत्तर दूं लेकिन मुझे उत्तर देना ही है इसलिये मैं सरकार के सामने कुछ बातें रख देता हूं। अगर यह सरकार जांच कराये तो मैं तो चुनौती देता हूं कि बलिया में जितने ट्यूबवेल्स हैं सिवा उसके जो इंजीनियर साहब की कालोनी में है, अगर देखा जाय तो जो नालियां बनी हैं उनमें सीमेंट और बालू का प्रपोर्शन एक आठ और एक दस का है। मेरा दावा है कि अगर कोई कमजोर, माननीय मंत्री जी, भी एक लात मार दे तो ट्यूबवेल्स की नालियां टूट सकती हैं। उसकी जांच करना बहुत आवश्यक है। चार-चार इंजीनियर्स रखे गये हैं, एक-एक की तादाद बढ़ती जा रही है, ऐसी हालत में इसकी जांच कर ली जाती तो अच्छा होता।

श्रीराम मूर्ति--उपाध्यक्ष महोदय, समयाभाव के कारण मेरे साथी सदस्यों को काफी तादाद में बोलने का मौका नहीं मिल पाया। जिन ६-७ साथियों ने इसमें हिस्सा लिया है, उनका मैं बहुत आभारी हूं। उन्होंने जो सुझाव दिये हैं उनको मैंने नोट भी किया है, उनसे भी मुझे जरूर फायदा होगा। लेकिन इस सिलसिले में मैं यह अर्ज कर दूं कि कुछ आलोचनाएं केवल गलतफहमी की बुनियाद पर की गयीं या यह कहूं कि मालूमात न होने की वजह से की गयीं। इस बजट के अन्दर प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव की दो मदें डाली जाती हैं, यह बजट का एक तरीका है जो मुनासिब भी है। इसके लिये जो नियम आदरणीय सदन के मेम्बरों के लिये हैं, आपके लिये हैं, जनता के लिये हैं, कम से कम उनके बारे में सब को जानना ही चाहिये कि योजना क्या है और आया जो योजना बनी है उससे कोई फायदा है या नहीं। तो हर योजना के बारे में यह स्पष्ट होना चाहिये कि वह आर्थिक दृष्टि से लाभ देगी अथवा नुकसान। वह बड़ी ग़लत बात होगी कि किसी योजना को पहले तो प्रोडक्टिव बनाया जाय और बाद में उससे नुक्सान दिखला दिया जाय। वह बात दूसरी है कि आजकल चीजों के दाम बढ़ जाते हैं, हम समझते हैं कि किसी काम में सौ रुपया व्यय होगा और क्योंकि आये दिन सीमेंट लोहे के दाम बढ़ रहे हैं, मजदूरी बढ़ रही है इससे प्रोजेक्ट की लागत बढ़ जाती है और जिस कार्य को लाभ की चीज समझा जाता था वही बाद में नुक्सान की साबित हो जाती है लेकिन कम से कम मौका इससे मिलता है समस्त जनता को समझने का कि शुरू में योजना कितने की बनने वाली थी और बाद में योजना का खर्च कितना बढ़ गया। सलिये बजट में उसका जिक्र करना मुनासिब ही है।

दूसरा जिक्र हुआ कि बलिया बैरिया बांध बंधाया गया और उसका काम बीच में ही रोक दिया गया। इसका कारण यह हुआ कि जब यह बांध बन रहा था तो बिहार की सरकार

[श्री राममूर्ति]

ने उस पर कुछ एतराज किया और चूंकि हमारे यहां केन्द्रीय सरकार के द्वारा, वह एक एजेंसी बीच की है, जो शिकायतें इस तरह की होती हैं वह उसको रिफर होती हैं और वहां से काम को रुकवाने की कोशिश की जाती है उस वक्त तक के लिये जबतक कि वह मसला हल न हो जाय। हमारी सरकार की तरफ से भी ऐसे एतराज हो जाते हैं जब हमें मालूम होता है कि दूसरी स्टेट हमारी जनता या सरकार को नुक्सान पहुंचा रही है, तो हम पहले तो खुद ही एतराज कर के कोशिश करते हैं और अगर दूसरी स्टेट मानने को तैयार नहीं होती तो हम केन्द्रीय सरकार से अपील करते हैं कि ऐसे काम रोक दिया जाय। तो इस तरह से बिहार की सरकार के एतराज से ऐसा हुआ....

श्री गौरीशंकर राय--मैं बताना चाहता हूं कि बलिया बैरिया को नहीं रोका बिहार सरकार ने, वह संसारटोला वाला बांध है।

श्री राममूर्ति--जी नहीं, वह नहीं है। वह पूर्ण होने वाला था बाकी कुछ काम रह गया था वह रोक दिया गया है। वहां पिचिंग का काम बाकी रह गया है वह रोक दिया गया वर्ना वह भी अब तक हो जाता।

श्री गौरीशंकर राय--उसकी ऊंचाई नहीं है....

श्री उपाध्यक्ष--बार-बार आप व्यवधान न करें, इस तरह से बीच में बहस का अवसर मैं नहीं दूंगा।

श्री राममूर्ति--मैं उनको बता देना चाहता हूं कि जो बांध बनाया जाता है उस की पूरी ऊंचाई तक मिट्टी नहीं डाली जाती है क्योंकि मिट्टी बाद में सेटिल होती है इसलिये यह आवश्यक होता है कि अगले सालों में बाकी मिट्टी की पूर्ति की जाय।

यह भी कहा गया कि सिंचाई विभाग के जो काम हो रहे हैं उनमें बड़ा गबन हो रहा है और पैसे की काफी चोरी हो रही है। मैं वैसे तो अधिक नहीं कह सकता क्योंकि इस संसार में बहुत तरह के लोग रह रहे हैं लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं, यद्यपि मैं थोड़े दिन से ही इस विभाग में आया हूं पहले मैं उपमंत्री इस विभाग में ही जरूर रहा और माननीय कमलापति त्रिपाठी जी बैठे हैं वह इस विभाग के मंत्री थे, जब कभी भी किसी माननीय सदस्य ने कोई ऐसा केस हमारे सामने रखा जिसमें किसी पैसे के गबन की या चोरी की या काम की खराबी की शिकायत थी तो हमने उसकी पूरी जांच कराई और जहां कहीं भी पता लगा कि गबन हुआ है या चोरी हुई है हमने ऐसे कर्मचारी को बराबर सजा दी है। साथ ही मैं यह भी स्पष्ट बता दूं कि हमारे विभाग की ईमानदारी की एक बड़ी ख्याति रही है और जो हमारे बड़े अफसर रहे हैं वह बहुत ऊंचे दर्जे के रहे हैं। मैं छोटे अफसरों की बात नहीं करता, वह बीमारी जो उनमें है वह तो केवल इसी विभाग की नहीं है वह तो दुर्भाग्य से हमारे समाज में आमतौर से है लेकिन फिर भी मैं यह विश्वास दिलाता हूं कि जब कभी किसी माननीय सदस्य को कोई खराब या ग़लत काम नजर आये या कहीं कोई ऐसी बात नजर आये कि किसी कर्मचारी ने ग़बन किया है या इस तरह की कोई और गलत चीज की है तो जो स्पेसिफिक केस हमारे सामने लाये जायंगे हम उनकी जांच करावेंगे और अगर साबित हो गया कि किसी कर्मचारी ने ऐसा किया है तो ऐसे कर्मचारी को जरूर सजा दी जायगी।

एक साथी ने कहा कि जब नहरें बनायी जाती हैं तो एक आम तरीका बना दिया गया है कि कई-कई जगह उसके निशान लगा कर देखते हैं उससे कुछ करप्शन के चांसेज बढ़ जाते हैं। दो तीन जगह निशान लगाया जाता है। और जिन लोगों के यहां निशान लगाया जाता है, उनमें हर आदमी के दिल में यह खयाल होता है कि अगर पड़ताल करने वाले कर्मचारी से मिल लें तो शायद उनकी जगह से न नहर निकले और खास कर पूर्वी जिलों में जमीन कम है। पूर्वी जिलों के अन्दर ही क्यों समस्त प्रदेश में कोई नहीं चाहता कि उसकी जमीन पर नहर बन जाय।

यह सभी चाहते हैं कि नहर या ट्यूबवेल बने और उसको पानी मिले। लेकिन यह कोई नहीं चाहता कि कोई गूल या ट्यूबवेल उसके खेत में बनाया जाय। जब हमारे यहां यह प्रवृत्ति है तो ऐसी शिकायत का होना कोई गैर-मुनासिब नहीं है। लेकिन वाकया यह है कि नहर का अलाइनमेंट जहां ऊंची जमीन होती है वहां पर किया जाता है ताकि दोनों तरफ पानी पहुंच सके। और कोई भी आदमी हमारे विभाग में ऐसा नहीं है जो आंख से निगाह डाल कर यह समझ ले कि यह ऊंची जमीन है। यन्त्र से देखते फिरते हैं। कई जगह निशान लगाते हैं। लेकिन मैं आपके जरिये इस सदन को बता देना चाहता हूं कि लाइन आखिरी तभी पास की जाती है जब चीफ इंजीनियर तक पहुंच जाती है। एक्जीक्यूटिव इंजीनियर तक को अख्तियार नहीं है। सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर और चीफ इंजीनियर ऊंचाई और निचाई देख लिया करते हैं। शीट पर लाइन लगती है। फिर मंजूरी दी जाती है। मैं नहीं जानता कि किसी जगह कमी हो गई हो। वैसी पूरी जांच-पड़ताल के बाद लाइन फाइनल की जाती है। इसलिये ज्यादा गुंजाइश नहीं है कि कर्मचारी जहां चाहें लाइन लगा दें। यह केवल एक गलतफहमी की बात है।

यह भी जिक्र किया गया कि जो ट्यूबवेल से पानी दिया जाता है उसमें मजबूत आदमी को पानी मिल जाता है और कमजोर को नहीं मिलता। बड़े दुर्भाग्य की बात है। कमजोर बेचारे हर जगह सताये जाते हैं। लेकिन हमारे यहां रिवाज यह है कि हर ट्यूबवेल पर थोकबन्दी हो। एक थोकदार बना दिया जाता है। वह जनता द्वारा ही चुना जाता है। उसके ऊपर छोड़ दिया जाता है कि जिसको वह बताये पानी दे दिया जाय। नहरों पर ओसराबन्दी है। वहां बाकायदा जो रेवेन्यू स्टाफ के लोग हैं, डिप्टी रेवेन्यू आफिसर, वह ओसराबन्दी बनाते हैं। ट्यूबवेल में भी यही कायदा है। लेकिन फिर भी हमने यह रूल बना दिया है कि जिसका नम्बर दो हो, अगर ट्यूबवेल खराब हो जाय तो उसी को पहले दिया जायगा, वहीं से शुरू किया जायगा। फिर भी हो सकता है कि आपस में कुछ गड़बड़ करें तो गड़बड़ चल सकती है। लेकिन हमारी तरफ से कोशिश है और माननीय सदस्य अगर कोई सुझाव कभी पेश करें जिससे पानी का अच्छा बटवारा हो सके तो हमें खुशी होगी और हमारे विभाग वाले हमेशा उसे मानेंगे।

मुआविजा के बारे में कई मर्तबा सवाल उठ चुका है। पिछले जमाने में काम बहुत तेजी से हुआ। जमीनें ले ली और इसका किसी ने खयाल नहीं किया कि लोगों की जमीनें ले ली गयीं लेकिन उनको मुआविजा नहीं दिया गया। और कम्पेन्सेशन ही नहीं बेचारों से लगान भी लिया गया। इस बात का मुझे बेइन्तहा अफसोस है और पहले भी कई मर्तबा मैंने इस बात पर अफसोस जाहिर किया। हमने इसके लिये कुछ स्पेशल आफिसर्स भी रखे। लेकिन काम बहुत बड़ा है। पिछली मर्तबा रेवेन्यू मिनिस्टर साहब की ओर से एक जी० ओ० निकल गया है जो लोग लगान दे रहे हैं उनका लगान रोक दिया जाय। यह बाकी सब जगह ३१ जुलाई तक पहुंच जायगा। मेरी कोशिश है कि छः महीने के अन्दर तमाम मुआवजा के केसेज तय हो जायं। इस बात का आश्वासन दे दिया है कि आगे जो भी हमारे काम किये जायंगे, पहले बाकायदा जमीन ले ली जायगी तब काम शुरू किया जायगा ताकि किसी जमीन वाले के लिये कोई तकलीफ न हो। मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूं। मेरी माननीय गौरी शंकर राय जी से प्रार्थना है कि वह अपने कटौती के प्रस्ताव को मेरी बात सुनने के बाद वापस ले लें। जैसा मैंने आश्वासन दिया है मैं समझता हूं उससे उनकी मंशा पूरी हो जायगी और जो मैंने मांग की है सदन उसको मंजूर करने की कृपा करेगा।

श्री उपाध्यक्ष---(श्री गौरीशंकर राय से) आप अपना प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं?

श्री गौरीशंकर राय---जी नहीं।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४४--राजस्व लेखे से बाहर सिंचाई निर्माण-कार्यों का सम्पादन (स्थापना व्यय सम्मिलित नहीं है)--लेखा शीर्षक: ६८ के अन्तर्गत १ रुपये की कटौती की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४४--राजस्व लेखे से बाहर सिंचाई निर्माण-कार्यों का सम्पादन--(स्थापना व्यय सम्मिलित नहीं है)--लेखा शीर्षक: ६८--सिंचाई, नौ-चालन, बांध और पानी के निकास संबंधी कार्यों का निर्माण, के अन्तर्गत १०,२०,६७,२०० रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष १९५७-५८ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
३० जुलाई, १९५७।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न २२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६७० पर)

FROM

SRI B. N. NIGAM, I.C.S.,
REGISTRAR,
HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD,

TO

ALL DISTRICT AND SESSIONS JUDGES,
SUBORDINATE TO THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD.

General Letter No. 12/VIIIb—13. *dated May* 19, 1951.

SIR,

It has been noticed by the Court that when a Presiding Officer takes short leaves he does not often take necessary steps to adjourn the cases fixed for hearing during the period of his leave and which would have to be adjourned owing to his absence. This causes unnecessary inconvenience to the parties and their counsel who attend the court on the dates already fixed only to find that the Presiding Officer is away and that the case would consequently be taken up on another date.

I am, therefore, to suggest that all judicial officers in your judgeship may kindly be instructed that in such circumstances they should, so far as practicable, take care to adjourn beforehand the cases fixed for hearing during the period when they would be absent on leave and to give timely information thereof to counsel for the parties and, where possible, also to the parties themselves and their witnesses. In criminal cases such information should where practicable, also be given to jurors or assessors. Where there may be difficulty in giving information to any counsel for the parties owing to his absence from the station or for some other cause such information may usefully be sent also to the Bar Association concerned.

Yours faithfully,
(Sd.) B. N. NIGAM,
Registrar.

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६७४ पर)

CONSTRUCTION OF NEW ROADS DURING THE YEAR 1955-56

		Sft.
1. Katcha road metalled out of Municipal funds—		
(1) Harijan Ashram road painted end to north ..	626X10	6,260
(2) Alopibagh latrine road from Alopibagh road to latrine	488X10	4,943
(3) Baghambari road from painted end to gate of Baghambari Gaddi	1,724X12	20,688
(4) Road in Tula Ram ka bagh, Jawahar Lal Nehru road to South	361X10½	3,823
(5) Road in Sadiapur painted end to Abadi ..	1,298X10	12,980
(6) Road in Bhasauli tola along Western and Southern boundary wall of Khuldabad mandi G. T. Rd. to Kareli road	592X10	5,920
(7) Drammand road from painted end to north ..	416½X12	4,998
(8) Road in Luckerganj from bungalow no. 70 to 134	763X12	9,151
(9) Stretchy road from Thornhill road to Edmonston road	1,537X12	18,444
	7,805 Sft. —1.48 Miles	87,207

Amount incurred Rs. 21,738-11-0.

New road metalled out of Government grant of Rs. 2,88,400

1. Silakhana road from A. F. Rd. to West up to Mosque	980X16	15,680
2. Mahdauri road from Rasulabad ghat road to West	706X10	7,060
3. Colvin road from Canning road to Kanpur road	1,625X12	19,500
4. Road in Talab Newal Rai (Extension of Kydganj Katcha road)	320X12	3,840
	11,126 Sft. —2.11 Miles	1,33,287

Amount incurred Rs. 9,190-2-0.

Cement concreting out of Government grant of Rs. 2,88,400

1. Mahila Manoranjan Club lane in New Katra ..	310X10	3,151
2. Lane in Dondipur near Tombs cemented end to 99 Dondipur	265X9½	2,509
3. Lane from cemented end to painted end	218X12½	2,628
4. Hakim Usmani lane in Subzimandi ..	314X11½	3,632
5. Chandwali gali in Sahganj from Kamal Uddin Jafari road to north	280X10	2,627
6. Lane in Sahganj from cement end to the house of Sri Bashir Ahmad, Vakil	331X11½	3,599
7. Lane in Bhasauli tola from G.T. road to Nihalpur	624X9¼	6,024
8. Lane in Bhusauli tola from G. T. road to south along western boundary wall of Khuldabad mandi	203X10½	2,116
9. Nihalpur road from cement end to Kareli road to Ranimandi	225X9	2,060
10. Samdabad lane from cement end to house No. 256 Attarsuiya	557X8/1/8	4,526
11. Lane to Sadiapur from metalled end to south ..	532/10.2/3	5,675
12. Muthiganj latrine approach road from cemented end to Girja Shanker Bajpai lane ..	155X10	1,460
13. Sarai lane in Muthiganj Panchkosi road to cemented end	457X10	4,899
14. Kalimai lane in Kydganj from cemented end to Tribeni road	437X10	4,418

			Rs.
15.	Hafiz lane in Khalasi lane Kydganj from cemented end to Tribeni Road	329X8	2,563
16.	Lane in Atala from cemented end to 282 Atala	321X9	2,930
17.	Lane in Dara Sah Ajmel from Kohlan tola street to south	54X8	1,989
18.	Nihalpur road from Bhusauli tola to standpost ..	559X11	6,439
19.	Lane in Madhwapur from Canning road to cantonment boundary	626X9	5,668
20.	Kydganj lane along the boundary wall of Kydganj mandi Primary School	242X10	2,231
21.	Lane in Chak North South	294X8½	2,594
Out of Government grant of Rs. 3,79,300			
22.	Lane in Chak near Agarwal Vidyalaya ..	319X10	3,190
23.	Lane in Madhwapur from cemetry road near east pole no. CM/S to East	274X8¼	2,245
24.	Lane in Talab Newal Rai by the side of house of Bhagwati Prasad contractor G.T. Rd. to East	844X8½	7,092
25.	Completing lane by the side of Varshni Press in Katra	200X13	2,614
26.	Some Nath Temple lane in Katra along Western boundary wall P.C.B. Hostel cemented end to temple	363X11¼	4,082
27.	Road in Beli village cemented end to West ..	573X10	5,579
28.	Road in Jondhawal cement end to Ghat ..	577X10	5,751
29.	Road to Solori from metalled end to West (on Embankment both sides of Embankment) ..	799X10	7,964
30.	Lane in Baski Kalam Darganj from Nagbasu road to East	364X9½	3,481
		11,829 Rft.	1,15,684 Sft.
	Total length cemented		2.27 Miles
	Amount incurred out of Govt grant of ..	Rs. 2,88,400	Rs. 55,847 10 0
	Out of Govt. grant of ..	Rs. 3,79,300	Rs. 40,573 4 0
			96,420 14 0

CONSTRUCTION OF NEW ROADS DURING 1955-56
out of Government Grant of Rs. 2,07,200

	(*a*) *Ist Coat*	Surface paintings Standard L.	B.	Area Sft.
1.	Road around Museum Compound	1,599	13	21,427
2.	Zamindar Association Road	1,516	12	17,827
3.	Road in Rani Mandi	203	10	1,990
4.	Kalyanpur Housing Scheme—			
	(*a*) 12' Road N.S. from K.D./3 to North ..	181	11	2,000
	(*b*) 50' E.W. from Ram Lila Ground to end Junction	..	..	654
5.	Sultanpur Bhawa Scheme—			
	a) 40' Road N. S. from Khlantola street to South end of park	667	15	10,208
	(*b*) Kolahan Tola Street	145	16	2,216
6.	Road in Lukerganj (Painted end to house of Dr. Nigam)	749	10	7,339
7.	Colvin Road south Road to Canning Road ..	983	12	12,240
8.	Kanpur Road' E gin to Canning Road ..	961	12	11,847
9.	Fatehpur Bichwa Road painted end to North ..	253	12	3,034
10.	Road in Tula Ram Ka bagh Fort Road to South	386	9	3,620
11.	Matyara Road (Painted end to Western gate of of I.D.H.)	891	12	12,533
12.	Baghambari Road Painted end to Metalled end ..	637	12	7,625
13.	Madhwapur Road (Canning Road to cement end)	268	10	2,629
14.	Gazi ka pura Road (Painted end to Painted end) in front of Sweepers quarters	153	10¼	1,568
15.	Malakpail Depot (Lowther Road to pail depot) ..	236	10	2,473
16.	Road in Bai ka Bagh (three lanes E.W.) on Road N. S. end Road south of park	743	12 to 20	10,645
17.	Panch Koshi Road Lowther Road to West of Laxmin Narain Road	970	16	15,865

		L..	B.	Sft.
18.	Road in Katghar from gate of Kothi Banaras to South	570	9	5,326
19.	Nihalpur road in Bhusauli tola Kareli road to 110-E, Bhusauli tola	929	10	9,326
20.	Colvin road between Kanpur road and Edmonstone road	225	12	2,717
21.	Colvin road painted end upto North to Murabad	1,172	12	14,386
22.	Drummand road from P. W. D. Inspection House to Muir road..	1,008	11½	11,649
23.	Road in Nawada Housing Scheme in front of Sri M. G. Shome bungalow	303	12	3,611
	Over culvert	352	12	4,182
24.	Shiva Charan Lal road	221	36	1,074
25.	Chadda road from Painted end to Shaukat Ali road	652	12—14	7,175
				8,381
26.	40′ Road E.W. Chadda road to Attarsuiya ..	232	16	4,045
27.	Roads in Atala Refugee colony	715	16	11,354
28.	Hasan Manzil Road (Shaukat Ali road to North)..	387	16	3,781
29.	Atala road	1,983	12	24,620
		20,280		2,57,756

Out of Government grant of Rs. 2,88,400

1.	Road in Munfordganj Housing Scheme—			
	(*a*) 60′ road E.W. from Stanley road to M. Z. Hasan road (in front of Distillery) ..	3,222	16	52,320
	(*b*) 40′ Road N. S. (Lajpat Rai road Cantt. boundary) Extension of road behind Carpentary	1,986	17	33,635
	(*c*) 40′ road N. S. (Lajpat Rai road to 60′ E.W.) near Prof. Carwal's House	861	16½	14,044
	(*d*) 25′ road N. S. (Distillery road to 60′ Road E.W. from Distillery gate to South) ..	664	16½	10,807
	(*e*) 30′ road E.W. from 40′ N. S. Extension of "A" Bali Road to North (part of Main Road and Abadi)	247	16	3,960
2.	Mahdeuri road (Rasulabad ghat road to West) ..	753	10	7,530
3.	Silah Khan road from A.F. road to Mosque (Abadi)	1,014	16	16,121
4.	Roads in Albert road extension Scheme— (*a*) road parallel to Nala from N. K. Mukerji road to Cementary road	610	17	10,392
	(*b*) 40′ road E. N. north of Roadways workshop stretchy road to Albert Road ..	1,186	17½	20,534
5.	Colvin road from Kanpur road to Mahatma Gandhi Marg	1,663	13	21,583
6.	Roads in Sultanpur Bhawa Scheme—			
	(*a*) 40′ road N. S. Park to Shawkat Ali Road ..	1,278	17	21,625
	(*b*) 25′ E. W. Noorullah road to above road ..	313	17	5,214
7.	Roads in south housing scheme part II CP and Western section—			
	(*a*) Road east of Attarsuiya latrine (circular park to latrine)	167	17	2,854
	(*b*) Road N. S. West of refugee Qrs. on West side of Chaddha road	1,374	14½	19,586
	(*c*) Three roads E.W. from Chaddha road to above 40′ road South of regugee Qrs. and two other crossroads	533		7,365

8. Roads in South Housing scheme part II K. P. Section—

	L	B	Sft
(*a*) Road North of Kalyani Devi Dispensary from plot no. L. M. to plot no. 233 ..	493	20	9,925
(*b*) 25′ road B. S. east of plot no. 112, 113, 60′ E.W. to Shaukat Ali road	882	12	10,758

Total	1.	2,07,200	20,290	2,57,756	34,019	15	0
	2.	2,,88,400	17,246	2,68,553	34,240	7	0
		37,536	5,26,309	68,260	6	0	

—7.11 Miles.

List of electric lamps installed during 1955-56

1. **Leader Road—**
   1. On Leader Road opposite Leader Press—**G. E. C. MVL/125 watts.**
   2. On Leader Road Pole no. 33.
2. **X. G. T. Road / N. U. Road—**
   1. M. V. Lamp of 125 watts-Phillip.
3. **X Leader Road/Dr. Katju Road—**
   1. Inside Traffic Umrella—Green Lamp.
4. **Kotha Parcha—**
   1. Behind one, Kotha Parcha.
5. **Kalyani Devi S. H. Scheme—**
   1. Before Mosque Chanoor Mian.
   2. Near 639-G Daryabad.
   3. One broad road west to 899 Yehiapur.
   4. Near 539-E Dariabad.
   5. By the side of Nala near Lane leading to Hakeem Badshah.
   6. At 73-E Atarsuia Kalyani Debi.
6. **Chakmirattul—**
   1. Behind 130 Chakmirattul.
7. **Meerapur—**
   1. Before 242-E Meerapur 7 near 4/1-A Meerapur.
   2. Before 256 Meerapur.
   3. Near 258 Meerapur.
   4. Before 64 Meerapur.
   5. At 115 Meerapur.
   6. At 253 Meerapur.
8. **Rasoolpur—**
   1. At 39 Rasulpur.
   2. At X of Tulsipur-Rasoolpur, Meerapur Lanes.
9. **Tulsipur—**
   1. Near 212 Tulsipur.
10. **S. P. Bhawa—**
    1. At 57 S. P. Bhawa.
    2. Near 31, S. P. Bhawa.
    3. Near 211, S. P. Bhawa.
    4. Near 120, S. P. Bhawa.
    5. A 148 S. P. Bhawa.
    6. A 354 S. P. Bhawa.
11. **Atarsuia—**
    1. Before 312 Atarsuia.

12. Bahadurganj—
1. At 121 Bahadurganj.
2. At 10 Bahadurganj.
3. Before 75 Bahadurganj.
4. Before 78 Bahadurganj.
5. At 82 Bahadurganj.
6. At 69 Bahadurganj.
7. Near 178 Bahadurganj.
8. At 284 Bahadurganj.

13. Ahiapur—
1. At 119 Ahiapur.
2. Before 91 Ahiapur.
3. Before 259 Ahiapur.

14. Daryabad—
1. At 476 C Daryabad.
2. Near 470-A Daryabad.
3. At turning east to 561 Daryabad.
4. Before 313-A Daryabad.
5. At 427 Daryabad.
6. At 168 Daryabad.
7. At 17 Daryabad.

15. Akhara Man Khan—
1 At 44 A. M. Khan.

16. Sadiapur—
1. On slope east to culvert.

17. Atala—
1. At X of road North to Circular Park, Atala.
2. At X of road South to Circular Park, Atala.

18. Kucha Rai Ganga Pd.—
1. At 53-C K. R. G. P.
2. Near 42 K. R. G. P.

19. Buxibazar—
1. Before 283 B. Bazar.

20. Nehalpur—
1. In lane adjacent to Kaliji temple.
2. On cemented lane to N. Pur.

21. Puramanohardas—
1. On X of G. E. C. M. U. L. 125 watts.

22. Kareli Nayapurah Villages—
1. Before 46 Kareli.
2. Before 56 Kareli.
3. Before 60 Kareli.
4. Before 86 Kareli.

23. Gangaganj—
1. Before 55-A Gangaganj.

24. Khuldabad—
1. At 44-A Khuldabad.
2. Near Cattle pond.

25. Unchamandi—
1. At 169 Unchamandi.

26. Lokhnath—
1. At X of G. E. C. MVL 125 watts.

27. Industrial Colony Karelabagh—
10. **La**mps at different places on roads.

List of electric lamps fixed from April 1, 1955 *to March* 31, 1956

P. B. Kydganj—
1 lamp near 152 Purabadli (Rajantola) Kydganj.
1 lamp near 37 Khalasi Line, Kydganj.
1 lamp near 400 Kydganj.
1 lamp behind 101 Nai Basti, Kydganj.
1 lamp near 44 Purabadli, Kydganj.
1 lamp near 51/4 Purabadli, Kydganj.
1 lamp near 51/10 Nai Basti, Kydganj.
1 lamp near 164 Chaowkhandi, Kydganj.
1 lamp near 2 Chaowkhandi, Kydganj.
1 lamp near 175 Purabadli, Kydganj.
1 lamp near 16 Chaowkhandi, Kydganj.
1 lamp near 123 Chaowkhandi, Kydganj.
1 lamp near 66 P. B. Kydganj.
1 lamp near 66 K. L. Kydganj.
1 lamp near 477 Kydganj.
1 lamp near 38-A Nai Basti, Kydganj.
1 lamp near 450 K. L. Kydganj.
1 lamp near 155 Neta Nagar, Kydganj.
1 lamp near 384 K. L. Kydganj.
1 lamp near 3/10 Nai Basti, Kydganj.
1 lamp near 126 Chowkhandi, Kydgani.
1 lamp near 133 Chowkhandi, Kydgani.
1 lamp near 444-B K. L. Kydganj.
1 lamp near 146 135 K. L. Kydganj.

Kothaparcha—
1 lamp near 51 Kotha Parcha.

Talab Newal Rai—
1 lamp near 80 Talab Newal Rai.
1 lamp near 64 Talab Newal Rai.
1 lamp near 19-A Talab Newal Rai.
1 lamp near 18 Talab Newal Rai.

Bairahna—
1 lamp near Mr. Saxe na old Bairahna.
1 lamp near 166 Old Bairahna.

Muthiganj—
Pole no.4 Panch Koshi Road, Muthiganj.
Pole no. 5 M. V. lamp Punchkoshi Road, Muthiganj
Pole bef. house no. 443 Muthiganj.
Pole near house no. 533/A Muthiganj.

Balaughat—
1 lamp on wall—at stone steps Balwaghat temple

Ram Nath Bhargava Road—
1 lamp near Ram Bagh Station.

Gaughat—

One flood light at Gaughat.
One 40 watts lamp near steps at Gaughat.

Hatia Bahadurganj—

One lamp near 89 Hatia Bahadurganj.
One lamp near 21 Bahadurganj.

Mumfordganj—

1. Before Adya Prasad's house.
2. Before Adya Prasad's house north side.
3. M. V. lamp in Mumfordganj main crossing.
4. Near 189 Mumfordganj.
5. Before 139 Mumfordganj.
6. Near 434 at 222 Mumfordganj.
7. At 310 Mumfordganj.
8. Near 122 Mumfordganj.
9. Near plot no. 39 Mumfordganj.
10. Near plot no. 41 Mumfordganj.
11. Near plot no. 44 Mumfordganj.
12. Near no. 308/396 Mumfordganj.
13. Near no. 313/392 Mumfordganj.
14. Near house no. 334/374 Mumfordganj.
15. Near H. house no. 390/248 Mumfordganj.
16. Behind no. 390/248.
18. Service from pole no. MF/BMF.

Darbhanga Colony—

1. Before plot no. 28 Darbhanga.

Civil Lines—

1. One Couper Road between Elgin and Edmonstone Roads.
2. At Pole no. 2 Muir Road.
3. King left Stanley Road and Nayapura Road.
4. M. V. lamp crossing of Stanley Road and Mission Road.
5. M. V. lamp East of Cathedral Chruch.
6. M. V. lamp Panna Lal Road and Thornhill Road.
7. M. V. lamp Lawther Road and Fort Road.
8. M. V. lamp canning Road and City Road.
9. 1, Colvin Road South to Canning Road.
10. 1, Clive Road and Canning Road.
11. At pole on 11/12 Mission Road.
12. To 155 Green lamp crossing of Canning Road, and Kasturba Gandhi Marg.
13. to 21 Canning Road Tube lights.
22. On Stretchy Road before Kadir's buildings.
23—26. Green lamps crossing Albert and Elgin Roads.
27—30. Green lamps crossing Albert and Edmonstone Roads.
31—34. Crossing of Zahurul Hasan Road and Kasturba Gandhi Marg.
35—38. Green lamps Crossing of Stanley road and P. Tandon road.
39—56. 18 tube-lights on Canning Road.
57. At pole no. 4 Sarojini Naidu Marg.
58. to 614 tube lights on Canning Road.
62. At the crossing of Panna Lal Road, Arya Samaj Road, M. V. L.

New Katra—

1. M. V. L. before Knex Park.

2. At Temple.
3. At house no. 183 Beli.

Rasulabad—

Near P. N. Ghosh's house.
Near House no. 82 Rasulabad.

New Katra—

1. M.V.L. crossing of Beli Road and Lajpat Rai Road.
2. Bef. 10 New Katra.
3. Before Soni's house.
4. On B. Beli Road service from Pole no 8.
5. One lamp behind house no. 21, New Katra.

Rajapur—

1. M. V. L. before Depressed Class Library.
2. Near open and Rajapur Uuncha.

Old Katra—

1. Before Tahsil, Fakirganj.
2. At house 855 Katra.
3. At house no.866 Katra.
4. At public latrine Kalithan.

Babaji-ka-Bagh—

At Nala.

Albert Road—

One to 14 Tube lights.

CONSTRUCTION OF NEW ROADS DURING THE YEAR 1956-57

New Katcha metalled out of Municipal Funds

		rft.	sft.
1.	Road in Nawada Housing Scheme	1,221	14,732
2.	Road in Rajendra Nagar Housing Scheme	242	2,420
		1,463	17,152
			—.28 Miles
	Amount incurred ..	Rs. 3,777-9	

2. Renewal of roads out of Government grant of Rs. 2,88,400

1.	Road in new katra parallel to B. Beli road	778	9,336
2.	Layal road from Kanpur road to Edmonstone Road ..	1,511	18,123
3.	Cuper road from Canning road to south	958	11,496
4.	Widening of Master Zahurul Hasan road from G. T. road to A.F. Road	..	13,188
5.	Road behind K. P. School, City. road to Canning road..	1,771	22,798
6.	Mahdauri road	2,424	24,240
7.	Road in Luckarganj from Lucker road to south. ..	498	4,980
8.	Road to Salori from Harijan Ashram road to cement end	550	5,500
9.	Nayapura Malakraj road from painted end to west ..	400	4,000
10.	Road in New Bairhana road to Municipal School ..	700	8,400
		9,589	1,22,061
	Amount incurred	Rs. 33,460-11	

Cement concreting of lanes out of Government grant

1.	Lane to Nagari Press Daraganj	180	1,788
2.	Ganesh Shastri lane in Daraganj	104	894
3.	Bargadwali Gali in Muthiganj	145	1,316
4.	Lane in Talab Newal Rai from G.T. road near police out post to Cement end	544	4,647
5.	Pathergali slope from cement end to south ..	464	8,311
6.	Road Sultanpur Bhawa from Atala road to police out post	400	7,566

		rft.	sft.
7.	Lokhnath Lane	210	2,763
8.	Chowk Arya Samaj Lane	143	1,699
9.	Sadiapur road from cement end to west end of village ..	500	4,011
10.	Lane in Unchamandi from G. T. Road to south ..	345	2,478
11.	Road in Hasan Manzil from *gali* to west	411	6,482
12.	Road in Atala near Bari Masjid	135	1,513
13.	Road in front of 56, South Malaka	221	2,258
14.	Road in Bhawapur	554	7,524
15.	Road in Kareli from Kareli Road to west	395	3,966
16.	Siyah Murg lane	182	1,868
17.	Road in Daryabad to Jogi Ghat	566	5,499
18.	Road in Kasari Mesari village	960	9,600
19.	Lane by the side of boundary wall of Kydganj Mandi Primary School	253	2,489
		6,881	76,664
	Length of road cemented	1.30 miles.	
	Amount incurred out of Government grant of	Rs. 2,88,400	Rs. 726-8
	Amount incurred out of Government grant of	Rs. 3,79,300	Rs. 59,235-6
			Rs. 59,961-14

SURFACE PAINTINGS DURING THE YEAR 1956-57

Out of Government grant of Rs. 2,88,400

(1) First Coat

		Length	Std. Width.	Area sft.
1.	Kareli Road	3,434	12½	43,766
2.	Leader Road extension	3,545	17½	59,108
3.	Circular Road	1,439	12	17,434
		2,100	10½	22,459
4.	Roads in Tagore Town	676	..	7,251
5.	Roads in Mumfordganj	1,130	15	16,038
6.	Road in New Katra levelled to B. Beli Road ..	789	12	9,544
7.	Kesari Mesari road	1,220	10	12,260
8.	Diversion in front of Indian Press	105	13½	1,418
		14,458		1,89,278

Total amount Rs. 24,132-15

Out of Government grant of Rs. 3,79,300

		rft.		sft.
1.	Road behind K. P. School	1,739	12¾	22,079
2.	Couper Road from Nawab Yusuf Road to Mahatma Gandhi Marg	916	12	11,180
3.	Layal Road from Kanpur Road to Edmonstone Road	1,445	12	18,128
4.	Stratchy Road from Thornhill to Edmonstone Road	1,525	12	18,444
5.	Faquireganj Latrine Road	301	12	3,416
6.	Roads in Mumfordganj Housing Scheme ..	3,499	12	46,056
7.	Master Zahurul Hasan Road	16	14	224
8.	Chak Niratul road	5,942	..	74,602
9.	Kydganj Mandi Primary School Road ..	125	10	1,238
10.	South Housing Scheme Part II Western end— (*a*) Islamia School Road 437—6,080 (*b*) 60′ road, from Shaukat Ali to above road 460 9,367 (*c*) 25′ road from Shaukat Ali to Atala road— 263—4,162	1,196	16½	19,609
11.	South Housing Scheme Part II	2,557	15½	38,979
	K. P. Section	231	16	3,696
12.	South Housing Scheme Part II K. P. Section ..	2,988	16	47,145
13.	Idgah Road along Railway, Line	604	10	6,140
14.	Road in Luckerganj	780	12	9,385
15.	Road in Bhusouli Tola West of the Khuldabad Mandi	602	10	6,118
		19	18	342
16.	Kala Danda Road from bend to Grave-yard ..	1,282	10	12,820
17.	Sadiapur Road	1,275	10	12,750

		Length	Std. Width	Area
18.	Talab Nawal Rai raod	321	12	3,852
19.	Road in new Birhana	251	9	2,221
20.	Baghambari road from painted end to Baghambari Gaddi	1,725	12	20,625
21.	Circular road	924	12½	11,567
22.	Drummond road painted end to north ..	194	11½	2,231
23.	Road in Newada Housing Scheme ..	1,326	12½	16,233
		1,793	16	29,013
		33,586		4,50,564
		9·10 Miles	Rs.	59,000-10

Total first coat painting out of Government. Grant of Rs. 2,88,400 and Rs.3,79,300

Length sft.	Area sft.	Cost Rs.
14,484	1,89,278	24,132-15
	4,50,564	
33,586		
4,80,44	6,39,842	59,000-10
9·10 miles		83,133-9

LIST OF ELECTRIC LAMPS INSTALLED DURING 1956-57

1.	*Leader Road* ..	1. 22 Tube lights ..	..	*Bharti Bhawan Street* 1. B. F. Bharti Bhawan Library G. E. C. M. V. L. 2. On Pole no. 1 Tube light.
2.	*K. P. Kackar Rood*	1. Near Sarup Rani Park.	..	*Attarsuiya.* 1. at 190, Attarsuiya. 2. at 282-A, Attarsuiya. 3. at 379, Attarsuiya.
3.	*Johnstonganj Road*	1. 10 Tube lights ..	..	..
4.	*Bahadurganj* Charan Lal Road	1. Inside Moti Park ..	..	..
5.	*Luckerganj* ..	1. opposite. 102-A L. Ganj	..	Bhausali Tola.
		2. Adjacent 47, L Ganj	..	1. near 85, Bhausauli Tola.
6.	K. Devi South Housing Scheme ..	1. near culvert, S. Ali Road		*Himmatganj*
		2. on pole at crossing of lanes		1. adjecant to Unani Dawakhana.
	..	3. Behind Chaudhari Saheb garden		2. at 19-B, H. Ganj.
		4. X of A. P. Banerji Road and Shaukat Ali Road near Pro. Madan Store's house		..
7.	Rani Mandi ..	1. at 151 Rani Mandi	..	Industrial Colony, Karelabagh. 1. 2 lamps before Block 10 and 11.
8.	Baidan Tola ..	1. at 39, Baidan Tola	..	..
9.	Noorullah Road	1. last pole on N.U. Road 2. on Kacha Road 3. near waterpipe	Sweepers Colony	*Meerpur* 1. Before Krishna Kunj building. 2. near 243F, Meerpur 3. at 91, Meerpur.
..	Sadiyapur Village lane.	1. opp. Temple Sheoji	..	*Mundra* 1. 16 lamps on pole on G. T. Road.

11. Buxibazar ..	1. opp. 192-A, Buxibazar	..	Buxibazar	on pole on
	2. at 237, Do.	..	*Sulem Sarai*	G.T. Road.
			1.9 lamps	Ditto.
12. *Bahadurganj* ..	1. before 18, Bahadurganj	..	Dhoomanganj	Ditto.
			8 lamps	Ditto.
13. *Daryabad* ..	1. near 100, Daryabad	..	Subedarganj	
	2. 18/ 100, Daryabad	..	4 lamps	Ditto.
	3. 221/ 100, Dayabad	..		
14. Sultanpur Bhawa	1. before 157-D, S. P. Bhawa	..	Tulshipur near 193, Tulshipur	
			Nehalpur, 1, near 149-A N. pur.	

New Bairhna ..	1. lamp near 51, New Bairhna. One lamp near Railway crossing, New Bairhna. One lamp near 123, Old Bairhna.
Kydganj . ..	One lamp near 197-A, K. L. Kydganj. One lamp near 76, Purabaldi. Kydganj. One lamp near 38-B, Nai Basti, Kydganj. One lamp near 33, Nai Basti, Kydganj. One lamp near 307, K. L. Kydganj. One lamp near 40, Nai Basti, Kydganj. Two lamps near 24, Nai Basti, Kydganj. One lamp near 225, Chaukhandi, Kydganj. One lamp near 420-A, K. L. Kydganj. Two lamps near Peer Zada Bagh, Nai Basti, Kydganj.
G. T. Rd. Talab Newal Rai.	Pole no. 120, G. T. Rd., Talab Nawal Rai Wall lamp, 11 Talab Nawal Rai.
Muthiganj ..	One lamp in Ahirana Muthiganj pole near 4, Girja Shanker Lane, Muthiganj. One lamp near 320 Muthiganj.
Chaudhari Fakhruddin Road.	One lamp on pole no. 5 at Fakruddin Road in Hatiya Muthiganj.
Katghar ..	One lamp in Chamrauti Katghar, Balwaghat behind Shri Raja Ram Jaiswal.
Layal Road ..	at pole no. 3, Layal Road. at pole no. 2, Layal Road.
Beli Road ..	At pole no. 41, Beli Road.
Civil Lines ..	1. at the crossing of Kamla Nehru Road and Thornhill Road, M. V. Lamp. 2. M. V. Lamp, crossing of Elgin Road and Kasturba Gandhi Marg. 3. M. V. Lamp, Edmonstone road and Kasturba Gandhi Marg crossing. 4. M. V. at the crossing of Chintamani road and Louther Road. 5. M. V. at the crossing Stanely Road and Kanpur Road M. V. lamp. 6. 6 to 9 traffic umbrella green lamp, at Stanely Road and Elgin Road crossing. 7. 10 to 13 green lamp at T. umbrella crossing of Edmonstone road and Stanely road. 14. One lamp on Colvin Road and near T. B. Bhalla's house. 15. One lamp on Colvin road and near T. B. Bhalla's house. 16. M. V. Lamp at the crossing of Edmonstone Road and K. N. Road. 17. at pole no. 45, Canning Road. 18. at no. E 1/11, crossing of Elgin road and Layal Road. 19. at pole no. 25, Elgin Road. 20. on Drommand Road from last pole. 21. one at Hastings Road before Metha's bungalow. 22. one at Hastings Road before Methodis bungalow. 23. one at pole no. 2, Strechy Road. 24. one at pole no. 4, Strechy Road. 25. one lamp on Couper Road between South Road and Canning Road.

Colonelganj	..	1. one lamp at 47, Colonelganj Road. 2. one lamp at house no. 3, Arya Samaj road. 3. one lamp at house no. 475 or 476, Colonelganj. 4. one lamp near house no. 36, Colonelganj.
Mumfordganj	..	1. one lamp near Distillary, Mumfordganj. 2. one lamp near 483/205, Mumfordganj.
Pura Garariya	..	1. three lamps in Pura Garariya.
Balrampur	..	1. one lamp at park. 2. one lamp at crossing near Sharma's house, 3. one lamp on road.
Karanpur	..	1. one lamp at 6/A, Karanpur.
Rajapur	..	1. one lamp near 121, Rajapur. 2. one lamp near service from pole no. MU/40/9. 3. one lamp at house no. 200, Rajapur. 4. one lamp near 218, Rajapur.
Alfred Park	..	1. one lamp near Curater's quarter's. 2. one lamp near servants, quarters.
Newada	..	1. one lamp near Sharma's house.
Nayapurwa Village	..	1. one lamp on Naya Purwa Road.
Chota Baghara	..	1. one lamp at pole no. 8, Knox road.
Rasulabad	..	1. one lamp near P. N. Ghosh, bungalow.
Teliarganj Silakhana		1. one lamp near 73, Silakhana.
Old Katra	..	1. one lamp at house no. 119, Old Katra. 2. one lamp at 976-B, Old Katra. 3. one lamp at public latrine Bakhatiri Katra
Mehdauri Village	..	1. two lamps in village Mehdauri.

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६७४ पर)

सूची

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत अलीगढ़ जिले में निम्नलिखित सड़कों के बनने का प्रस्ताव है--

	मील	फर्लांग	फिट
१--पुनःनिर्माण--			
(अ) स्थानीय पक्की सड़कें			
(१) अगसौली रेलवे-स्टेशन कचोरी ..	३	५	४१०
(२) सिकंदराराव-पुरदिलनगर ..	१	७	०
(३) सासनी-रेलवे फ़ीडर ..	३	०	०
(४) अगसौली-रेलवे फ़ीडर ..	१	०	०
योग ..	९	४	४१०
(ब) भारी यातायात वाली सड़कों पर सुधार ..	८	४	०
२--नव-निर्माण			
(अ) नई पक्की सड़कें--			
(१) अतरौली-कासगंज (प्रांविशियल हाईवे) ..	१८	०	०
(ब) ओ० डी० आर्स० तथा वी० आर्स का पक्का करना--			
(१) जवार टप्पल	३	३	०

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६७६ पर)

प्रथम जनवरी, १९५७ से किये गये प्रथम श्रेणी के जिला बोर्डों की सूची

मेरठ डिवीजन

१—देहरादून
२—सहारनपुर

रुहेलखंड डिवीजन

३—बरेली
४—बदायूं
५—शाहजहांपुर
६—पीलीभीत

बनारस डिवीजन

७—मिर्जापुर
८—गाजीपुर

लखनऊ डिवीजन

९—लखनऊ
१०—उन्नाव

फैजाबाद डिवीजन

११—सुलतानपुर
१२—फैजाबाद
१३—प्रतापगढ़

आगरा डिवीजन

१४—मथुरा
१५—मैनपुरी
१६—एटा

इलाहाबाद डिवीजन

१७—फतेहपुर
१८—इटावा

झांसी डिवीजन

१९—बांदा
२०—हमीरपुर
२१—जालौन
२२—झांसी

कुमायूं डिवीजन

२३—नैनीताल
२४—अल्मोड़ा
२५—गढ़वाल

संसद सदस्य

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६७६ पर ।)

तालिका

	मी०	फ०	फि०
(क) नई पक्की सड़कें—			
(१) ऊंचगांव-कांधला (कैराना कांधला का भाग) ..	५	०	०
(२) बुधाना-खतौली	१६	०	०
(३) मौरना-ककरौली	५	०	०
(४) चरथावल-कदीरगढ़-जलालाबाद ..	११	०	०
(५) पुरकाजी-गोरधनपुर	८	०	०
(६) मुजफ्फरनगर-जानसठ	१३	०	०
(७) सुखरताल मंदिर जाने वाली सड़क ..	०	१	४९५
(ख) ओ०डी०आर्स तथा वी० आर्स का पक्का करना—			
(१) कैराना-ऊंचगांव (कैराना कांधला का भाग) ..	२	०	०
(२) ककरौली-जौनसठ	६	०	०
(३) मुजफ्फरनगर-चरथावल	६	५	०
(४) जलालाबाद-गंगोही (टिटरौं होती हुई) ..	५	१	०
(५) झिनझिना-ऊन	५	६	०
योग ..	८३	५	४९५

हस्तिनापुर

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६७८ पर)

सूची

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत नई सड़कें जो बन रही हैं

	लम्बाई मील	अनुमानित व्यय रु०
१—परसपुर–नवाबगंज सड़क को पक्का करना ..	२७ १/४	९,८१,०००
२—दर्जीकुआं–मनकापुर सड़क को पक्का करना ..	११	३,९६,०००
३—मोतीगंज रेलवे स्टेशन से सोहान तक सड़क को पक्का करना	२	७२,०००

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित सड़कें जो योजना के अन्तर्गत निर्माण होंगी

१—तुलसीपुर–इटवा सड़क को पक्का करना।

२—हरिहरगंज–ललिया सड़क को पक्का करना।

सत्यमेव जयते

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ९७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६८२ पर)

३० जून, १९५७ को जिन जिलों में सरकारी गेहूं के विक्रय की योजना लागू थी उनमें ३० जून, १९५७ को दूकानों की संख्या तथा योजना लागू होने के समय से ३० जून, १९५७ तक विक्रय के लिये दिये गये गेहूं की मात्रा की तालिका:--

क--पहाड़ी क्षेत्र

(आंकड़े टनों में)

क्रम-संख्या	जिले	सस्ते गल्ले की दूकानें		बाढ़ सहायता दूकानें (राज्य सहायता प्राप्त)		अतिरिक्त विवरण
		दूकानों की संख्या	योजना लागू होने के समय से विक्रय के लिये दिये गये गेहूं की मात्रा।	दूकानों की संख्या	योजना लागू होने के समय से विक्रय के लिये दिये गये गेहूं की मात्रा।	
१	१--अल्मोड़ा			१०८*	६,९८८*	२१ जून, १९५७ के आंकड़े*
२	२--गढ़वाल			१८५*	६,१५४*	..
३	३--टेहरी गढ़वाल			१०२	२,५००	..
४	४--देहरादून--					
	मसूरी			१५	४९९	..
	देहरादून ..	३०	५,४००	..	..	..
	ऋषिकेश ..	३	..	..	..	..
	अन्य ..	१०	६२	..	..	..
	(ओला पीड़ित क्षेत्र)					
५	५--सहारनतुर (हरिद्वार) ..	१७*	८,३९४*	..	..	..
६	६--नैनीताल--					
	भीमताल ..	१	..	..	..	..
	भुवाली ..	३	१,३७३	..	..	
	हल्द्वानी ..	६	..	..	..	..
	नैनीताल ..	४	..	..	..	..
	योग, (क) ..	७४	१५,२२९	४१०	१६,१४१ टन या ४,३९,३९४ मन	

ख—पूर्वी जिले (वाराणसी रीजन)

(आंकड़े टनों में)

क्रम-संख्या	जिले	सस्ते गल्ले की दूकानें: दूकानों की संख्या	सस्ते गल्ले की दूकानें: योजना लागू होने के समय से विक्रय के लिये दिये गये गेहूं की मात्रा	बाढ़ सहायता दूकानें (राज्य सहायता प्राप्त): दूकानों की संख्या	बाढ़ सहायता दूकानें (राज्य सहायता प्राप्त): योजना लागू होने के समय से विक्रय के लिये दिये गये गेहूं की मात्रा	अतिरिक्त विवरण
१	वाराणसी	८६	२५,८७४	६२	४,८४२	..
२	आजमगढ़	..	..	१४५*	१६,१८२*	*२१ जून, १९५७ के आंकड़े*
३	बलिया	..	..	१४१	१४,५५३	
४	बस्ती	..	६९३	१०१	९,७२७	
५	देवरिया	..	५२६	१२०	९,९४०	
६	गोरखपुर	२५	७,३१०	१३०	१२,५४०	
७	गाजीपुर	..	७७८	१२१	११,६८३	
८	जौनपुर	१२७	८,०९७	..	..	
९	मिर्जापुर	४९	४,६४२	२१	२,४७०	
	योग, (ख)	२८७	४७,९२०	८४१	८१,९३७	
	योग, (क) और (ख)	३६१	६३,१४९	१,२५१	९८,०७८	
	योजना लागू होने के समय से विक्रय के लिये दिये गये गेहूं की पिछली मात्रा उन जिलों में जहां से गेहूं सप्लाई योजना तथा बाढ़ सहायता योजना वापस ले ली गई है	..	१,२०,०९२		२१,७३५	
	योजना लागू होने के समय से ३० जून, १९५७ तक विक्रय के लिये दी गई मात्रा।	१,८३,२४१ टन या ४९,८८,२२७ मन		१,१९,८१३ टन या ३२,६१,५७६ मन		

संक्षिप्त विवरण

३० जून, १९५७ तक दूकानों की संख्या तथा विक्रय के लिये दी गई मात्रा (टनों में)

१--सस्ते गल्ले की दूकानें		
१--पहाड़ी क्षेत्र		
देहरादून (मंसूरी छोड़कर) सहारनपुर (हरिद्वार) और नैनीताल जिले (७४ दूकानें)	१५,२२९	
२--पूर्वी जिले		
(२८७ दूकानें)	४७,९२०	
योग (३६१ दूकानें)	६३,१४९	
†योजना लागू होने के समय से विक्रय के लिये दिये गये गेहूं की पिछली मात्रा उन जिलों में जहां से गेहूं सप्लाई योजना वापस ले ली गई है	१,२०,०९२	१,८३,२४१
२--बाढ़ सहायता दूकानें (राज्य सहायता प्राप्त)		
१--पहाड़ी क्षेत्र:		
अल्मोड़ा, गढ़वाल और टेहरी-गढ़वाल जिले और मंसूरी शहर (४१०) दूकानें	१६,१४१	
२--पूर्वी जिले		
(८४१ बाढ़ सहायता दूकानें)	८१,९३७	
योग (१,२५१ दूकानें)	९८,०७८	
†योजना लागू होने के समय से विक्रय के लिये दिये गये गेहूं की पिछली मात्रा उन जिलों में जहां से बाढ़ सहायता योजना वापस ले ली गई है	२१,७३५	१,१९,८१३
(१६१२ दूकानें)		३,०३,०५४ टन या ८२,४९,८०३ मन

नत्थी 'ज'

(देखिये तारांकित प्रश्न १०३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६८३ पर)

शिकायतों की सूची

शिकायत करने वालों का नाम	शिकायत का विवरण	कार्यवाही जो की गई
१--जगनेर ग्राम के निवासी	उनके मवेशियों के आने जाने के रास्ते बन्द किये जाने के विरुद्ध	जांच की गई और ग्रामवासियों से कहा गया कि वह पुराने रास्ते को इस्तेमाल करें। पुराना रास्ता अब इस्तेमाल किया जा रहा है।
२--पितौली ग्राम के निवासी	उनके मवेशियों को जंगल से आने जाने नहीं दिया जाता	जांच करने पर मालूम हुआ कि गांव वाले मनचाहे रास्ते से मवेशियों को इधर उधर ले जाते थे जो कि रास्ते में लगाये गये छोटे जंगल को नुक्सान करते थे। गांव वालों को हर जंगल से न जाने देकर उनकी सुविधा के अनुसार आने जाने के मार्ग तय कर दिये गये जिसको उन्होंने मान लिया और कोई शिकायत नहीं रही।
३--नोनी गांव के निवासी	उनके आने जाने के रास्ते बन्द कर दिये जाने के विरुद्ध	ये लोग बिक्री के लिये चक्की के पत्थर पहाड़ से निकालते थे जिसे वन विभाग के कर्मचारियों ने बन्द कर दिया। उनका रास्ता बन्द नहीं किया गया था जैसा कि उनकी शिकायत में है। उनकी सहूलियत के लिये तार आदि पिछले साल हटा लिये गये थे। रास्ता अब भी खुला है।
४--श्री पुरुषोत्तमसिंह गांव नोनी	उनका रास्ता बन्द किये जाने के बारे में	उन्होंने बाद में एक प्रार्थना-पत्र और दिया जिससे उन्होंने लगाये गये आरोप को निराधार बताया।
५--मैवाली गांव के निवासी	उनके आने जाने के रास्ते बन्द कर दिये जाने के विरुद्ध	(जैसा कि सं० ३ पर है)
६--बिधौली ग्राम के निवासी	उनके आने जाने के रास्ते बन्द किये जाने के विरुद्ध	उनके इस्तेमाल के लिये एक सड़क पहले से ही मौजूद है।
७--प्रसार अध्यापक जूनियर हाई स्कूल जगनेर आगरा	टाउन एरिया कमेटी द्वारा दी गई स्कूल की जमीन को जंगल वाले तार बाढ़ करके जंगल लगा रहे हैं। ऐसा न किया जाये।	जांच करने पर मालूम हुआ कि शिकायत गलत थी। जमीन का कोई पट्टा आदि प्रसार अध्यापक, जिन्होंने शिकायत की थी, न दिखा सके। वन विभाग को जो जमीन दी गई थी उसमें कोई बाड़े आदि या स्कूल के नाम भूमि नहीं थी।

पी० एस० यू० पी० ए० पी०--८८ एल० ए०--१९५७--७९६ ।